Registered No. E. P.-97

No. 5849/55
12/12

रजिस्टर्ड नं० इ० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुद्धवार, 7 दिसम्बर, 1955

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

Establishment Branch

NOTIFICATION

Simla-4, the 6th December, 1955

No. A-107-112/54.—Himachal Pradesh Government announce with regret the death of Shri Parkash Chandra Singha, a nominee of the Himachal Pradesh Government under training at the Mountaineering Institute, Darjeeling, on December 3, 1955. Shri Singha caught double pneumonia while hiking in the hills on November 28, 1955. He died on the way while he was being brought to Darjeeling.

Shri Singha, who was in the early thirties, was the son of R. S. Amin Chand, a well known orchard owner of Kotgarh and a social figure of Himachal Pradesh. After passing his B. Sc. (Agr.), Shri Singha took to farming and orchard raring and in 1953 went to England to make a special study in Entomology. While in England he was awarded Fellowship of the Royal Entomological Society.

Shri Singha was a keen sportsman and took to mountaineering during his college days. In 1945 he climbed Churi Chanani and later on the Kolahi peak (14,000 ft.)

He was one of the founder members of the Himachal Winter Sports Club and took great interest in its activities and helped in organising them.

Being of a very amiable nature, Shri Singha was very popular amongst all sections of the people. By his untimely death, the Government of Himachal Pradesh have lost a keen sportsman and a social worker.

The Government convey profound sorrow and feelings of heart-felt sympathies to his young widow, children, R. S. and Mrs. Amin Chand and other relations.

BASANT RAI,
Assistant Secretary.

Registered No. E. P.-97

रजिस्टर्ड नं० इ० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 1955

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

विधान सभा विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-4, दिनांक 22 नवम्बर, 1955

सं० वी. एस. 71/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 4 अक्तूबर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 8, 1955

हिमाचल प्रदेश जाति-बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश में जाति-बहिष्कार निषेध करने का

अधिनियम

यह गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश जाति-बहिष्कार निवारण अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. परिभाषा.—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(क) "समुदाय (community)" का तात्पर्य ऐसे जन समूह से है जिसके सदस्यों का इस तथ्य के आधार पर पारस्परिक सम्बन्ध हो कि वे जन्म से, धर्म-परिवर्तन से या किसी धार्मिक संस्कार का पालन करने से एक ही धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय (creed) से सम्बन्ध रखते हैं, और इसके अन्तर्गत जाति या उप-जाति भी है ;

(ख) "जाति-बहिष्कार (excommunication)" का तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसे समुदाय से निकालना है जिसका वह सदस्य हो, और जिससे वह ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों (privileges) से वंचित हो जाए जो उसके या उसकी ओर से समुदाय के किसी सदस्य द्वारा दीवानी प्रकार के वाद से वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय हो ;

स्पष्टीकरण.—इस तथ्य के होते हुए भी कि किसी अधिकार का निश्चय नितान्त रूप से समुदाय के धार्मिक संस्कार, रसम, नियम या रिवाज के सम्बन्ध में उठे किसी प्रश्न के निर्णय पर निर्भर है, पद ग्रहण करने या सम्पत्ति या किसी धार्मिक स्थान में पूजा करने या शव जलाने या दफनाने का अधिकार इस खण्ड के प्रयोजनार्थ दीवानी प्रकार के वाद द्वारा वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार के अन्तर्गत होगा।

3. जाति-बहिष्कार मान्य नहीं होगा और इसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा.—तत्काल प्रचलित किसी विधि, प्रथा या रिवाज में किसी बात के विपरीत होते हुए भी किसी समुदाय के सदस्य का कोई भी जाति-बहिष्कार मान्य नहीं होगा और उसका कोई भी प्रभाव नहीं होगा।

4. शास्ति.—जो कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करे, जिससे समुदाय के किसी सदस्य का जाति-बहिष्कार हो जाए या जो ऐसा करने में सहायक हो, वह दोषी ठहराए जाने पर एक हजार रुपए तक के अर्थ दण्ड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.—जब वह व्यक्ति, जिस पर इस धारा के अधीन अपराध करने का आरोप लगाया गया हो, व्यक्तियों की निगमित संस्था या संघ हो या निगमित न हो, और यदि उक्त संस्था या संघ की बैठक में अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया हो तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में, जिस ने जाति-बहिष्कार से सम्बद्ध निर्णय के पक्ष में मत दिया हो, यह समझा जायगा कि उसने अपराध किया है।

5. इस अधिनियम के अधीन अधिकारक्षेत्र.—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 (Code of Criminal Procedure, 1898) में किसी बात के होते हुए भी, पहली श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से कम श्रेणी का कोई भी न्यायालय धारा 4 के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध की अन्वीक्षा नहीं करेगा।

6. अपराध संज्ञान करने की रीति.—कोई भी न्यायालय—

(क) उस दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने पर, जिस दिनांक को अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया हो, और

(ख) हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे पदाधिकारी, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम पदवी का न हो, की पूर्व स्वीकृति लिए बिना;

धारा 4 के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

वी० एस०-70/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 17 अक्तूबर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 9, 1955

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1955

31 मार्च, 1956 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय राशियां चुकाने और उन का विनियोग करने के हेतु

अधिनियम

यह निम्नलिखित रूप में विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाए:—

1. संक्षिप्त नाम.—यह अधिनियम 1955 का हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (न०) कहलाएगा।

2. वर्ष 1955-56 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 97,61,000 रुपए निकाला जाना.—31 मार्च, 1956 को अन्त होने वाले वर्ष, किए गए कतिपय व्ययों को पूरा करने के हेतु उन को चुकाने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के संचित धन में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में विशिष्ट राशियां चुकाई जाएं, जो उस स्तम्भ में विशिष्ट राशियों, जिन का जोड़ सतानवें लाख और इकसठ हजार रुपए है उस से अधिक नहीं होंगी।

3. विनियोग.—हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से जिन राशियों को इस अधिनियम के द्वारा चुकाने और प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, उन राशियों का विनियोग, 31 मार्च, 1956 को अन्त होने वाले वर्ष के विषय में अनुसूची में प्रदर्शित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान की संख्या	स्वीकृत संख्या	सेवाएं तथा प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		योग
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	2	3	4		5
1	1	मालगुजारी	24,000	—	24,000
4	2	वन	1,32,000	—	1,32,000

1	2	3	4		5
9	3	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	22,000	—	22,000
10	4	न्याय प्रशासन	20,000	—	20,000
12	5	पुलिस	50,000	—	50,000
15	6	चिकित्सा	34,000	—	34,000
16	7	जन स्वास्थ्य	6,34,000	—	6,34,000
17	8	कृषि	4,43,000	—	4,43,000
18	9	पशु चिकित्सा	25,000	—	25,000
20	10	उद्योग तथा प्रदाय	1,000	—	1,000
22	11	अन्य सिविल वर्कस	7,06,000	—	7,06,000
24	12	साधारण राजस्व से वित्तयोषित विद्युत योजनाओं पर व्यय	51,000	—	51,000
27	13	लेखन सामग्री और छपाई	39,000	—	39,000
28	14	विविध	7,35,000	—	7,35,000
30	15	बस व जल की सेवाओं पर व्यय	1,85,000	—	1,85,000
31	16	सामूहिक विकास योजना राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास क्षेत्र और लोकल डवेल्पमैंट वर्कस	11,00,000	—	11,00,000
32-A	17	सार्वजनिक स्वास्थ्य की तरक्की पर पूंजी व्यय	10,90,000	—	10,90,000
33	18	कृषि सुधार एवं खोज की योजनाओं पर पूंजी लागत	1,55,000	—	1,55,000
34	19	राजस्व लेखे के बाहिर नागरिक कार्यों पर पूंजी लागत	21,62,000	—	21,62,000
35	20	विद्युत योजनाओं पर पूंजी व्यय	15,73,000	—	15,73,000

1	2	3	4		5
36	21	राजस्व लेखे के बाहिर पथ परिवहन योजनाओं पर पूंजी व्यय	4,07,000	—	4,07,000
37	22	राजकीय व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	43,000	—	43,000
38	23	ऋण तथा अग्रिम धन जिन पर ब्याज लगता है	1,30,000	—	1,30,000
		जोड़ ...	97,61,000	—	97,61,000

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

सं० वो० ऐस०-185 55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट 'सी' स्टेटस ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 22 अक्तूबर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया यिनमों के नियम 126 के अधीन सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

अधिनियम सं० 10, 1955

हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 में संशोधन करने का

अधिनियम

यह गणतन्त्र के छटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बड़ी ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. 1953 की अधिनियम संख्या 15 की धारा 54 में संशोधन.— हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 (जिसे यहां से आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 54 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के परादिक (इ) के खण्डों (क) तथा (ख) को हटा कर उन के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (क) तथा (ख) रखे जाएं :—

"(क) प्रथम मार्च, 1956 से पहले काश्तकारी की ऐसी भूमि या भूमियां विनिहित रीति से विशिष्ट करेगा, जिस से या जिन से वह काश्तकार को निष्कासित करना चाहता है ; और

(ख) 30 सितम्बर, 1956 से पहले उक्त निष्कासन की कार्यवाहियां आरम्भ करेगा।"

3. 1953 की अधिनियम संख्या 15 की धारा 55 में संशोधन.— मूल अधिनियम की धारा 55 के खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परादिक बढ़ा दिया जाए :—

"परन्तु 28 फरवरी, 1953 से पूर्व देय लगान के किसी बकाया के सम्बन्ध में काश्तकार निष्कासन के योग्य नहीं होगा, यदि वह 26 जनवरी, 1957 को या इस से पहले बकाया की आधी राशि चुका देता है।"

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

सं० वी० ऐम०-178/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट 'सी' स्टेटस ऐक्ट, 1951 की धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 26 अक्तूबर, 1955 को, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 11, 1955

हिमाचल प्रदेश भूराजस्व (संशोधन), अधिनियम 1955

हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 में संशोधन करने का अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के छटे वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा द्वारा यह निम्नलिखित रुप में अधिनियमित किया जाए।

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश भूराजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा :—

2. हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1954 की धारा 4 में संशोधन.—हिमाचल

प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 (अधिनियम संख्या 6, 1954, जिसे यहां से आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में खंड (18) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाए अर्थात :—

"(18) "राज्य शासन" का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश राज्य के उपराज्यपाल से है ;"

3. हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1954 की धारा 17 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में शब्द "विचाराधीन" के पश्चात् शब्द "या उसके द्वारा निर्णीत" जोड़े जाएं ।

4. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 45 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 45 के परादिक में शब्दों और अंकों "पहली अप्रैल, 1948 के बाद की" के स्थान पर शब्द और अंक "अप्रैल ,1948 के प्रथम दिन और अप्रैल, 1956 के प्रथम दिन के मध्य की अवधि में" रख दिए जाएं ।

5. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 83 संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 83 में —

(क) उपधारा (1) में—

(अ) शब्दों "और यदि फाइनेन्शियल कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "या यदि फाइनेन्शियल कमिश्नर" रखे जाएं ;

(आ) परादिक में शब्दों "और किए गए संविदा" के स्थान पर "या किए गए संविदा" रखे जाएं ।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "सम्पत्ति" के स्थान पर शब्द "अचल सम्पति" रखे जाएं ।

6. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 90 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 90 में शब्दों "और यह प्रमाणित" के स्थान पर "या यह प्रमाणित" शब्द रखे जाएं ।

7. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 102 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 102 में शब्दों "या भूराजस्व के किसी बकाया का, जो भूराजस्व के रूप में वसूल किया जा सकता हो" के स्थान पर शब्द "या ऐसी राशि का, जो भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती हो" रखे जाएं ।

8. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 141 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 141 में :—

(क) उपधारा (1) के अन्त में शब्द "और माल अधिकारी राज्यशासन की ओर से एक अन्य मध्यस्थ मनोनीत करेगा" बढ़ा दिए जाएं ।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाए, अर्थात् :—

"(2) माल अधिकारी ऐसेाक रणों केआधार पर, जोवह अभिलिखित करेगा, वसी भी पक्ष

के मनोनयन को अस्वीकार करने का आदेश दे सकेगा और यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह पक्ष ऐसी अवधि में, जो आदेश में विशिष्ट की जाएगी, फिर से नामांकन करे और यदि इस प्रकार विशिष्ट अवधि में अन्य मध्यस्थ मनोनीत नहीं किया जाता तो माल अधिकारी समय समय पर उस अवधि को बढ़ा सकेगा या निर्देश के आदेश (order of reference) को रद्द कर सकेगा।"

9. हिमाचल प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1954 की धारा 149 में संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 149 में संशोधन :—

(क) उपधारा (1) में शब्दों "इस अध्याय" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम" रखे जाएं ;

(ख) उपधारा (2) में शब्दों "अन्तिम पूर्ववर्ती उपधारा" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्टक "धारा 148 की उपधारा (1)" रखे जाएं।

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

सं० वी० एम०-175/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट 'सी' स्टेटस ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारार (2) के अधीन भारत कोष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 8 नवम्बर, 1955 को, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 12, 1955

हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एण्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ (संशोधन) अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एण्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ ऐक्ट, 1952 में संशोधन करने का

अधिनियम

यह गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एण्ड पार्लियामैन्टरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ (संशोधन) विधेयक, 1955 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज़ एण्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज़ सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़ ऐक्ट, 1952 की धारा 4 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश मिनिस्टर्ज एण्ड पार्लियामैंटरी सैक्रैटरीज सैलरीज एण्ड एलाऊंसिज ऐक्ट, 1952 (Himachal Pradesh Ministers' and Parliamentary Secretaries' Salaries and Allowances Act, 1952) की धारा 4 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाए :—

"(3) In respect of the rental value of the free furnished residence or house rent allowance in lieu thereof, no charge whatsoever of income tax levied under the Income Tax Act, 1922, shall fall on the Minister and it shall be borne by the Government".

दिनांक शिमला-4, 26 नवम्बर, 1955

संख्या वी०-एस०-176/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट 'सी' स्टेट्स एक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 8 नवम्बर, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 13, 1955

हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़) (संशोधन) अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़) ऐक्ट, 1952, में संशोधन करने का

अधिनियम

यह गणतंत्र के छटे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज एण्ड एलाऊंसिज) (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज़ एण्ड एलाऊंसिज़) ऐक्ट, 1952, [Himachal Pradesh Legislative Assembly (Salaries and Allowances) Act,

1952] की धारा 4 में संशोधन.—हिमाचल प्रदेश लैजिस्लेटिव एसैम्बली (सैलरीज़ एण्ड एलाउंसिज़ ऐक्ट, 1952 की धारा 4 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (3) बढ़ा दी जाए :—

"(3) In respect of the rental value of the free furnished residence or house rent allowance in lieu thereof, no charge whatsoever of income-tax levied in accordance with the Income Tax Act, 1922, shall fall on the Speaker and it shall be borne by the Government."

शिमला-4; दिनांक 26 नवम्बर, 1955

संख्या वी० एम० 174/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स ऐक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 17 नवम्बर, 1955 को, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है, और उसे अब हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 126 के अधीन सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम सं० 14, 1955

हिमाचल प्रदेश की छोटी नहरों का अधिनियम, 1955

हिमाचल प्रदेश में छोटी नहरों के नियन्त्रण और प्रबन्ध की सुव्यवस्था करने और उन पर उन्नति-शुल्क लगाने का

अधिनियम

यह गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है:

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रसार.— (1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश की छोटी नहरों का अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य में होगा।

2. अधिनियम का प्रवर्तन.—(1) इस अधिनियम के उपबन्ध उस सीमा तक और उस रीति से प्रवृत्त होंगे, जो यहां से आगे यथास्थिति या तो अनुसूची 1 में या अनुसूची 2 में विशिष्ट प्रत्येक नहर के लिए व्यवस्थित है।

(2) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी समय राज्यशासन समय समय पर अधिसूचना द्वारा—

(क) किसी भी नहर को अनुसूची 1 में या स्थितिअनुसार अनुसूची 2 में रख सकेगा, या किसी नहर को एक अनुसूची से निकाल कर दूसरी अनुसूची में रख सकेगा और उसके पश्चात् इस अधिनियम के ऐसे उपबन्ध, जो उक्त अनुसूची में समाविष्ट नहरों पर प्रयुक्त होते हों, या उक्त उपबन्धों में से ऐसे उपबन्ध, जो राज्य शासन निदेशित करे, उक्त नहर पर प्रयुक्त होंगे, या

(ख) इस अधिनियम के प्रवर्तन (operation) से किसी भी ऐसी नहर को मुक्त कर सकेगा, जो या तो अनुसूची 1 में समाविष्ट हो या अनुसूची 2 में समाविष्ट हो :

परन्तु कोई भी नहर अनुसूची 1 में नहीं रखी जाएगी, जब तक—

(क) शासन को पूर्णतया या अंशतया उस पर स्वामित्व प्राप्त न हो, या

(ख) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के समय शासन या कोई स्थानीय प्राधिकारी उसका प्रबन्ध न करता हो, या

(ग) जिन स्थानों में यह अधिनियम प्रसारित है, उन स्थानों में उसका कुछ भाग उनके अन्दर और कुछ भाग बाहर स्थित न हो, या

(घ) जो अनुसूची 2 में समाविष्ट की गई हो और राज्यशासन के निदेशाधीन अनुसूची 1 में न रख दी गई हो।

3. **परिभाषायें.**—जब तक विषय अथवा संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(1) "लाभधारी (beneficiary)" का किसी नहर के सम्बन्ध में तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसे तत्कालार्थ उक्त नहर से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ पहुंच रहा हो या लाभ पहुंचे ;

(2) "उन्नतिशुल्क (betterment charges)" का तात्पर्य अध्याय 3 के अधीन सिंचन योजना में समाविष्ट भूमियों पर आरोपित शुल्क से है ;

(3) "नहर" का तात्पर्य किसी भी नहर, प्राकृतिक या कृत्रिम कूल (artificial channel) या प्राकृतिक जलोत्सारण (line of natural drainage) या किसी जलाशय (reservoir), बन्द (dam) या तटबन्द (embankment), कूएं, और उद्वाही सिंचन प्रबन्ध (lift irrigation arrangement) से है, जो जल प्रदाय या जलसंग्रह या भूमि को बाढ़ या रेत से बचाने के लिए निर्मित, संधृत या नियन्त्रित हों और इसके अन्तर्गत हैं,—ऐसे जलमार्ग या सहायक कर्म (subsidiary works), जिन की परिभाषा इस भाग में दी गई है ;

(4) "कलेक्टर" का तात्पर्य जिले के मुख्य मालअधिकारी से है और ऐसा पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर की समस्त या कोई सी शक्तियां प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया गया हो ;

जल प्रदाय (water-supply) का निरीक्षण और आनियमन करने की शक्ति.—और किसी भी ऐसी भूमि, भवन या जल-मार्ग (water-course) पर, जिस के लिए कोई जल कर (water-rate) वसूल किया जा सकता हो, या सम्पूर्ण अथवा अंशरूपेण परिहृत (remitted) हो या उसके भूराजस्व में समाविष्ट हो, प्रदत्त-जल के प्रयोग का निरीक्षण या आनियमन करने या उससे सिंचित अथवा जल-कर (water-rate) से प्रभारित भूमि को मापने और ऐसे समस्त कार्य करने के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो उक्त नहर का उचित आनियमन और प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों;

घरों में प्रवेश करने के अभिप्राय की सूचना.—परन्तु यदि उक्त कलेक्टर या व्यक्ति रहने के मकान से संयोजित किसी भवन या संलग्न आंगन या बाग में प्रवेश करना चाहे, जिसे किसी नहर से बहता हुआ पानी न दिया जाता हो, तो वह ऐसे भवन, आंगन या बाग के स्वामी (occupier) को सात दिन पहले अपने इस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा ;

प्रवेश द्वारा हुई क्षति के लिए प्रतिधन.—इस धारा के अधीन प्रवेश करने की प्रत्येक दशा में, कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ऐसी क्षति के लिए, जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने से हो जाए, प्रतिधन का निर्धारण और उसकी चुकती करेगा।

24. मरम्मतों और आकस्मिक घटनाओं (accidents) की रोकथाम के लिए प्रवेश करने की शक्ति.—किसी नहर में किसी आकस्मिक घटना (accident) के हो जाने पर या आकस्मिक घटना का भय होने पर कलेक्टर अथवा इस हेतु उस के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति उक्त नहर से संलग्न भूमियों पर प्रवेश कर सकेगा और वे समस्त कार्य कर सकेगा, जो आकस्मिक घटना को रोकने और मरम्मत करने के लिए आवश्यक हों ;

भूमि की क्षति के लिए प्रतिधन.—प्रत्येक ऐसी दशा में कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए जाने पर ऐसी किसी भी क्षति (damage) के लिये, जो इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हो जाए, धारा 66 के अधीन प्रतिधन निर्धारित करेगा और चुकाएगा।

25. नहर की मिट्टी जमा करने और किनारों की मरम्मत के लिये मिट्टी खोदने के हेतु नहर से संलग्न भूमि पर कब्जा करने की शक्ति और क्षति के लिए प्रतिधन.—(1) कलेक्टर या इस हेतु उसके सामान्य या विशेष आदेशाधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति नहर से ऐसे अन्तर (distance) तक, जो शासन नियमों द्वारा निश्चित करे, किसी नहर से संलग्न भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कब्जा कर सकेगा :—

(क) नहर से खोदी गई मिट्टी उस भूमि पर जमा करने के लिए, या

(ख) नहर की मरम्मत के हेतु उस भूमि से मिट्टी खोदने के लिए,

इस सम्बन्ध में कलेक्टर को प्रार्थनापत्र दिए जाने पर वह ऐसी किसी भी क्षति (damage) के लिए, जो इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही से हो जाए, प्रतिधन नियत करेगा और चुकाएगा।

(2) जिस भूमि पर उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् कब्जा किया गया हो और वह तीन वर्ष से अधिक अवधि तक ऐसे कब्जे में रही हो उसका

स्वामी यह अपेक्षा कर सकेगा कि उक्त भूमि धारा 55 के उपबन्धों के अनुसार स्थायी रूप से अर्जित की जाएगी।

26. अन्तर्वर्ती जल मार्ग (intervening water-course) द्वारा जल-प्रदाय (supply of water).— जब कभी कलेक्टर को किसी नहर से जल देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाए और उसे यह आवश्यक मालूम हो कि इस प्रकार जल दिया जाना चाहिए और किसी विद्यमान जलमार्ग द्वारा ही दिया जाना चाहिए, तो वह ऐसे जलमार्ग (water-course) के संधारण (maintenance) के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को उस दिन, जो उक्त सूचना के दिनांक से चौदह दिन पूर्व का न हो, यह कारण बतलाने की सूचना देगा कि उक्त रूप से जल क्यों न दिया जाए और उस दिन परिपृच्छा करने के उपरान्त कलेक्टर यह निश्चय करेगा, आया कि उक्त जल मार्ग (water-course) द्वारा जल दिया जाए और यदि दिया जाए तो किन शर्तों पर दिया जाए।

प्रार्थी तब तक उक्त जलमार्ग (water-course) का जल प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होगा जब तक उसने उक्त जलमार्ग के ऐसे किसी भी परिवर्तन के, जो उसे उस में से जल देने के लिए आवश्यक हो, व्यय चुका न दिए हों और उक्त जल-प्रदाय (water-supply) के प्रथम व्यय का वह भाग भी न चुका दिया हो जो कलेक्टर निश्चित करे। उक्त प्रार्थी उक्त जल-मार्ग (water-course) के संधारण-व्यय (cost of maintenance) के अपने भाग का उस समय तक उत्तरदायी भी रहेगा, जब तक वह उसका प्रयोग करता रहे।

27. नया जल-मार्ग (water-course) बनाने के लिए प्रार्थनापत्र.— कोई भी व्यक्ति, जो नया जलमार्ग (water-course) बनाना चाहता हो, कलेक्टर को एक लिखित प्रार्थनापत्र दे सकेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :—

(अ) कि उस ने उस भूमि के, जिसमें से वह उक्त जल-मार्ग (water-course) ले जाना चाहता हो, स्वामियों से उतनी भूमि पर जितनी उक्त जलमार्ग (water-course) के लिए आवश्यक होगी, कब्जे (acquire) का अधिकार प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया है ;

(आ) कि वह अपनी ओर से और अपने व्यय पर उक्त अधिकार अर्जित करने के लिए समस्त आवश्यक कार्य कलेक्टर द्वारा किए जाने की इच्छा करता है ;

(इ) कि वह उक्त अधिकार अर्जन करने में और जल-मार्ग (water-course) बनाने के समस्त व्यय स्वयं वहन (defray) करने के योग्य है।

28. तदुपरान्त कलेक्टर की प्रक्रिया.—यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि —

(अ) ऐसा जल-मार्ग (water-course) बनाना आवश्यक है, और

(आ) प्रार्थना पत्र के विवरण सत्य हैं,

तो वह प्रार्थी को ऐसी राशि, जो कलेक्टर प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने के लिए आवश्यक समझे, और प्रतिधन की ऐसी राशि, जिस के सम्बन्ध में वह यह विचार करे कि उक्त राशि धारा 31 के अधीन देय होने की सम्भावना है, जमा करने

के लिये कहेगा और उक्त राशि जमा कर दिए जाने पर वह उक्त जल-मार्ग (water-course) के अधिकतम उपयुक्त रेखाकरण (alignment) के सम्बन्ध में परिपृच्छा करवाएगा और उस भूमि का अंकन करेगा, जिस पर उस की सम्मति में जल-मार्ग बनाने के लिए कब्जा करना आवश्यक होगा और तुरन्त प्रत्येक ऐसे ग्राम में, जिस में से जल-मार्ग (water-course) ले जाने का विचार हो, इस आशय की एक सूचना प्रकाशित करेगा कि उक्त ग्राम की इतनी भूमि इस प्रकार अंकित की गई है।

29. विद्यमान जलमार्ग (water-course) के हस्तांतरण (transfer) के लिए प्रार्थना पत्र – कोई भी व्यक्ति, जो यह चाहता हो कि कोई विद्यमान जल-मार्ग (water-course) उसके वर्तमान स्वामी से उसे हस्तांतरित कर दिया जाए तो वह निम्नलिखित रूप में विवरण देते हुए कलेक्टर के पास प्रार्थना पत्र दे सकेगा—

(अ) कि उसने उक्त जल-मार्ग (water-course) के स्वामी से उक्त हस्तांतरण करने का असफल प्रयत्न किया है ;

(आ) कि उस की यह इच्छा है कि कलेक्टर उस की ओर से और उसके व्यय पर उक्त हस्तांतरण के लिए समस्त आवश्यक कार्य करे ;

(इ) कि वह उक्त हस्तांतरण के समस्त व्यय जुटा सकने के योग्य है।

इस के पश्चात् प्रक्रिया.—यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि—

(क) उक्त हस्तांतरण उस जल-मार्ग (water-course) से सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक है, और

(ख) प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण ठीक हैं,

तो कलेक्टर प्रार्थी को अपने पास ऐसी राशि, जो वह उक्त हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने और प्रतिधन की ऐसी राशि, जो धारा 31 के उपबन्धों के अधीन देय हो जाए, जमा कराने के लिए कहेगा और ऐसी राशि जमा कर दिए जाने पर वह प्रार्थना पत्र की एक सूचना प्रत्येक प्रभावित ग्राम में प्रकाशित करेगा।

30. जल-मार्गों (water-courses) के हस्तांतरण या निर्माण पर आपत्तियां, उनकी परिपृच्छा और उनका निश्चय.—(1) जब यथास्थिति, धारा 28 या धारा 29 के अधीन सूचना-प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के मध्य ऐसी भूमि या जलमार्ग (water course) में, जो सूचना में निर्दिष्ट हो, स्वत्व रखने वाला व्यक्ति कलेक्टर के पास उस संरचना (construction) या हस्तांतरण (transfer), जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो, से सम्बद्ध अपनी आपत्तियों का विवरण देते हुए उपरोक्त रूप से प्रार्थना पत्र देता है, तो कलेक्टर स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि वह ऐसे दिन, जो उक्त सूचना में वर्णित होगा, या अन्य ऐसे दिन, जिस के लिए कार्यवाहियां स्थगित की जाएं, विवादग्रस्त विषय की परिपृच्छा प्रारम्भ करेगा या स्थितिअनुसार उक्त आपत्तियों की मान्यता के सम्बन्ध में परिपृच्छा आरम्भ करेगा।

(2) इस प्रकार नामांकित दिनांक या उपरोक्त अनुवर्ती दिनांक को कलेक्टर स्थितिअनुसार विवाद या आपत्ति की सुनवाई और निश्चय आरम्भ करेगा।

31. कब्जा लेने से पहले जल-मार्ग (water-course) बनाने या उसके हस्तांतरण के व्यय प्रार्थी चुकाएगा.—यथास्थिति धारा 27 या धारा 29 के अधीन किसी भी प्रार्थी को तब तक उक्त भूमि या जल मार्ग (water-course) का कब्जा नहीं दिया जाएगा. जब तक उसने कलेक्टर द्वारा नामांकित (named) व्यक्ति को ऐसी राशि, जो कलेक्टर उक्त रूप मे कब्जे में ली गई या हस्तांतरित भूमि या जलमार्ग के लिए और ऐसी किसी क्षति के लिए, जो उक्त भूमि का अंकन करते समय या कब्जा लेने में हुई हो, प्रतिधन के रूप में निश्चित करे, उक्त कब्जे या हस्तांतरण से उद्भूत समस्त व्ययों के साथ न चुका दी हो।

प्रतिधन निश्चय करने में प्रक्रिया.—इस धारा के अधीन दिये जाने वाले प्रतिधन का निर्धारण धारा 66 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, किन्तु कलेक्टर यदि उस व्यक्ति की, जिसे प्रतिधन दिया जाना है, ऐसी इच्छा हो तो प्रतिधन का पारनिर्णय इस प्रकार से कब्जे में की गई या हस्तांतरित भूमि या जल मार्ग (water-course) के सम्बन्ध में देय लगान (rent charge payable) के रूप में कर सकेगा।

प्रतिधन और व्ययों की वसूली.—यदि उक्त प्रतिधन और व्यय उसे पाने के अधिकृत व्यक्ति की मांग पर नहीं चुकाए जाते तो धनराशि कलेक्टर वसूल कर सकेगा और वसूल हो जाने पर उसे पाने के अधिकृत व्यक्ति को चुका देगा।

32. वे शर्तें, जो उस प्रार्थी पर बाध्य होंगी, जिसे कब्जा दिया गया हो.—(1) जब उक्त किसी प्रार्थी ने धारा 31 में वर्णित शर्तों का उचित रूप से पालन किया हो तो उसे उपरोक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) का कब्जा दे दिया जाएगा और तदुपरान्त उस पर और उसके स्वत्व के प्रतिनिधि पर निम्नलिखित नियम और शर्तें बाध्य होंगी:—

(क) समस्त दशाओं में—

प्रथम.—उक्त जलमार्ग (water-course) के निर्माण से पूर्व विद्यमान रास्ते और उस से अवरुद्ध जलोत्सारण के लिए और आस पास की भूमियों की सुविधा के लिए उस के आर पार उपयुक्त यातायात का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक कर्म प्रार्थी द्वारा बनाए जाएंगे और वह या उस के स्वत्वों का प्रतिनिधि कलेक्टर के समाधानानुसार उनका संधारण करेगा।

दूसरी.—धारा 28 के उपबन्धों के अधीन जलमार्ग के लिए कब्जे में की गई भूमि केवल उक्त जल-मार्ग (water-course) के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी।

तीसरी.—प्रस्तावित जलमार्ग (water-course) प्रार्थी द्वारा, जब प्रार्थी को भूमि का कब्जा प्राप्त होता है, उसके पश्चात् एक वर्ष के मध्य, कलेक्टर के समाधानानुसार पूरा किया जाएगा।

(ख) उन दशाओं में जहां भूमि पर कब्जा या जलमार्ग (water-course) का हस्तांतरण लगान (rent charge) की शर्तों (terms) पर होता है—

चौथी.—प्रार्थी या उसके स्वत्व का प्रतिनिधि उस समय तक, जब तक वह उक्त भूमि या जलमार्ग

10. उन्नति-शुल्क (betterment charges) की अनुसूची का अन्तिम होना.— धारा 9 की उपधारा (4) के अन्तर्गत प्रकाशित अन्तिम अनुसूचियों के अधीन लगाए जा सकने वाले उन्नति-शुल्क अंतिम होंगे।

11. उन्नति शुल्कों की मांग.— (1) जब धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन राजपत्र में उन्नति-शुल्कों की अनुसूची प्रकाशित कर दी गई हो तो कलेक्टर उनके सम्बन्ध में एक मांगपत्र (demand statement) विहित रूप में तैयार करेगा, जिसमें उन राशियों का पूरा ब्योरा होगा, जिसे देने के लिए प्रत्येक भूस्वामी या उस भूमि में स्वत्व रखने वाला व्यक्ति उत्तरदायी होगा, और मांग की सूचना की तामील उस व्यक्ति पर करवाएगा।

(2) कोई भी भूस्वामी या उक्त भूमि में स्वत्व रखने वाला व्यक्ति ऐसी अवधि में, जो मांग की सूचना के दिनांक से विहित की जाए, मांग या उसके किसी भाग पर आपत्ति करते हुए एक याचिका (petition) कलेक्टर के पास भेज सकेगा और याचिका का विहित रीति से निर्णय किया जाएगा और इस सम्बन्ध में दिये गए आदेश पर विहित रीति से अपील की जा सकेगी।

(3) मांग की सूचना के अन्तर्गत देय कोई भी राशि, उन आदेशों के प्रतिबन्धाधीन, जो उपधारा (2) के अन्तर्गत अपील के अधीन दिए गए हों, विहित समय में चुकाई जाएगी।

12. कुछ योजनाओं का उन्नति-शुल्क आरोपण से मुक्त होना.—शासन किसी भी योजना या योजना-श्रेणी (class of schemes) को जो नहर की परिभाषा के अन्तर्गत हो, उन्नति-शुल्क आरोपण से मुक्त कर सकेगा, यदि आवश्यक परिपृच्छा के उपरान्त शासन का यह समाधान हो गया हो कि ऐसी योजना या योजनाओं से भूमि के मूल्य में या उस की वार्षिक उपज में सारतः कोई वृद्धि नहीं हुई है।

13. उन्नति-शुल्कों की वसूली का स्थगन.—जब किसी क्षेत्र में फसल न हुई हो तो इस अधिनियम में या इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी शासन ऐसी अवधि तक, जो वह उचित समझे, ऐसे उन्नति शुल्कों की वसूली का सम्पूर्णरूपेण या अंशरूपेण स्थगन कर सकेगा।

14. उन्नति-शुल्कों का अभिभाजन (Apportionment of betterment charges).—उन्नति-शुल्क (betterment charges) भूस्वामी और उक्त भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्ति से विहित अनुपात में वसूल किए जा सकेंगे :

परन्तु एक ही भूमि के भूस्वामी और उस में स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों के मध्य कोई भी उक्त अभिभाजन करते समय उस भूमि से सम्बद्ध उक्त व्यक्तियों के मध्य उपज या पूंजी मूल्य (capital values) की बटाई से सम्बन्धित प्रचलित व्यवहार (prevailing practice) का उचित ध्यान रखा जाएगा :

परन्तु यह भी कि जहां एक से अधिक भूस्वामी हों उस अवस्था में भूस्वामी से वसूल किए जाने योग्य भाग के लिए वे संयुक्त और पृथक रूप से (jointly and severally) उत्तरदायी

होंगे। और इसी प्रकार जहां भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्ति एक से अधिक हों उस अवस्था में वे उन से वसूल किए जाने योग्य भाग के लिए संयुक्त और पृथक रूप से (jointly and severally) उत्तरदायी होंगे।

15. उन्नति-शुल्क (betterment charge) भूमि पर एक भार होगा.—इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन देय उन्नति-शुल्क को भूराजस्व के सिवाए भूमि से सम्बन्धित अन्य समस्त देय भारों (charges) से पूर्वता दी जाएगी और उस सीमा तक वह भूमि पर एक भार समझा जाएगा और भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूल किया जा सकेगा।

16. उन्नति-शुल्क का प्रभाव किसी भी अन्य आरोप्य शुल्क पर नहीं पड़ेगा.— इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन किसी भूमि के सम्बन्ध में देय उन्नति-शुल्क से, तत्काल प्रचलित अन्य किसी भी विधि के अधीन आरोप्य अन्य किन्हीं करों या शुल्कों (rates or charges) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. दीवानी न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र पर रुकावट.—इस अध्याय के अधीन किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य से सम्बद्ध विषय के सम्बन्ध में किसी भी दीवानी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं होगा।

18. कार्यवाहियों से मुक्ति.— उस अवस्था में जहां संधारण के लिए लाभधारी उत्तरदायी हों ऐसी किसी हानि के लिए, जो लाभधारियों के संधारण से सम्बन्धित प्रमाद के कारण नहर का जल व्यर्थ होने या रुक जाने से हुई हो या शासन द्वारा संछृत नहरों की दशा में ऐसे किसी कारण से हुई हो, जो शासन के बस से बाहिर के हों या कलेक्टर द्वारा नहर में की गई मरम्तों, आपरिवर्तनों या वृद्धियों के कारण हुई हो या कलेक्टर द्वारा उस में जलप्रवाह के उचित नियंत्रण के लिए किये गए उपायों से हुई हो या सिंचन के स्थापित क्रम (established course) का उस अवस्था में संधारण करने से हुई हो, जहां कलेक्टर ऐसा करना आवश्यक समझे, शासन के विरुद्ध प्रतिधन या उन्नतिशुल्कों की वापसी के हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।

19. नियम बनाने की शक्ति.—(1) शासन राजपत्र में अधिसूचना दे कर इस अध्याय के उपबन्धों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए इन नियमों द्वारा निम्नलिखित समस्त या उन में से किसी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी, अर्थात्—

(क) वह रीति, जिसके अनुसार इस अध्याय के अधीन सूचनाएं या उन्नति-शुल्कों की अनुसूचियां प्रकाशित की जाएंगी ;

(ख) वह रीति, जिसके अनुसार सिंचाई की योजना में किन्हीं भूमियों या भूमि की किन्हीं श्रेणियों (class of lands) से सम्बद्ध उन्नति-शुल्कों के मान (rates) की गणना की जाएगी ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन मांगपत्र बनाने का रूप (form) और उन्हें तैयार करने की प्रक्रिया ;

(घ) मांग की सूचनाएं तयार करने का ढंग और उनकी तामील की रीति ;

(च) वह समय, जिस के मध्य धारा 11 के अधीन मांग की सूचनाओं के विरुद्ध आपत्तियां दायर की जा सकेंगी, उन आपत्तियों का निश्चय करने की प्रक्रिया और वे प्राधिकारी जिन के पास और वह रीति जिसके अनुसार और वे शर्तें जिन के प्रतिबन्धाधीन, उन सूचनाओं के विरुद्ध अपीलें दायर की जा सकेंगी ;

(छ) वह समय, जिस के मध्य मांग की सूचना के पश्चात् उन्नति-शुल्क (betterment charges) देय होंगे, और वह रीति, जिस के अनुसार उक्त शुल्क वसूल किए जा सकेंगे ;

(ज) वह रीति, जिसके अनुसार भूस्वामियों और भूमि में स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के मध्य उन्नति शुल्कों का अभिभाजन किया जा सकेगा ;

(झ) वह रीति, जिसके अनुसार और वे शर्तें जिन के प्रतिबन्धाधीन कोई भी पदाधिकारी इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन अपनी शक्तियां प्रयोग करेगा ; और

(ट) अन्य ऐसा कोई भी विषय, जिसे इस अध्याय के अधीन विहित करने की आवश्यकता हो ।

अध्याय 4

अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों पर प्रवर्तनीय उपबन्ध

20. यह अध्याय अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों पर ही प्रवर्तनीय होगा.—उस दशा को छोड़कर, जब शासन धारा 80 के अधीन अन्यथा निदेश दे, इस अध्याय के उपबन्ध केवल उन्हीं नहरों पर प्रवृत्त होंगे, जो अनुसूची 1 में तत्कालार्थ समाविष्ट हों ।

21 कलेक्टर की सामान्य शक्तियां. (1) किसी नहर या जल मार्ग (water-course) में या नहर अथवा जलमार्ग पर किन्हीं भी अधिकारों के विद्यमान होते हुए भी कलेक्टर—

(क) उन नहरों के कुशल संधारण (efficient maintenance) और उन्हें चलाने के लिए या उनके जल को उचित रूप से बांटने के लिए उन के नियन्त्रण, प्रबन्ध और संचालन की समस्त शक्तियां प्रयोग कर सकेगा, और

(ख) जब कभी और जब तक जलमार्ग, जलद्वार या मोरी की प्रथागत उचित मरम्मत नहीं की जाती या ऐसे जलमार्ग, जलद्वार या मोरी को जान बूझ कर क्षति पहुँचाई जाती है या अनुचित रूप से उस की वृद्धि की जाती है, जिस से किसी व्यक्ति को, या जलद्वार या मोरी की दशा में, किसी जलमार्ग या किसी व्यक्ति को, जल प्रदाय किया जाता हो, तो ऐसे जल मार्ग, जलद्वार या मोरी अथवा किसी व्यक्ति को जल का प्रदाय रोक सकेगा ।

(2) किसी ऐसी क्षति के लिए, जो उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश से हुई हो, शासन के विरुद्ध क्षतिपूर्ति (compensation) के लिए कोई भी दावा (claim) प्रवर्तनीय नहीं होगा, किन्तु ऐसा व्यक्ति, जिस की हानि उपधारा (1) (क) के अधीन दिए गए आदेश से हुई हो,

जलप्रयोग के लिए देय साधारण शुल्कों (ordinary charges) की ऐसी वापसी की मांग कर सकेगा जो राज्यशासन द्वारा प्राधिकृत हो :

परन्तु यदि धारा 40 (1) के अधीन तैयार किए गए या पुनरावृत्त अधिकार-अभिलेख में या ऐसे अधिकार-अभिलेख, जो धारा 40 (3) के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया हुआ समझा गया हो, में प्रविष्ट या शासन और किसी व्यक्ति के मध्य किसी निर्बन्ध में अंगीकृत कोई जल अधिकार उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी कार्य के परिणाम स्वरूप सारतः कम हो जाता है तो कलेक्टर उस व्यक्ति के पक्ष में उस के अधिकार की कमी के सम्बन्ध में धारा 66 के अधीन प्रतिधन (compensation) का परिनिर्णय करेगा ।

(3) इन्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 के अधीन नहर का जल प्रयोग करने के किसी भी अधिकार का अर्जन नहीं होगा या वह उसके अधीन अर्जित किया गया हुआ नहीं समझा जाएगा और न ही राज्य शासन किसी व्यक्ति को जल देने के लिए बाध्य होगा ।

22. राज्य शासन की प्रतिधन देने के पश्चात् किसी भी अनुसूचित नहर से सम्बद्ध अधिकार का निलम्बन या समाप्ति करने की शक्ति.—(1) शासन किसी भी समय किसी भी ऐसे अधिकार को निलम्बित या समाप्त कर सकेगा, जिसका किसी भी व्यक्ति को नहर में या नहर पर हक प्राप्त हो, यदि ऐसे अधिकार-प्रयोग से अन्य सेचकों के हित पर या नहर के अच्छे प्रबन्ध, नहर का उन्नति या उसकी वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।

(2) ऐसी प्रत्येक दशा में राज्य शासन ऐसे व्यक्ति को, जिस का अधिकार निलम्बित या समाप्त हो गया हो प्रतिधन दिलवाएगा, जो धारा 66 के अधीन कलेक्टर द्वारा निर्धारित (assess) किया जाएगा । इस धारा के प्रयोजनार्थ प्रतिधन नियत करने में कलेक्टर अधिकार के प्रकार और उस अवधि, जिस के मध्य अधिकार का लाभ उठाया गया हो, और ऐसे निलम्बन या समाप्ति से सम्भावित क्षति (damage) का ध्यान रखेगा ।

23. प्रवेश करने और सर्वे इत्यादि करने की शक्ति.- कलेक्टर या अन्य व्यक्ति, जो कलेक्टर के सामान्य या विशेष आदेश से कार्य कर रहा हो, किसी भी ऐसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा, जो नहर से संलग्न हो या जिस में से कोई नहर बनाने का विचार हो, और वहां पर सर्वे या समतलन (level) कर सकेगा तथा अधोभूमि की खुदाई या उसमें छेदन (bore) कर सकेगा ;

और उपयुक्त भूमि-चिन्ह (land-marks), तलचिन्ह (level-marks) और जल-मापन यन्त्र (water gauges) बना तथा लगा सकेगा ;

और अन्य समस्त ऐसे कार्य कर सकेगा, जो उक्त कलेक्टर के प्रबन्धाधीन विद्यमान (existing) या परियोजित (projected) नहर से सम्बद्ध किसी परिवृच्छा के उचित अभियोजन (prosecution) के लिए आवश्यक हों ;

भूमि साफ करने की शक्ति. और जहां अन्यथा ऐसी परिवृच्छा पूर्ण न हो सके कलेक्टर या उक्त अन्य व्यक्ति किसी भी खड़ी फसल या बाड़ या जंगल या उस के भाग को काट सकेगा और साफ कर सकेगा ;

जल प्रदाय (water-supply) का निरीक्षण और आनियमन करने की शक्ति.—और किसी भी ऐसी भूमि, भवन या जल-मार्ग (water-course) पर, जिस के लिए कोई जल कर (water-rate) वसूल किया जा सकता हो, या सम्पूर्ण अथवा अंशरूपेण परिहृत (remitted) हो या उसके भूराजस्व में समाविष्ट हो, प्रदत्त-जल के प्रयोग का निरीक्षण या आनियमन करने या उससे सिंचित अथवा जल-कर (water-rate) से प्रभारित भूमि को मापने और ऐसे समस्त कार्य करने के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो उक्त नहर का उचित आनियमन और प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक हों;

घरों में प्रवेश करने के अभिप्राय की सूचना.—परन्तु यदि उक्त कलेक्टर या व्यक्ति रहने के मकान से संयोजित किसी भवन या संलग्न आंगन या बाग में प्रवेश करना चाहे, जिसे किसी नहर से बहता हुआ पानी न दिया जाता हो, तो वह ऐसे भवन, आंगन या बाग के स्वामी (occupier) को सात दिन पहले अपने इस अभिप्राय की लिखित सूचना देगा ;

प्रवेश द्वारा हुई क्षति के लिए प्रतिधन.—इस धारा के अधीन प्रवेश करने की प्रत्येक दशा में, कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर ऐसी क्षति के लिए, जो इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही करने से हो जाए, प्रतिधन का निर्धारण और उसकी चुकती करेगा।

24. मरम्मतों और आकस्मिक घटनाओं (accidents) की रोकथाम के लिए प्रवेश करने की शक्ति.—किसी नहर में किसी आकस्मिक घटना (accident) के हो जाने पर या आकस्मिक घटना का भय होने पर कलेक्टर अथवा इस हेतु उस के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति उक्त नहर से संलग्न भूमियों पर प्रवेश कर सकेगा और वे समस्त कार्य कर सकेगा, जो आकस्मिक घटना को रोकने और मरम्मत करने के लिए आवश्यक हों ;

भूमि की क्षति के लिए प्रतिधन.— प्रत्येक ऐसी दशा में कलेक्टर इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिए जाने पर ऐसी किसी भी क्षति (damage) के लिये, जो इस धारा के अधीन की गई किसी कार्यवाही से हो जाए, धारा 66 के अधीन प्रतिधन निर्धारित करेगा और चुकाएगा।

25. नहर की मिट्टी जमा करने और किनारों की मरम्मत के लिये मिट्टी खोदने के हेतु नहर से संलग्न भूमि पर कब्जा करने की शक्ति और क्षति के लिए प्रतिधन.— (1) कलेक्टर या इस हेतु उसके सामान्य या विशेष आदेशाधीन कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति नहर से ऐसे अन्तर (distance) तक, जो शासन नियमों द्वारा निश्चित करे, किसी नहर से संलग्न भूमि पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कब्जा कर सकेगा :—

(क) नहर से खोदी गई मिट्टी उस भूमि पर जमा करने के लिए, या

(ख) नहर की मरम्मत के हेतु उस भूमि से मिट्टी खोदने के लिए,

इस सम्बन्ध में कलेक्टर को प्रार्थनापत्र दिए जाने पर वह ऐसी किसी भी क्षति (damage) के लिए, जो इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही से हो जाए, प्रतिधन नियत करेगा और चुकाएगा।

(2) जिस भूमि पर उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् कब्जा किया गया हो और वह तीन वर्ष से अधिक अवधि तक ऐसे कब्जे में रही हो उसका

स्वामी यह अपेक्षा कर सकेगा कि उक्त भूमि धारा 55 के उपबन्धों के अनुसार स्थायी रूप से आर्जित की जाएगी।

26. अन्तर्वर्ती जल मार्ग (intervening water-course) द्वारा जल-प्रदाय (supply of water).— जब कभी कलेक्टर को किसी नहर से जल देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाए और उसे यह आवश्यक मालूम हो कि इस प्रकार जल दिया जाना चाहिए और किसी विद्यमान जलमार्ग द्वारा ही दिया जाना चाहिए, तो वह ऐसे जलमार्ग (water-course) के संधारण (maintenance) के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को उस दिन, जो उक्त सूचना के दिनांक से चौदह दिन पूर्व का न हो, यह कारण बतलाने की सूचना देगा कि उक्त रूप से जल क्यों न दिया जाए और उस दिन परिपृच्छा करने के उपरान्त कलेक्टर यह निश्चय करेगा, आया कि उक्त जल मार्ग (water-course) द्वारा जल दिया जाए और यदि दिया जाए तो किन शर्तों पर दिया जाए।

प्रार्थी तब तक उक्त जलमार्ग (water-course) का जल प्रयोग करने का अधिकारी नहीं होगा जब तक उसने उक्त जलमार्ग के ऐसे किसी भी परिवर्तन के, जो उसे उस में से जल देने के लिए आवश्यक हो, व्यय चुका न दिए हों और उक्त जल-प्रदाय (water-supply) के प्रथम व्यय का वह भाग भी न चुका दिया हो जो कलेक्टर निश्चित करे। उक्त प्रार्थी उक्त जल-मार्ग (water-course) के संधारण-व्यय (cost of maintenance) के अपने भाग का उस समय तक उत्तरदायी भी रहेगा, जब तक वह उसका प्रयोग करता रहे।

27. नया जल-मार्ग (water-course) बनाने के लिए प्रार्थनापत्र.—कोई भी व्यक्ति, जो नया जलमार्ग (water-course) बनाना चाहता हो, कलेक्टर को एक लिखित प्रार्थनापत्र दे सकेगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे :—

(अ) कि उस ने उस भूमि के, जिसमें से वह उक्त जल-मार्ग (water-course) ले जाना चाहता हो, स्वामियों से उतनी भूमि पर जितनी उक्त जलमार्ग (water-course) के लिए आवश्यक होगी, कब्जे (acquire) का अधिकार प्राप्त करने का असफल प्रयत्न किया है ;

(आ) कि वह अपनी ओर से और अपने व्यय पर उक्त अधिकार अर्जित करने के लिए समस्त आवश्यक कार्य कलेक्टर द्वारा किए जाने की इच्छा करता है ;

(इ) कि वह उक्त अधिकार अर्जन करने में और जल-मार्ग (water-course) बनाने के समस्त व्यय स्वयं वहन (defray) करने के योग्य है।

28. तदुपरान्त कलेक्टर की प्रक्रिया.—यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि —

(अ) ऐसा जल-मार्ग (water-course) बनाना आवश्यक है, और

(आ) प्रार्थना पत्र के विवरण सत्य हैं,

तो वह प्रार्थी को ऐसी राशि, जो कलेक्टर प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने के लिए आवश्यक समझे, और प्रतिधन की ऐसी राशि, जिस के सम्बन्ध में वह यह विचार करे कि उक्त राशि धारा 31 के अधीन देय होने की सम्भावना है, जमा करने

के लिये कहेगा और उक्त राशि जमा कर दिए जाने पर वह उक्त जल-मार्ग (water-course) के अधिकतम उपयुक्त रेखाकरण (alignment) के सम्बन्ध में परिपृच्छा करवाएगा और उस भूमि का अंकन करेगा, जिस पर उस की सम्मति में जल-मार्ग बनाने के लिए कब्जा करना आवश्यक होगा और तुरन्त प्रत्येक ऐसे ग्राम में, जिस में से जल-मार्ग (water-course) ले जाने का विचार हो, इस आशय की एक सूचना प्रकाशित करेगा कि उक्त ग्राम की इतनी भूमि इस प्रकार अंकित की गई है।

29. विद्यमान जलमार्ग (water-course) के हस्तांतरण (transfer) के लिए प्रार्थना पत्र – कोई भी व्यक्ति, जो यह चाहता हो कि कोई विद्यमान जल-मार्ग (water-course) उसके वर्तमान स्वामी से उसे हस्तांतरित कर दिया जाए तो वह निम्नलिखित रूप में विवरण देते हुए कलेक्टर के पास प्रार्थना पत्र दे सकेगा—

(अ) कि उसने उक्त जल-मार्ग (water-course) के स्वामी से उक्त हस्तांतरण करने का असफल प्रयत्न किया है ;

(आ) कि उस की यह इच्छा है कि कलेक्टर उस की ओर से और उसके व्यय पर उक्त हस्तांतरण के लिए समस्त आवश्यक कार्य करे ;

(इ) कि वह उक्त हस्तांतरण के समस्त व्यय जुटा सकने के योग्य है।

इस के पश्चात् प्रक्रिया.—यदि कलेक्टर का यह विचार हो कि—

(क) उक्त हस्तांतरण उस जल-मार्ग (water-course) से सिंचाई का अच्छा प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक है, और

(ख) प्रार्थना पत्र में दिए गए विवरण ठीक हैं,

तो कलेक्टर प्रार्थी को अपने पास ऐसी राशि, जो वह उक्त हस्तांतरण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाहियों का व्यय जुटाने और प्रतिधन की ऐसी राशि, जो धारा 31 के उपबन्धों के अधीन देय हो जाए, जमा कराने के लिए कहेगा और ऐसी राशि जमा कर दिए जाने पर वह प्रार्थना पत्र की एक सूचना प्रत्येक प्रभावित ग्राम में प्रकाशित करेगा।

30. जल-मार्गों (water-courses) के हस्तांतरण या निर्माण पर आपत्तियां, उनकी परिपृच्छा और उनका निश्चय.—(1) जब यथास्थिति, धारा 28 या धारा 29 के अधीन सूचना-प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन के मध्य ऐसी भूमि या जलमार्ग (water course) में, जो सूचना में निर्दिष्ट हो, स्वत्व रखने वाला व्यक्ति कलेक्टर के पास उस संरचना (construction) या हस्तांतरण (transfer), जिसके लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो, से सम्बद्ध अपनी आपत्तियों का विवरण देते हुए उपरोक्त रूप से प्रार्थना पत्र देता है, तो कलेक्टर स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि वह ऐसे दिन, जो उक्त सूचना में वर्णित होगा, या अन्य ऐसे दिन, जिस के लिए कार्यवाहियां स्थगित की जाएं, विवादग्रस्त विषय की परिपृच्छा प्रारम्भ करेगा या स्थितिअनुसार उक्त आपत्तियों की मान्यता के सम्बन्ध में परिपृच्छा आरम्भ करेगा।

(2) इस प्रकार नामांकित दिनांक या उपरोक्त अनुवर्ती दिनांक को कलेक्टर स्थितिअनुसार विवाद या आपत्ति की सुनवाई और निश्चय आरम्भ करेगा।

31. कब्जा लेने से पहले जल-मार्ग (water-course) बनाने या उसके हस्तांतरण के व्यय प्रार्थी चुकाएगा.—यथास्थिति धारा 27 या धारा 29 के अधीन किसी भी प्रार्थी को तब तक उक्त भूमि या जल मार्ग (water-course) का कब्जा नहीं दिया जाएगा जब तक उसने कलेक्टर द्वारा नामांकित (named) व्यक्ति को ऐसी राशि, जो कलेक्टर उक्त रूप से कब्जे में ली गई या हस्तांतरित भूमि या जलमार्ग के लिए और ऐसी किसी क्षति के लिए, जो उक्त भूमि का अंकन करते समय या कब्जा लेने में हुई हो, प्रतिधन के रूप में निश्चित करे, उक्त कब्जे या हस्तांतरण से उद्भूत समस्त व्ययों के साथ न चुका दी हो।

प्रतिधन निश्चय करने में प्रक्रिया.—इस धारा के अधीन दिये जाने वाले प्रतिधन का निर्धारण धारा 66 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, किन्तु कलेक्टर यदि उस व्यक्ति की, जिसे प्रतिधन दिया जाना है, ऐसी इच्छा हो तो प्रतिधन का परिनिर्णय इस प्रकार से कब्जे में की गई या हस्तांतरित भूमि या जल मार्ग (water-course) के सम्बन्ध में देय लगान (rent charge payable) के रूप में कर सकेगा।

प्रतिधन और व्ययों की वसूली.—यदि उक्त प्रतिधन और व्यय उसे पाने के अधिकृत व्यक्ति की मांग पर नहीं चुकाए जाते तो धनराशि कलेक्टर वसूल कर सकेगा और वसूल हो जाने पर उसे पाने के अधिकृत व्यक्ति को चुका देगा।

32. वे शर्तें, जो उस प्रार्थी पर बाध्य होंगी, जिसे कब्जा दिया गया हो.—(1) जब उक्त किसी प्रार्थी ने धारा 31 में वर्णित शर्तों का उचित रूप से पालन किया हो तो उसे उपरोक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) का कब्जा दे दिया जाएगा और तदुपरान्त उस पर और उसके स्वत्व के प्रतिनिधि पर निम्नलिखित नियम और शर्तें बाध्य होंगी:—

(क) समस्त दशाओं में—

प्रथम.—उक्त जलमार्ग (water-course) के निर्माण से पूर्व विद्यमान रास्ते और उस से अवरुद्ध जलोत्सारण के लिए और आस पास की भूमियों की सुविधा के लिए उस के आर पार उपयुक्त यातायात का प्रबन्ध करने के लिए आवश्यक कर्म प्रार्थी द्वारा बनाए जाएंगे और वह या उस के स्वत्वों का प्रतिनिधि कलेक्टर के समाधानानुसार उनका संधारण करेगा।

दूसरी.—धारा 28 के उपबन्धों के अधीन जलमार्ग के लिए कब्जे में की गई भूमि केवल उक्त जल-मार्ग (water-course) के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाई जाएगी।

तीसरी.—प्रस्तावित जलमार्ग (water-course) प्रार्थी द्वारा, जब प्रार्थी को भूमि का कब्जा प्राप्त होता है, उसके पश्चात् एक वर्ष के मध्य, कलेक्टर के समाधानानुसार पूरा किया जाएगा।

(ख) उन दशाओं में जहां भूमि पर कब्जा या जलमार्ग (water-course) का हस्तांतरण लगान (rent charge) की शर्तों (terms) पर होता है—

चौथी.—प्रार्थी या उसके स्वत्व का प्रतिनिधि उस समय तक, जब तक वह उक्त भूमि या जलमार्ग

(water-course) पर काबिज रहे, उसके लिए उस मान (rate) से और उन दिनों लगान देगा, जो कलेक्टर प्रार्थी को कब्जा देने के समय निश्चित करे।

पांचवी. यदि इन नियमों के भंग से भूमि के कब्जे का अधिकार समाप्त हो जाए, तो उपरोक्त लगान (rent) चुकाने का उत्तरदायित्व तब तक जारी रहेगा जब तक प्रार्थी या उसके स्वत्व के प्रतिनिधि ने भूमि को उस की मौलिक दशा में वापस न कर दिया हो या उक्त भूमि की किसी भी क्षति के लिए प्रतिधन के रूप से ऐसी राशि और ऐसे व्यक्तियों को, न चुका दी हो, जो कलेक्टर निश्चित करे।

छूटी.—कलेक्टर उस व्यक्ति का प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर, जो उक्त लगान (rent) या प्रतिधन लेने का हकदार हो, देय लगान (rent) की राशि का निश्चय करेगा या उक्त प्रतिधन की राशि का निर्धारण करेगा और यदि प्रार्थी या उसका स्वत्व का प्रतिनिधि उक्त लगान (rent) या प्रतिधन नहीं चुकाता तो कलेक्टर उस राशि को उसके देय होने के दिनांक से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय ब्याज के साथ वसूल करेगा और वसूल हो जाने पर उसे उसके पाने के हकदार व्यक्ति को चुका देगा।

(2) यदि इस धारा द्वारा विहित नियमों और शर्तों का पालन नहीं होता या इस अधिनियम के अधीन निर्मित या हस्तांतरित जलमार्ग (water-course) का लगातार तीन वर्ष तक प्रयोग नहीं होता तो प्रार्थी या उसके स्वत्व के प्रतिनिधि का उक्त भूमि या जलमार्ग (water-course) में कब्जा करने का अधिकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।

33. कलेक्टर का नहरों में से मोरियां (outlets) बनाना.—कलेक्टर किसी नहर से किसी जलमार्ग (water-course) में जल-प्रदाय (water-supply) करने का आनियमन करने के लिए जलद्वार (sluice) या मोरी (outlet) बना सकेगा या मरम्मत कर सकेगा या उसे आपरिवर्तित कर सकेगा।

34. दीर्घ अन्तर तक साथ साथ बहने वाले जलमार्गों (water-courses) को एक जलमार्ग (water-course) में बदलने की शक्ति.—(1) उन दशाओं में जहां जलमार्ग (water-courses) साथ साथ बहते हों या इस प्रकार स्थित हों कि वे जल-प्रदाय (water-supply) का मितव्ययिता से प्रयोग करने (economical use) में या उचित प्रबन्ध करने में बाधा पहुंचाते हों तो कलेक्टर, यदि इस प्रयोजन के लिए उसे प्रार्थनापत्र दिया जाए, या स्वयं स्वामियों से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वे उसके समाधानानुसार जलमार्गों (water-courses) को मिलाएं या उनके सम्बन्ध में ऐसी पद्धति स्थानापन्न करें, जो उसने अनुमोदित कर दी हो।

(2) यदि स्वामी ऐसे समय में, जो कलेक्टर नियत करे, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए आदेश का पालन न कर सकें, तो वह स्वयं कर्म निष्पादित कर सकेगा।

(3) यदि कहीं उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई जलमार्ग (water-course) पुनः बनाया गया हो या नई पद्धति स्थानापन्न की गई हो तो कलेक्टर जल का वह भाग नियत करेगा, जो जलमार्ग (water-course) को प्रयोग में लाने के अधिकारी व्यक्ति प्रयोग करेंगे।

35. वृद्धियों (extensions), और आपरिवर्तनों (alterations) के लिए कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रयोज्य प्रक्रिया.—किसी जलमार्ग को बनाने के लिए भूमि पर कब्जा करने के हेतु

यहां से पूर्व व्यवस्थित प्रक्रिया किसी जलमार्ग (water-course) की किसी भी वृद्धि या आपरिवर्तन (alterations) के लिए या जल-मार्ग (water-course) की सफाइयों (clearances) की मिट्टी जमा करने के लिए भूमि पर कब्जा करने के सम्बन्ध में प्रयुक्त होगी।

36. धारा 34 के अधीन कर्म निष्पादन करने का व्यय किस के द्वारा देय होगा.— धारा 34 के अधीन प्रत्येक दशा में कर्म निष्पादन या पूर्ण करने का व्यय वह व्यक्ति या वे व्यक्ति चुकाएंगे, जो जलमार्ग (water-course) से लाभ उठा रहे हों, जिसका निश्चय प्रत्येक दशा में कलेक्टर करेगा।

37. लाभधारियों को श्रम प्रदाय करने का निदेश देने की राज्यशासन की शक्ति.— राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि लाभधारी निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी एक अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए शासन को किसी नहर के सम्बन्ध में अकुशल श्रम (unskilled labour) प्रदान करने के लिए बाध्य होगा :—

(क) निर्माण,

(ख) कुशलता पूर्वक संधारण,

(ग) रेत की वार्षिक सफाई,

(घ) नहर से सम्बद्ध कोई भी आवश्यक कर्म निष्पादित करना।

38. श्रम व्यय उन स्वामियों द्वारा वहन किया जाएगा, जो भूमि से लाभ उठाएंगे.— (1) शासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि कोई नहर किसी ऐसी सम्पदा या सम्पदाओं की भूमि सींचने के लिए, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएगी, किसी नदी (river), जलधारा (stream), उपनदी (creek) या अन्य नहर से बनाई जाएगी और ऐसी संरचना (construction) का व्यय सम्पूर्ण रूपेण या अंशरूपेण ऐसी भूमि के स्वामियों द्वारा वहन किया जाएगा, जिस को नहर से लाभ पहुँचे।

(2) **इस अधिनियम के उपबन्ध नई नहरों के सम्बन्ध में प्रयुक्त होंगे.**— अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों के निर्माण, मरम्मतों, संधारण (maintenance) और प्रबन्ध से सम्बद्ध इस अधिनियम के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन जारी की गई शासकीय अधिसूचना के अनुपालन में बनाई गई नई नहरों पर प्रयुक्त होंगे।

39. धारा 38 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर कलेक्टर की शक्ति.— धारा 38 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर कलेक्टर समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा—

(क) प्रत्येक सेचक द्वारा दिए जाने वाले श्रम का या किये जाने वाले काम का परिमाण निश्चित कर सकेगा,

(ख) प्रबन्धित श्रमिकों की उपस्थिति, वितरण (distribution) और नियन्त्रण या काम करने के ढंग का आनियमन कर सकेगा,

(ग) ऐसे किसी भी व्यक्ति का श्रम निर्धारित कर सकेगा, जो इस धारा के अधीन दिए गए आदेश का पालन नहीं कर पाता, और उक्त श्रम का व्यय वसूल कर सकेगा, और

(घ) इस प्रकार वसूल किए गए समस्त व्ययों की एक निधि बनाएगा और उसे उन नहरों, जिन पर अधिसूचना प्रयुक्त होती हो, के लिए काम पर लगाए गए श्रमिकों की रसद पर या धारा 40 में विशिष्ट अधिकार अभिलेखों के उपबन्धों, यदि कोई हो, के प्रतिबन्धाधीन उन के हित से सम्बद्ध अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए व्यय कर देगा :

परन्तु उपरोक्त रूप से निर्धारित व्यय उस राशि से अधिक नहीं बढ़ेगा, जो श्रमिकों में से प्रत्येक ऐसे श्रमिक, जिसके विषय में अपराध हुआ है, के प्रत्येक दिन के श्रम के लिए उस क्षेत्र में प्रचलित हो।

40. नहर के लिए अभिलेख तैयार करने की शक्ति.—(1) जब कभी राज्य शासन विशेष आदेश द्वारा या इस अधिनियम के प्राधिकाराधीन बनाए गए नियमों द्वारा ऐसा करने का आदेश दे, तो कलेक्टर किसी भी नहर के लिये एक अभिलेख तैयार करेगा या पुनरावृत्त करेगा, जिस में निम्नलिखित समस्त विषय या इन में से कोई भी विषय प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात्—

(क) सिंचाई की प्रथा या नियम,

(ख) जल के अधिकार और वे शर्तें, जिन के अनुसार अधिकार का उपयोग किया जाएगा,

(ग) चक्कियां (mills) लगाने, उनकी मरम्मत करने उन के पुनर्निर्माण और चलाने के अधिकार और वे शर्तें, जिन के अनुसार इन अधिकारों का उपयोग किया जाएगा, और

(घ) अन्य ऐसे विषय, जो शासन इस सम्बन्ध में नियमों द्वारा विहित करे।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए या पुनरावृत्त अभिलेख में की गई प्रविष्टियां अभिलिखित विषयों से सम्बद्ध विवाद के साक्ष्य के सामान संगत होंगी और तब तक सत्य मानी जाएंगी, जब तक उसके विपरीत प्रमाणित न हो जाय या विधिपूर्वक नई प्रविष्टियां न कर दी जाएं :

परन्तु किसी ऐसी प्रविष्टि का इस प्रकार अर्थ (construed) नहीं निकाला जाएगा, जिससे इस अधिनियम द्वारा शासन को प्रदत्त कोई भी शक्तियां सीमित हो जाएं।

(3) जब उपधारा (1) में कथित समस्त या किसी विषय को प्रदर्शित करने वाला अभिलेख शासन द्वारा स्वीकृत भूराजस्व के किसी बन्दोबस्त (settlement) के दौरान बनाया जा चुका हो और मालअधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो चुका हो, तो वह अभिलेख इस धारा के अधीन बनाया गया हुआ समझा जायगा।

(4) स्वत्व रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति कलेक्टर या कलेक्टर के निदेशाधीन कार्य करने वाले व्यक्ति को इस धारा के अधीन ठीक प्रकार से अभिलेख तैयार करने के लिए समस्त आवश्यक सूचना देने के लिए बाध्य होगा।

(5) जहां तक हो सके हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 के अध्याय 4 के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे अभिलेख को तैयार करने और पुनरावृत्त करने में प्रवृत्त होंगे।

जल-कर (water-rates)

41. जल-कर (water-rates) लगाना.—(1) स्वामियों या सेचकों के साथ किए गए किसी निर्बन्ध की शर्तों (terms) के प्रतिबन्धाधीन, शासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि प्राधिकृत रीति से किसी नहर का जल प्रयोग करने के लिए कर लगाया जाएगा या कर लगाए जाएंगे। ऐसे कर या करों को जल-कर संग्रह करने के व्यय और पद्धति के संधारण (maintenance) और प्रवर्तन-व्ययों (operation) का उचित ध्यान रखते हुए निश्चित किया जाएगा।

(2) शासन अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपरोक्त कर या करों (rate or rates) के अतिरिक्त या बदले में नहर का जल प्राप्त करने वाली भूमि पर तत्कालार्थ निर्धारित भूराजस्व, भूमि की श्रेणी अनसिंचित से सिंचित में परिवर्तित हो जाने के परिणाम स्वरूप, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु निर्धारण का नया कर (rate) उस से अधिक नहीं बढ़ेगा, जो बन्दोबस्त के समय उसी ग्राम में या उसकी निकटवर्ती उसी प्रकार की सिंचित भूमियों के लिए नियत हो :

परन्तु यह भी कि शासन कुछ फसलों के लिए, जो शासन नियत करेगा, उक्त भूमियों पर ऐसे कर (rate) या करों (rates) के अनुसार निर्धारण जारी रखने की स्वीकृति दे सकेगा, जिस के अनुसार वे सींची जाने से ठीक पूर्व निर्धारित की जाती थीं।

(3) ऐसे जल के लिए जो प्राधिकार या प्राधिकृत रीति के बिना लिया गया हो या प्रयोग किया गया हो, शासन अधिसूचना द्वारा एक विशेष कर (special rate) भी लगा सकेगा।

(4) जैसा कि शासन सामान्य या विशेष नियम द्वारा निदेशित करे उसके अनुसार उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन लगाए गए कर (rate or rates) उन व्यक्तियों पर आरोपणीय (leviable) होंगे, जो जल से लाभ उठा रहे हों।

(5) उपरोक्तानुसार निर्बन्ध (agreement) की शर्तों (terms) के प्रतिबन्धाधीन, इस धारा के अधीन आरोपित कर (rate) या करों (rates) की आय उस रीति से व्यवस्थापित की जाएगी, जो शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे।

(6) यदि ऐसे कारणों से जो कृषक के वश में न हों फसल नष्ट हो जाये तो उस वर्ष में लिए जाने वाले जलकर की कृषक को छूट दी जाएगी।

42. अनधिकृत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की पहचान न होने पर उत्तरदायित्व.— यदि किसी जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल अनधिकृत रूप में प्रयोग किया जाता है और यदि वह व्यक्ति, जिस के कार्य या प्रमाद से ऐसा प्रयोग हुआ हो, पहचाना न जा

सके तो वह व्यक्ति, जिस को भूमि पर ऐसा जल बहा हो, यदि उक्त भूमि को उस से लाभ पहुंचा हो, या यदि उक्त व्यक्ति की पहचान न हो सके, या यदि उक्त भूमि को उससे लाभ न पहुंचा हो तो वे समस्त व्यक्ति, जिन से उक्त जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल के सम्बन्ध में वसूली की जा सकती हो, संयुक्त रूप से या अन्यथा, जैसी परिस्थिति हो, उक्त प्रयोग का व्यय देने के उत्तरदायी होंगे।

43. जल के व्यर्थ बहने पर शास्ति.—यदि किसी जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त (supplied) जल को व्यर्थ बहने दिया जाता है और यदि कलेक्टर की परिपृच्छा से उस व्यक्ति की खोज न की जा सके, जिस के कार्य या प्रमाद से जल व्यर्थ बहा हो, तो वे समस्त व्यक्ति, जिन से ऐसे जलमार्ग (water-course) से प्रदत्त जल के सम्बन्ध में वसूली की जा सकती हो, संयुक्त रूप से इस प्रकार व्यर्थ बहे हुए जल का व्यय देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

44. शास्तियों के अतिरिक्त वसूली योग्य राशियां.—अनधिकृत प्रयोग या जल के व्यर्थ बहने के समस्त व्यय (charges) उक्त प्रयोग या हानि के कारण वहन की गई (incurred) शास्तियों के अतिरिक्त वसूल किए जा सकेंगे।

धारा 42 और धारा 43 के अधीन समस्त प्रश्नों का निश्चय कलेक्टर करेगा।

अध्याय 5

अनुसूची 2 में समाविष्ट नहरों पर प्रयुक्त हो सकने वाले उपबन्ध

45. यह अध्याय अनुसूची 2 में समाविष्ट नहरों पर ही प्रवर्तनीय होगा.—(1) उस दशा को छोड़ कर जब शासन धारा 80 के अधीन अन्यथा निदेश दे इस अध्याय के उपबन्ध केवल उन्हीं नहरों पर प्रवृत्त होंगे, जो अनुसूची 2 में तत्कालार्थ समाविष्ट हों।

मैनेजर की नियुक्ति (2).—जब किसी नहर के स्वामित्व में कई भागीदार (share-holders) हों या जहां यह निश्चय करना कठिन हो कि कौन कौन से व्यक्ति भागीदार (share-holder) हैं या भागीदारों (share-holders) या उन में से किसी के स्वत्व की सीमा क्या है तो कलेक्टर, यदि वहां कोई उपयुक्त मैनेजर या प्रतिनिधि न हो, एक लिखित उद्घोषणा या सूचना द्वारा भागीदारों (share-holders) से यह अपेक्षा कर सकेगा कि भागीदार (share-holders) एक नियत अवधि में किसी योग्य व्यक्ति को नहर का मैनेजर और अपना प्रतिनिधि नामांकित करें और उन के ऐसा न कर सकने पर वह स्वयं किसी व्यक्ति को उक्त नहर का मैनेजर और भागीदारों (share-holders) का प्रतिनिधि नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति तदुपरान्त वे समस्त कार्य और कार्यवाहियां कर सकेगा, जिन्हें भागीदार (share-holders) या उनमें से कोई भी व्यक्ति उक्त नहर के प्रबन्ध के सम्बन्ध में विधिपूर्वक करने के योग्य हो, और इस प्रकार उस ने, जो भी कार्य और कार्यवाहियां की हों, वे उक्त नहर के स्वामित्व में भाग रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्य होंगी।

46. राज्यशासन की धारा 40 के उपबन्धों को किसी भी नहर पर प्रयुक्त करने की शक्ति.—राज्य शासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि अभिलेखों की तैयारी और

पुनरावृत्ति से सम्बद्ध धारा 40 के समस्त या कोई भी उपबन्ध किसी भी नहर पर प्रयुक्त हो सकेंगे और उक्त घोषणा हो जाने पर उक्त उपबन्ध, जहां तक हो सके, तदानुसार प्रयुक्त होंगे।

47. नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध, या दोनों अपने हाथ में ले लेने की शक्ति.— (1) शासन के लिए अधिसूचना द्वारा किसी नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों निम्नलिखित के प्रतिबन्धाधीन अपने हाथ में ले लेना विधिवत् होगा—

(क) उक्त नहर के स्वामी द्वारा ऐसा करने की अनुमति दे देने पर और ऐसी शर्तों के (यदि कोई हों) प्रतिबन्धाधीन, जिन पर किसी भी दशा में उक्त अनुमति दी गई हो;

(ख) यदि परिपृच्छा (enquiry) करने के पश्चात् शासन का यह समाधान हो जाता है कि स्वामी द्वारा या उसकी ओर से किए गए नियंत्रण या प्रबन्ध से उन व्यक्तियों की सम्पत्ति या स्वास्थ्य को अत्यंत हानि (grave injury) पहुंचती है, जिनके आसपड़ोस में भूमि है;

(ग) इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन दिए गए आदेशों का जान बूझ कर उल्लंघन करने या उल्लघन करते रहने के परिणाम स्वरूप।

(2) जब उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन किसी नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों अपने हाथ में ले लिए जाते हैं तो शासन उसके सम्बन्ध में समस्त या किसी भी ऐसे अधिकार और शक्ति का प्रयोग कर सकेगा, जिस का प्रयोग स्वामी उक्त रूप से नियन्त्रण या प्रबन्ध या दोनों को अपने हाथ में लेने की दशा में विधिवत् रूप से कर सकता था और उक्त शक्तियां या उन में से कोई सी शक्ति किसी भी व्यक्ति को दे सकेगा, किन्तु कोई प्रतिकूल डिक्री या निर्बन्ध न होने की दशा में शासन के लिए नहर से प्राप्त आय और व्यय का लेखा समय समय पर उक्त स्वामी को देना अनिवार्य होगा और शासन किसी भी समय स्वामी को नहर वापस कर सकेगा।

48. उक्त रूप से नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों शासन द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने के पश्चात् स्वामी का यह मांग करने का अधिकार कि नहर शासन द्वारा अर्जित (acquire) कर ली जाए.—जब धारा 47 की उपधारा (1) के खन्ड (ख) या खन्ड (ग) के अधीन शासन द्वारा नहर का नियंत्रण या प्रबन्ध या दोनों अपने हाथ में ले लिया जाए और उक्त नियंत्रण या प्रबन्ध छः वर्षों से अधिक अवधि के लिए जारी रहे तो नहर का स्वामी लिखित सूचना दे कर कलेक्टर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि उक्त नहर शासन अर्जित (acquire) कर ले।

49. स्वामी की मांग पर नहर अर्जित करने की शक्ति.— धारा 48 के अधीन सूचना मिलने पर राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित करेगा कि उक्त अधिसूचना में बतलाए गए दिनांक के पश्चात्, जो अधिसूचना के दिनांक से तीन महीने बाद का होगा, उक्त नहर अर्जित (acquire) कर ली जाएगी और उक्त अधिसूचना देने के उपरान्त कलेक्टर धारा 57 और 58 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करेगा।

50. सिंचाई और जल कर की सीमाएं नियत करने और जल वितरण का आनियमन

करने की शक्ति.—राज्यशासन कलेक्टर से किसी नहर के सम्बन्ध में परिपृच्छा (enquiry) कराने के पश्चात्, निम्नलिखित समस्त या किसी विषय के सम्बन्ध में आदेश दे सकेगा, अर्थात्:—

(क) वे सीमाएं नियत करना, जिन के भीतर भूमि उक्त नहर से सिंचित होगी ;

(ख) जैसा उचित समझा जाए उसके अनुसार स्वामी द्वारा आरोपण योग्य जलकरों (water-rates) का परिमाण और प्रकार और वे शर्तें, जिन पर उक्त कर चुकाए जाएंगे, निलम्बित, परिहृत या वापस किए जाएं ;

(ग) उक्त नहर में या उक्त नहर से जल प्रदाय और जल वितरण करने का आनियमन :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसी भूमि सिंचाई से वंचित कर दी जाए, जिस की पिछले लगातार तीन वर्ष से नहर से सिंचाई की जा रही हो, या यदि इस धारा के अधीन कोई आदेश देने के कारण उक्त नहर से नहर के स्वामी की आय सारतः कम हो जाती है तो उक्त भूमि के स्वामियों या नहर के स्वामी को शासन द्वारा या इसके द्वारा निश्चित किए व्यक्तियों द्वारा ऐसा प्रतिधन दिया जाएगा जो कलेक्टर उचित समझे :

परन्तु यह भी कि यदि नहर के स्वामी ने शासन की सम्मति में अपनी शक्तियों का मनमाने या अनुचित (inequitable) ढंग से प्रयोग किया हो तो इस धारा के अधीन वह प्रतिधन का अधिकारी नहीं होगा।

51. कुछ दशाओं में नहर के जल-करों (water rates) का राज्य शासन द्वारा संग्रहण.—(1) राज्य शासन स्वामी की प्रार्थना पर नहर के सम्बन्ध में आरोपण योग्य जलकरों (water-rates) का संग्रहण ऐसी अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा, जिस से स्वामी सहमत हो, और तदुपरान्त—

(क) उक्त संग्रहण का आनियमन कर सकेगा और उन व्यक्तियों का निश्चय कर सकेगा जो संग्रहण का कार्य करेंगे ;

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि उक्त संग्रहण करने में की गई सेवा का भुगतान करने के लिए तीन प्रतिशत से अनधिक राशि संगृहीत राशि में से काट ली जाए।

(2) जिस अवधि के लिए नहर के सम्बन्ध में आरोपण-योग्य जलकरों (water-rates) का संग्रहण शासन अपने हाथ में लेता है, उस अवधि के लिए उक्त कोई भी कर वसूल करने के हेतु कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा।

अध्याय 6

समस्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय उपबन्ध

52. यह अध्याय समस्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होगा.—सिवाए उसके, जिसकी आगे स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है, इस अध्याय के उपबन्ध समस्त नहरों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे चाहे वे नहरें अनुसूची 1 में समाविष्ट हों या अनुसूची 2 में।

53. स्वामी की सहमति या निर्णय का निश्चय कैसे किया जाएगा.—जब किसी नहर के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न उठे, जिस का निश्चय इस अधिनियम या इस के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अधीन स्वामी की प्रार्थना, सहमति या निर्णय द्वारा किया जाना है और उक्त नहर का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों में निहित हो और वे उस प्रार्थना, सहमति या निर्णय के सम्बन्ध में सहमत नहीं होते तो ऐसे किसी विषय में स्वामियों की ओर से कलेक्टर के लिए कार्यवाही करना विधिवत् होगा और उक्त किसी भी परिस्थिति में कलेक्टर की प्रार्थना, सहमति या निर्णय हेमे प्रत्येक व्यक्ति पर बाध्य (binding) होगा, जो उक्त नहर के स्वामित्व में कोई भी भाग रखता हो।

उक्त प्रत्येक परिस्थिति में कलेक्टर ऐसे भागीदार या भागीदारों की इच्छाओं का उचित ध्यान रखेगा, जिनका स्वत्व अधिक हो और जब प्रश्न इस प्रकार का हो, जिसमें शासन को कोई कार्यवाही करनी पड़े तो उक्त भागीदार या भागीदारों की इच्छाएं मान्य होंगी और कलेक्टर द्वारा स्वीकार कर ली जाएंगी।

54. विवादों का निपटारा.—पूर्ववर्ती धारा में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर नहर या जलमार्ग (water-course) के स्वामित्व, निर्माण, प्रयोग या संधारण के सम्बन्ध में दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों के बारे में जब कोई विवाद उठे और उक्त कोई भी व्यक्ति विवाद के विषय का विवरण देते हुए कलेक्टर को लिखित रूप में प्रार्थनापत्र दे तो कलेक्टर स्वत्व रखने वाले अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को यह सूचना देगा कि वह उक्त सूचना में नामांकित दिन या ऐसे दिन, जिस तक कार्यवाहियां स्थगित की जाएं, विवाद के विषय में परिपृच्छा करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(2) इस प्रकार से नामांकित दिन या पूर्वोक्त अनुवर्ती दिन कलेक्टर विवाद की सुनवाई और निश्चय करने के लिए निम्नलिखित रीति से कार्यवाही करेगा, अर्थात—

(क) यदि विवाद का सम्बन्ध नहर के स्वामित्व या उक्त नहर के जल प्रयोग में स्वामियों के पारस्परिक अधिकार या नहर के निर्माण या संधारण या उक्त रूप से निर्माण या संधारण के व्ययों के किसी भाग की चुकती या नहर के जल-प्रदाय के बटवारे से हो तो कलेक्टर हिमाचल प्रदेश बड़ी जमीन्दारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन माल न्यायालय के रूप में कार्यवाही करेगा और उस अधिनियम के उपबन्ध अपीलों, पुनरावृत्तियों और पुनरीक्षणों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे;

(ख) यदि विवाद का सम्बन्ध जल मार्ग (water-course) से हो तो कलेक्टर माल अधिकारी के रूप में मुकद्दमे की सुनवाई और निश्चय करेगा और उस पर ऐसा आदेश देगा, जो उसे उचित प्रतीत हो और उक्त आदेश दिए जाने के दिनांक से बोई गई या उगाई हुई किसी फसल के लिए जल-प्रयोग या जल-वितरण के सम्बन्ध में तब तक निर्णायक रहेगा जब तक फाइनैन्शियल कमिश्नर के पास अपील किए जाने पर उसे रद्द नहीं किया जाता। ऐसे प्रत्येक मुकद्दमे में अपील किए जाने पर फाइनैन्शियल कमिश्नर का आदेश अन्तिम होगा।

55. नहरों के लिए भूमि का अर्जन.—(1) जिस व्यक्ति ने शासन से नहर बनाने की अनुमति ले ली हो या जो व्यक्ति नहर का स्वामी हो वह उक्त नहर के प्रयोजनार्थ आवश्यक भूमि लेने के लिए कलेक्टर को लिखित प्रार्थना पत्र दे सकेगा ।

(2) यदि कलेक्टर की यह सम्मति हो कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया जाए तो वह उसे अपनी सिफारिश के साथ शासन के आदेशार्थ भेज देगा ।

(3) यदि शासन की सम्मति में प्रार्थना पत्र चाहे पूर्णरूपेण या अंशरूपेण स्वीकार कर लिया जाना चाहिए तो वह यह घोषणा कर सकेगा कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन (public purpose) के लिए भूमि की आवश्यकता है और उसके अधीन आवश्यक कार्यवाही करने का निदेश देगा ।

56. सहमति लेकर या अन्यथा नहर अर्जित करने की शक्ति.—जब किसी नहर को सार्वजनिक हित (public interest) में अर्जित करना शासन को उचित तथा आवश्यक जान पड़े तो राज्यशासन अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उक्त अधिसूचना में नामांकित दिन के पश्चात्, जो अधिसूचना के दिनांक से छः महीने के पूर्व का नहीं होगा, उक्त नहर अर्जित कर ली जाएगी ।

57. प्रतिधन की मांग करने के लिए सूचना.—उक्त अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यथासम्भवशीघ्र, कलेक्टर सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक सूचना दिलवाएगा जिस में यह बतलाया जाएगा कि राज्यशासन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उक्त नहरें अर्जित करना चाहता है और उसके अर्जन के सम्बन्ध में प्रतिधन की मांगें उसके सन्मुख प्रस्तुत की जाएं ।

58. मांगों के सम्बन्ध में परिपृच्छा (inquiry).—(1) कलेक्टर उक्त मांगों के सम्बन्ध में परिपृच्छा करने और वह प्रतिधन राशि निश्चित करने के लिए, जो मांगकर्ता (claimant) को दी जानी चाहिए, कार्यवाही करेगा । ऐसा प्रतिधन निर्धारित करते समय कलेक्टर धारा 66 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करेगा, किन्तु इस धारा के प्रयोजनार्थ वह नहर के इतिहास, उस पर किए गए व्यय और स्वामियों के लाभों का भी ध्यान रखेगा ।

(2) **मांगों की परिसीमा.**—धारा 57 के अधीन सूचना के दिनांक से एक वर्ष समाप्त हो जाने पर प्रतिधन के लिये कोई भी मांग तब तक प्रवर्तनीय नहीं होगी जब तक कलेक्टर का यह समाधान न हो जाए कि उक्त अवधि के भीतर मांग न करने के लिए मांगकर्ता (claimant) के पास पर्याप्त कारण थे ।

59. नहर का शासन में निहित होना.—(1) शासन अधिसूचना द्वारा वह दिन घोषित करेगा, जिस दिन से नहर उसके द्वारा अर्जित कर ली गई हो ।

(2) उक्त नहर के स्वामी के पक्ष में प्रतिधन के परिनिर्णय (award of compensation) के अधीन रहते हुए, जब शासन नहर अर्जित कर लेता है तो—

(क) उस में उसके स्वामी के अधिकार, आगम और स्वत्व तुरन्त अन्त तथा समाप्त हो जाएंगे;

(ख) ऐसे अधिकारों के अधीन रहते हुए, जिन के अन्तर्गत कोई व्यक्ति नहर से सिंचाई करने के लिए जल ले सकता हो, उक्त नहर शासन में तुरन्त निहित हो जाएगी और उसकी निरपेक्ष सम्पत्ति (absolute property) होगी।

60. नदी, उपनदी, प्राकृतिक कूल या प्राकृतिक जलोत्सारण (lines of natural drainage) में जल प्रवाह का आनियमन करने और उन में बाधा डालने से मना करने या उनकी बाधा हटाने का आदेश देने की शक्ति.—शासन राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किसी नदी, उपनदी, प्राकृतिक कूल या प्राकृतिक जलोत्सारण के जल प्रवाह को, कर्मों का निर्माण करके या उनको हटा कर या अन्यथा आनियमित करने की शक्ति स्वयं धारण कर सकेगा और जब कभी शासन को कलेक्टर द्वारा परिपृच्छा करने के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि किसी नहर के जल प्रदाय या किसी भूमि की कृषि या सार्वजनिक स्वास्थ्य या लोक सुविधा (public convenience) पर किसी नदी, उपनदी, प्राकृतिक कूल या जलोत्सारण की बाधा से क्षतिपूर्ण प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो वह उपरोक्त रूप से प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में परिभाषित सीमाओं के भीतर ऐसी बाधा उपस्थित करना प्रतिषिद्ध कर सकेगा या यह आदेश दे सकेगा कि उक्त सीमाओं के भीतर ऐसी बाधा हटा दी जाए या उसे रूपान्तरित कर दिया जाए।

61. अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् बाधा (obstruction) हटाने की शक्ति और प्रतिधन की चुकती.– (1) कलेक्टर उक्त प्रकाशन के पश्चात् उक्त बाधा (obstruction) डालने वाले या इस पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को एक आदेश, उस में नियत समय के भीतर, बाधा (obstruction) हटाने या उसमें रूपान्तर करने के लिए दे सकेगा।

(2) कलेक्टर बाधा (obstruction) को स्वयं हटा सकेगा या उसको रूपान्तरित कर सकेगा—

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन आदेश दिया गया हो, उक्त रूप से नियत समय के भीतर उस आदेश का पालन न करे; और

(ख) उस दशा में जब कि बाधा (obstruction) किसी व्यक्ति ने उपस्थित न की हो या उस पर किसी का नियन्त्रण न हो।

(3) कलेक्टर यह निश्चय करेगा कि बाधा (obstruction) हटाने या उसको रूपान्तरित करने का व्यय किस व्यक्ति से वसूल किया जाएगा, और वह प्रतिधन राशि निश्चय करेगा, जो बाधा (obstruction) हटाने या उस में रूपान्तर करने से क्षतिग्रस्त किसी व्यक्ति को देय हो और उस व्यक्ति का निश्चय करेगा जिसके द्वारा उक्त प्रतिधन देय होगा :

परन्तु मनमानी या अनुचित (inequitable) कार्यवाही द्वारा प्राप्त किसी लाभ के लिए कोई भी प्रतिधन नहीं दिया जायगा।

62. जल-प्रवाह का आनियमन करने और बाधाएं (obstructions) रोकने या हटाने की कलेक्टर की शक्ति.—जब शासन धारा 60 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अधिसूचना द्वारा किसी नदी, उपनदी या प्राकृतिक कूल या प्राकृतिक जलोत्सारण में जलप्रवाह का आनियमन करने की

शक्ति अपने हाथ में ले लेता है तो वह उक्त शक्ति विहित नियमों के अनुसार अपनी ओर से पालन करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत कर सकेगा। उक्त रूप से प्राधिकृत कलेक्टर उक्त नियमों का निष्पादन करते समय धारा 61 द्वारा प्राप्त समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और उसके प्राधिकार के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही करने की शक्ति भी होगी, जिसे करने के लिए शासन कलेक्टर से परिपृच्छा करवाने के पश्चात् धारा 60 द्वारा अधिकृत हो। उक्त प्राधिकार राजपत्र में फिर से अधिसूचना का प्रकाशन किए बिना प्रत्येक अवसर पर प्रयोग में लाया जा सकेगा।

63 अनुसूची 2 के अन्तर्गत नहरों के सम्बन्ध में कर्मों के निर्माण और संधारण से सम्बद्ध शक्तियां.—(1) कलेक्टर किसी भी समय अनुसूची 2 के अन्तर्गत किसी नहर के लाभधारी को —

(क) नहर से सम्बन्धित किन्हीं तटबन्धों, रक्षा कर्मों, जलाशयों, कूलों, जलमार्गों, जल द्वारों, मोरियों (embankments, protective works, reservoirs, channels, water-courses, sluices, outlets) और अन्य कर्मों की उचित रीति से मरम्मत करने और उनके संधारण का आदेश दे सकेगा;

(ख) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या आम रास्ते पर यातायात की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ, जो नहर बनाने से पहले प्रयोग में लाया जाता था, नहर पर कहीं भी आरपार, बीच में से या ऊपर उपयुक्त पुल, पुलिया, या इसी प्रकार के कर्म का उचित रीति से निर्माण करने, उनकी मरम्मत करने और उनके संधारण का आदेश दे सकेगा;

(ग) किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या आम रास्ते या किसी नहर, जलोत्सारण या जलमार्ग, जो नहर बनाने से पहले प्रयोग में लाए जाते थे, के आरपार, नीचे या ऊपर, नहर के जल-निर्गमन के लिए उचित रीति से उपयुक्त कर्मों का निर्माण करने, उनकी मरम्मत करने और उनके संधारण का आदेश दे सकेगा;

(घ) नहर के उद्गम स्थान (head of the canal) या उसके समीप उपयुक्त रैगुलेटर उचित रीति से निर्माण करने, उसकी मरम्मत करने और उसके संधारण का आदेश दे सकेगा, जहां ऐसे रैगुलेटर की अनुपस्थिति में नहर में अधिक जल आ जाने या इसे या आसपड़ोस में फसलों, भूमियों, सड़क या सम्पत्ति को हानि पहुंचने की आशंका हो।

(2) कलेक्टर, किसी भी समय, इस अधिनियम की धारा 37 में विशिष्ट प्रयोजनों में से एक अथवा अधिक प्रयोजन के लिए अकुशल श्रम (unskilled labour) मुफ्त में प्रदान करने के लिए लाभधारी (beneficiary) को आदेश दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत प्रत्येक आदेश लिखित रूप में दिया जाएगा और उस में वह समुचित समय निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके भीतर उस में वर्णित कर्म या मरम्मतें पूर्ण रूपेण निष्पादित की जाएंगी।

(4) यदि इस धारा के अधीन दिए गए किसी आदेश का उस में विशिष्ट समय के भीतर कलेक्टर के समाधानानुसार पालन नहीं किया जाता तो कलेक्टर आदेश में विशिष्ट समस्त कर्मों या मरम्मतों को

स्वयं निष्पादित करेगा या उनका निष्पादन पूरा करेगा या उक्त रूप से निष्पादित करवाएगा या पूरा करवाएगा ।

64. अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों के सम्बन्ध में कर्मों के निर्माण और उनके संधारण से सम्बद्ध शक्तियां.—अनुसूची 1 में समाविष्ट नहरों की दशा में कलेक्टर—

(क) लाभधारी से यह मांग कर सकेगा कि वे धारा 63 की उपधारा (1) में विशिष्ट ऐसे किसी दायित्व का सम्पादन करें, जो शासन उक्त नहर या नहर समूह के लाभधारी के प्रति घोषित करे ; या

(ख) उक्त कार्यों के सम्पादन का स्वयं प्रबन्ध कर सकेगा और धारा 68 में दी गई व्यवस्था के अनुसार व्यय वसूल कर सकेगा ।

65 आकस्मिक परिस्थिति की दशा में कर्म निर्माण करने और कर्मों पर कब्ज़ा करने की शक्ति.—(1) यदि किसी ऐसे नए कर्म को तुरन्त रोकने की आवश्यकता हो, जो किसी नहर की उपयोगिता के लिए घोर हानिकर हो, तो कलेक्टर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) में किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी भी भूमि पर तुरन्त कब्ज़ा कर लेगा, जिसकी कर्म-निर्माण के लिए आवश्यक्ता हो ।

(2) जब कलेक्टर ने उपधारा (1) के अधीन किसी भूमि पर कब्ज़ा कर लिया हो तो वह इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर धारा 66 के अधीन प्रतिधन का निर्धारण करेगा तथा प्रतिधन देगा ।

(3) नहर या उसके बिल्कुल आसपड़ोस में स्थित सम्पत्ति या उस से की जाने वाली सिंचाई या सार्वजनिक यातायात को आकस्मिक और घोर हानि पहुंचने या शीघ्र खतरा होने की दशा में कलेक्टर पूर्व सूचना देने के पश्चात्, उक्त हानि का उपाय करने या खतरा रोकने के लिए उक्त कर्मों को, जैसा वह आवश्यक समझे, उसके अनुसार पूरा कर सकेगा या पूरा करवा सकेगा और किसी भी सेचक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इतना श्रम प्रदान करे, जितना उक्त कलेक्टर को कर्म शीघ्र पूरा करने के लिए समुचित और आवश्यक प्रतीत हो ।

(4) इस धारा के अधीन दिए गए श्रम के लिए स्थानीय बाजार की दर पर मजदूरी दी जाएगी ।

(5) उपधारा (3) और (4) के अधीन दिया गया आदेश अन्तिम होगा ।

66 प्रतिधन निर्धारण.—इस अधिनियम की धाराओं 23, 25, 32, 50 और 61 को छोड़ कर अन्य किसी भी धारा के अधीन दी जाने वाली प्रतिधन-राशि निर्धारित करते समय कलेक्टर लैंड एक्वीजीशन एक्ट, 1894 (Land Acquisition Act, 1894) के उपबन्धाधीन कार्यवाही करेगा और उस अधिनियम के समस्त उपबन्ध इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियों में, जहां तक हो सके, कलेक्टर द्वारा परिपृच्छा करने तथा परिनिर्णय देने, दीवानी न्यायालयों को निर्देशन करने और तदुपरान्त प्रक्रिया, प्रतिधन विभाजन, चुकती और अपीलों के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे ।

67. प्रयोग-कर्ता के अधिकार के लिये जलप्रदान के रूप में प्रतिधन.—जब कलेक्टर देय प्रतिधन राशि का निर्धारण कर रहा हो तो वह पक्षों की सहमति से किसी भूमि का अर्जन करने

की दशा में यह निदेश दे सकेगा कि जब तक नहर या जल मार्ग के प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकता है तब तक उक्त भूमि का स्वामित्व (property in such land) प्रयोग कर्ता के अधिकार के प्रतिबन्धाधीन स्वामी के पास रहेगा, और प्रतिधन केवल प्रयोग-कर्ता के अधिकार के लिए दिया जाएगा, या किसी नहर के अर्जन या किसी नहर के प्रयोजनार्थ भूमि के अर्जन की दशा में प्रतिधन पूर्णतया या अंशतया उस नहर से, जो अर्जित की गई हो या जिसके प्रयोजनार्थ भूमि अर्जित की गई हो, प्रदत्त जल का प्रयोग करने के अधिकार के रूप में दिया जाएगा।

68. अर्जित भूमि के व्यय या निष्पादित कर्मों के व्यय का निश्चय और वसूली.—(1) जब धारा 55 के उपबन्धाधीन कोई भूमि अर्जित कर ली जाती है या जब धारा 61, धारा 63, धारा 64 या धारा 65 के उपबन्धों के अन्तर्गत कलेक्टर के आदेशाधीन या आदेश द्वारा कोई कर्म निष्पादित किया जाता है तो, यथास्थिति, उक्त भूमि के अर्जन का या उक्त कर्म के निष्पादन का व्यय: -

(क) यदि नहर अनुसूची 2 में समाविष्ट हो तो उसके स्वामी से वसूल किया जा सकेगा, या

(ख) यदि नहर अनुसूची 1 में समाविष्ट हो तो सेचकों से या उन में से ऐसे व्यक्तियों से, जिन्हें कलेक्टर की राय में अर्जन द्वारा लाभ पहुंचा हो या लाभ पहुंचने की सम्भावना हो या जो न्यायोचित रूप से कर्म निष्पादन के समस्त व्यय या उसके किसी अंश के लिए उत्तरदायी हों या धारा 41 के अधीन आरोपित किसी जलकर की आय में से वसूल किया जा सकेगा, और

(ग) यदि उक्त विनियोग अधिनियम की धारा 40 में विशिष्ट अधिकार अभिलेख के उपबन्धों के विपरीत न हो तो इस अधिनियम की धारा 39 में निर्दिष्ट निधि में से वसूल किया जा सकेगा।

(2) जब उपधारा (1) के उपबन्धाधीन किसी भूमि के अर्जन या कर्म के निष्पादन का व्यय किसी नहर के स्वामियों या उस के सेचकों या उनमें से किसी से भी प्राप्य हो तो कलेक्टर के लिए, जैसा वह न्यायोचित समझे उसके अनुसार उक्त व्यय ऐसे समस्त व्यक्तियों में या उन में से किन्हीं व्यक्तियों में, जो उक्त समस्त व्यय या उसके किसी भाग के लिए उत्तरदायी हों, अभिभाजित करना विधिवत् होगा और उक्त अभिभाजन अन्तिम होगा।

(3) जब उक्त भूमि के अर्जन का व्यय चुका दिया गया हो तो उक्त भूमि, यदि पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों सहित अर्जित की गई हो, नहर के स्वामी की सम्पत्ति बन जाएगी।

69. चक्कियों का आनियमन करने की शक्ति.—शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, नहरों पर नई चक्कियों का निर्माण रोक सकेगा या उनका आनियमन कर सकेगा और नहरों पर विद्यमान चक्कियों के प्रयोग का आनियमन कर सकेगा और चालू चक्कियों के लिए नहर के जल प्रयोग का आनियमन कर सकेगा।

70. 1953 ई० के भूराजस्व अधिनियम की धारा 14 से ले कर धारा 17 तक की धाराओं की प्रयुक्ति.—सिवाए इसके जब कि प्रतिकूल अभिप्राय अभिव्यक्त हो, हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम

1953 की धारा 14 से लेकर धारा 17 तक की धाराएं (दोनों समाविष्ट) इस अधिनियम के अधीन समस्त कार्यवाहियों में प्रयुक्त होंगी।

71. लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट के अंतर्गत दशा को छोड़ कर दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अपवर्जन. - धारा 66 में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी ऐसे विषय पर अधिकारक्षेत्र प्राप्त नहीं होगा, जिसका निर्णय करने के लिए कोई माल अधिकारी या माल न्यायालय इस अधिनियम द्वारा अधिकृत हो या वह किसी ऐसे विषय का संज्ञान नहीं करेगा, जिसके सम्बन्ध में शासन या कोई माल अधिकारी या माल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन या द्वारा स्वनिहित शक्तियों का प्रयोग करता हो।

72. इस अधिनियम के अधीन कार्य सम्पादन करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त करने की शक्ति.---(1) शासन किसी व्यक्ति को या पदाधिकारियों की किसी श्रेणी को, ऐसे कार्य सम्पादन करने या ऐसी शक्तियां प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जो क्लेक्टर या कमिश्नर, यदि कोई हो, फाइनैंशियल कमिश्नर या उक्त शासन में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निहित हों या उन्हें प्रदान की गई हों।

(2) उक्त नियुक्ति किसी नहर या किसी विशिष्ट स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त नहरों या उनमें से किसी नहर के सम्बन्ध में की जा सकेगी।

(3) इस अधिनियम से सम्बन्धित समस्त विषयों में शासन फाइनैन्शियल कमिश्नर, कमिश्नर, यदि कोई हो, और कलेक्टर पर और फाइनैंशियल कमिश्नर, कमिश्नर, यदि कोई हो और कलेक्टर पर और कमिश्नर, यदि कोई हो, कलेक्टर पर वही प्राधिकार प्रयोग करेगा और उन पर वही नियंत्रण करेगा, जो प्राधिकार और नियंत्रण सामान्य और माल प्रशासन (general and revenue administration) में क्रमशः वह या वे उन पर प्रयोग कर सकता या कर सकते हों।

73. अधिनियम के अधीन कुछ कार्यवाहियों में कलेक्टर की शक्तियां.— इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक परिपृच्छा (enquiry) और कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ कलेक्टर को, या इस सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य माल अधिकारी को, या शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को पक्षों और गवाहों को समन देने और उनकी उपस्थिति बाध्य करने, उनकी जांच करने और प्रलेखों की प्रस्तुति बाध्य करने की शक्ति होगी और इन समस्त प्रयोजनों या इन में से किसी एक के लिए वह कोड आफ सिविल प्रौसीजर 1908 (Code of Civil Procedure 1908) द्वारा दीवानी न्यायालय को प्रदत्त समस्त शक्तियों या किसी का भी प्रयोग कर सकेगा और उक्त प्रत्येक परिपृच्छा (enquiry) इन्डियन पीनल कोड (Indian Penal Code) के प्रयोजनार्थ न्यायिक कार्यवाही (judicial proceedings) समझी जाएगी।

74. स्वामियों और किसी नहर में स्वत्व रखने वाले पक्षों को कुछ विषयों में आपत्ति करने की अनुमति.---इस अधिनियम की धाराओं 6, 22, 32, 34, 36, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 64 और 68 के अधीन समस्त विषयों में, स्वामियों और नहर में स्वत्व रखने वाले अन्य पक्षों को कलेक्टर के सम्मुख उपस्थित होने और प्रतिकूल कारण

बतलाने के लिए अवसर दिया जाएगा ।

75. उद्घोषणा करने और नोटिस की तामील करने की रीति.—इस अधिनियम के अधीन जारी किए गये प्रत्येक समन, नोटिस उद्घोषणा और अन्य प्रसर की तामील, जहां तक हो सके, ऐसी रीति से की जाएगी, जैसी हिमाचल प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1953 की धारा 21,22 और 23 में इस हेतु उपबन्धित है ।

76. प्रतिधन पर रुकावट, जब उसकी स्पष्ट रूप से अनुमति न दी गई हो.—उस दशा को छोड़ कर जब इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, किसी भी समय की गई या सद्भावनापूर्वक की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए प्रतिधन वसूल करने का कोई भी व्यक्ति अधिकारी नहीं होगा ।

77. अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों का बचाव—इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन की गई या सद्भावना पूर्वक की जाने वाली किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोग या अन्य वैधानिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी ।

78. कुछ मुकद्दमों और कार्यवाहियों में राज्य शासन पक्ष के रूप में होगा.—(1) ऐसे किसी भी वाद या कार्यवाही में, जिस में धारा 40 या धारा 46 के अन्तर्गत तयार किए गए किसी भी अभिलेख में की गई किसी प्रविष्टि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपत्ति की जाती हो, न्यायालय वाद-विषय का अन्तिम रूप से निपटारा करने से पहले वाद या कार्यवाही की सूचना कलेक्टर को देगा और यदि कलेक्टर ऐसा करना चाहे तो शासन को उस के सम्बन्ध में पक्ष बना लेगा ।

(2) **शासन के विरुद्ध अन्य वादों की रुकावट.**—उपधारा (1) में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर इस अधिनियम द्वारा उक्त कलेक्टर या शासन को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते समय कलेक्टर या राज्यशासन के आदेशाधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के किसी भी कार्य के सम्बन्ध में शासन के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं चलाया जाएगा ।

79. माल-प्रसर (Revenue process) द्वारा जल के लिए देय राशियां (water-dues) और अन्य राशियां वसूल करने की शक्ति.—इस अधिनियम के उपबन्धाधीन या नहर के स्वामियों या नहर के सेचकों के बीच किए गए किसी निर्बन्ध के अधीन किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय प्राप्य या किसी भी व्यक्ति से एकत्रित की जाने वाली जल के लिए देय समस्त राशियां, जलकर और अन्य चुकतियां और उनके समस्त बकाया भूराजस्व के बकाया की भान्ति वसूल किए जा सकेंगे ।

80. हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के अंशतः बाहिर स्थित नहरों, और उपनदियों के सम्बन्ध में शक्तियां.—किसी नहर, नदी या उपनदी के सम्बन्ध में शासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोग में लाई जा सकने वाली समस्त या कोई सी शक्तियां, ऐसी नहर, नदी या उपनदी, जो किसी भी समय अंशतः हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के भीतर और अंशतः बाहिर स्थित हो या अंशतः

भीतर और अंशतः बाहिर स्थित हो जाएं, की दशा में, और उक्त नहर, नदी या उपनदी के उतने भाग के सम्बन्ध में, जितना उन सीमाओं के भीतर स्थित हो, उक्त शासन द्वारा प्रयोग में लाई जाएंगी, और उक्त किसी नहर नदी या उपनदी के सम्बन्ध में राज्यशासन धारा 2 के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि इस अधिनियम के कौन कौन से उपबन्ध उन के सम्बन्ध में प्रवर्तनीय होंगे ।

81. हिमाचल प्रदेश से बाहिर स्थित नहरों के सम्बन्ध में अत्यावश्यकता होने की दशा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली शक्तियां.—हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बाहिर स्थित किसी भी नहर के सम्बन्ध में शासन राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके यह घोषणा कर सकेगा कि धारा 65 के अधीन कलेक्टर द्वारा प्रयोज्य शक्तियां, उस में विशिष्ट परिस्थितियों के अधीन कलेक्टर या अन्य प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा उक्त नहर के समस्त या किसी भी प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश की सीमाओं के भीतर प्रयोग में लाई जाएंगी।

82. अधिनियम के अन्तर्गत अपराध.—जो कोई भी उचित प्राधिकार के बिना और स्वेच्छा पूर्वक निम्नलिखित कोई सा कार्य करता है, अर्थात् —

(1) किसी नहर को हानि पहुँचाता है, उस में आपरिवर्तन करता है उसे बढ़ाता है, या उस में बाधा डालता है ;

(2) किसी नहर के जल-प्रदाय या किसी नहर से, नहर में, नहर पर या नहर के नीचे, जल प्रवाह में हस्तक्षेप करता है, उसे बढ़ाता है या कम करता है ;

(3) किसी नदी, उपनदी या जलधारा के जल प्रवाह में इस प्रकार हस्तक्षेप करता है या उस में इस प्रकार आपरिवर्तन करता है, जिस से किसी नहर को हानि पहुंचने का डर हो या उस की उपयोगिता कम हो जाए ;

(4) किसी जल मार्ग के संधारण या जल मार्ग के प्रयोग के लिए उत्तरदायी होते हुए उस से जल नष्ट होने की रोक थाम के लिए उपयुक्त पूर्वोपाय करने में प्रमाद करता है या उस से जल के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करता है या अप्राधिकृत रीति से उक्त जल का प्रयोग करता है ;

(5) किसी नहर के जल को इस प्रकार दूषित करता है या इस में इस प्रकार कपट करता है, जिस से उन प्रयोजनों की उपयोगिता कम हो जाए, जिस के लिए साधारणतया वह उपयोग में लाया जाता है ;

(6) इस अधिनियम के अधीन श्रम प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हुए, उचित कारण के बिना ऐसा श्रम प्रदान नहीं करता, जो उस से अपेक्षित हो या श्रम प्रदान करने में सहायता नहीं करता ;

(7) इस अधिनियम के अधीन श्रम प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हुए, उचित कारण के बिना, उक्त रूप से श्रम प्रदान करने में और श्रम प्रदान करते रहने में प्रमाद करता है;

(8) किसी लोक सेवक के प्राधिकार से नियत जलमापन यंत्र के तल चिन्ह को नष्ट करता है या हटाता है ;

(9) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल किसी भी नहर के कर्मों (works) से या नहर के किनारों से या नहर की कूलों से पशुओं या गाड़ियों को ले जाता है या स्वयं जाता है, जब कि वहां पर उसको ऐसा करने की मनाही की गई हो ;

(10) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेश या उद्घोषणा की अवज्ञा करता है या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है ;

ऐसी श्रेणी के मैजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, जो राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में निदेशित किया जाए, पचास रुपए तक के अर्थदन्ड या एक महीने तक के कारावास या दोनों का भागी होगा

83. बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने की शक्ति.—लोक-सेवकों या पंचायत सहित किसी स्थानीय संस्था द्वारा प्रबन्धित नहर की देख रेख करने वाला व्यक्ति या उस पर वृत्ति युक्त व्यक्ति नहर की भूमियों या भवन से ऐसे व्यक्ति को हटा सकेगा या वारन्ट के बिना हिरास्त में ले सकेगा और तुरन्त किसी मैजिस्ट्रेट या सब से समीप की पुलिस चौकी में उस व्यक्ति के सम्बन्ध में विधि अनुसार संव्यवहार करने के लिए ले जाएगा, जिस ने उस के विचार में निम्न लिखित अपराधों में से कोई अपराध किया हो : —

(1) किसी नहर को जान बूझ कर हानि पहुंचाई हो या उस में बाधा डाली हो ;

(2) उपयुक्त प्राधिकार के बिना किसी नहर, नदी या जलधारा, के जल प्रदाय या जल प्रवाह में इस प्रकार हस्तक्षेप किया हो, जिस से किसी नहर को खतरा या हानि पहुंचने का भय हो या उसकी उपयोगिता कम हो गई हो।

84. धारा 82 और 83 के प्रयोजनार्थ नहरों की परिभाषा.—धारा 82 और 83 में शब्द "नहर" (जब कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो) के अन्तर्गत समझा जाएगा—नहरों के प्रयोजनार्थ कब्जे में ली गई समस्त भूमि और उक्त भूमियों पर स्थित समस्त भवन, मशीनें, जंगले, दरवाजे और अन्य रचनाएं (erections), वृक्ष, फसलें, पौदे या अन्य उपज।

85. नियम बनाने की शक्ति.—(1) इस अधिनियम द्वारा शासन या शासन के किसी पदाधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति से सम्बद्ध किसी विषय का आनियमन करने के लिए और सामान्यतः इस अधिनियम के प्रयोजन पूरे करने के लिए, शासन इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्ति की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में, रेत या बाढ़ से भूमि का बचाव करने के विचार के प्रतिफल रूप उक्त भूमि पर एक कर लगाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए समस्त नियम उक्त रूप से तब ही बनाए जाएंगे जब उनका राजपत्र में पूर्व प्रकाशन हो चुका हो।

(4) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा के सन्मुख रखे जाएंगे।

अनुसूची 1

अनुसूची 2

B. D. SHARMA,
Assistant Secretary (Judicial).

शिमला-4, दिनांक 2 दिसम्बर, 1955

सं० वी० ऐस-210/55.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 30 नवम्बर, 1955 को पुरः स्थापित हुआ एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 29, 1955

दी वैक्सीनेशन (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा द्वारा पुरः स्थापित किया गया)

वैक्सीनेशन ऐक्ट, 1880 की हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रयुक्ति के लिये उसमें संशोधन करने का

विधेयक

यह भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में हिमाचल प्रदेश राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रसार.—(1) इस अधिनियम का नाम वैक्सीनेशन (हिमाचल प्रदेश

संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा।

(2) इसका प्रसार हिमाचल प्रदेश के समस्त राज्य में होगा।

2. 1880 की अधिनियम सं० 13 में सम्पूर्ण नाम और प्रस्तावना का संशोधन.—वैक्सीनेशन ऐक्ट 1880 (जिसे यहां से आगे मूल अधिनियम कहा गया है) के सम्पूर्ण नाम और उसकी प्रस्तावना में शब्दों "and cantonments" के स्थान पर शब्द "cantonments and notified areas" रख दिए जाएं।

3. 1880 की अधिनियम सं० 13 में धारा 1 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 1 में शब्दों "such municipalities" से आरम्भ होने वाले और शब्दों "hereinafter provided" पर समाप्त होने वाले वाक्यांश के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात.—

"such municipalities, cantonments and notified areas in the State of Himachal Pradesh, as it may be extended in manner hereinafter provided."

4. 1880 की अधिनियम संख्या 13 में धारा 2 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 2 में—

(क) खंड (6) में शब्द "cantonment" के पश्चात् शब्द "or notified area" जोड़े जाएं।

(ख) खन्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खन्ड जोड़े जाएं, अर्थात्—

"(9) 'notified area' means any area notified under sub-section (2) of section 4-A;

(10) 'State Government' means the Lieutenant Governor of the State of Himachal Pradesh;"

5. 1880 की अधिनियम संख्या 13 में एक नई धारा 4-A बढ़ाया जाना.—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित् धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात,—

"**4-A. Extension of Act to notified areas.**—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to extend the provisions of this Act to any area not falling within a municipality or cantonment.

(2) Any inhabitant of such area who desires to object to such extension may, within sixty days from the date of such notification, send his objection in writing to the State Government; and the State Government shall take such objection into consideration. When sixty days from the said date have expired, the State Government, if no such objections have been sent as aforesaid, or when such objections have been so sent, if in its

opinion they are insufficient, may by like notification effect the proposed extension."

6. 1880 की अधिनियम संख्या 13 में धारा 5 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 5 में शब्दों "or any local area in a cantonment" के स्थान पर शब्द "cantonment or notified area" रख दिए जाएं।

7. 1880 की अधिनियम सं० 13 की धारा 8 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 8 में शब्द "Commissioner" के स्थान पर शब्द "State Government" रखे जाएं।

8. 1880 की अधिनियम सं० 13 में धारा 18 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 18 में से अंतिम वाक्य हटा दिया जाए।

9. 1880 की अधिनियम सं० 13 में धारा 19 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 19 में जिन दोनों स्थानों में शब्द "the Commissioner" आते हैं वहां उन के स्थान पर शब्द "the State Government" रखे जाएं।

10. 1880 की अधिनियम सं० 13 में धारा 20 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 20 को उसी धारा की उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाए और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा बढ़ाई जाए, अर्थात्—

"(2) When this Act has been extended to any notified area, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules consistent with this Act for its proper enforcement within the said area."

———=———

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वैक्सीनेशन ऐक्ट, 1880, ऐप्लीकेशन आफ लाज आर्डर के अधीन 25 दिसम्बर सन् 1948 को कुछ संपरिवर्तनों के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त किया गया था, जिनका मरज्ड स्टेटस (लाज) ऐक्ट, 1949 में कहीं भी वर्णन नहीं हुआ है। केवल वैक्सीनेशन ऐक्ट 1880 ही प्रयुक्त किया गया था। कोर्ट फीज ऐक्ट के सम्बन्ध में जुडिशियल कमिश्नर के न्यायालय के निर्णयानुसार पंजाब द्वारा या ऐप्लीकेशन आफ लाज आर्डर द्वारा वैक्सीनेशन ऐक्ट, 1880 में, जैसा कि वह मरजड स्टेटस लाज ऐक्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त हुआ है, कोई भी संशोधन किए गए हुए नहीं समझे जाएंगे। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त वैक्सीनेशन ऐक्ट आफ 1880 में कुछ संशोधन करना आवश्यक हो गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोई भी अवैतनिक मैजिस्ट्रेट नहीं है इसलिए धारा 18 की अन्तिम कंडिका (paragraph) हटाई जा रही है।

गौरी प्रसाद।

शिमला-4, दिनांक 2 दिसम्बर, 1955

सं० वी० एस-208/55.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 30 नवम्बर, 1955 को पुरः स्थापित हुआ एतद्द्वारा सर्व सामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 30, 1955

हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) (संशोधन) विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में परः स्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का

विधेयक

यह भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए:—

1. **संक्षिप्त नाम.**—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) (संशोधन) अधिनियम, 1955 होगा।

2. **हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) अधिनियम, 1954 की धारा 3 में संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश संविलीन राज्य (विधियों की प्रयुक्ति) अधिनियम, 1954 की धारा 3 की उपधारा (1) में उपखंड (अ) के पश्चात निम्नलिखित व्याख्या बढ़ा दी जाए:—

"व्याख्या—इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ 30 जून, 1954 को या इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कोई विधेयक यद्यपि उस दिनांक तक प्रचलित न किया गया हो तदपि वह 30 जून, 1954 को हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तनीय विधान हो जायेगा और सर्वदा उस के सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि वह हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तनीय विधान रहा है।"

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

इस विधेयक द्वारा धारा 3 में शब्द "प्रवर्तनीय" के निर्वचन (interpretation) के सम्बन्ध में सम्भावित संदेह का निवारण करना वांछित है और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि 30 जून, 1954 को या इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत समस्त विधेयक यद्यपि उस दिनांक तक प्रचलित न किए गए हों तदपि वे 30 जून, 1955 को हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तनीय विधान हो जाएंगे और सर्वदा उनके सम्बन्ध में यह माना जाएगा कि वे हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तनीय विधान रहे हैं।

यशवन्त सिंह परमार।

शिमला-4, दिनांक 26 नवम्बर, 1955

सं० वी० ऐस०-209/55. हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया नियमों के नियम 102 के अधीन निम्नलिखित विधेयक जैसा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 30 नवम्बर, 1955 को पुरः स्थापित हुआ एतद्द्वारा सर्वसामान्य की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक सं० 31, 1955

हिमाचल प्रदेश सहकारी-सभा विधेयक, 1955

(जैसा कि विधान सभा में पुरः स्थापित हुआ)

हिमाचल प्रदेश में सहकारी-सभाओं से सम्बन्धित विधि का संकलन तथा संशोधन करने का

विधेयक

यह भारतीय गणतन्त्र के छटे वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जावे :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी-सभा विधेयक, 1955 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जिसे राज्यशासन इस हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में—

(1) 'विवाचक (arbitrator)' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो धारा 88 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन ऐसे विवाद (dispute) का निश्चय करने के लिए नियुक्त हो, जो उसे निर्दिष्ट किया गया हो ;

(2) 'लेखा-परीक्षक (auditor)' का तात्पर्य धारा 71 के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सहकारी-सभा का लेखा-परीक्षण (audit) करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से है ;

(3) 'पर्षद् (बोर्ड)' का तात्पर्य धारा 82 की उपधारा (3) के अधीन निर्मित पर्षद् (बोर्ड) से है ;

(4) 'उपविधि (by-law)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) उपविधि या ऐसी उपविधि से है, जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) समझी गई हो और उपविधि का पंजीकृत (रजिस्टर्ड) संशोधन इसके अन्तर्गत है ;

(5) 'केन्द्रीय सभा (central society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जिसकी सदस्यता में कम से कम एक सदस्य कोई सहकारी-सभा हो ;

(6) 'समिति (committee)' का तात्पर्य प्रबन्धक-समिति (committee of management) से या ऐसी अन्य निर्देशन-समिति (directing body) से है, जिसे सभा के कार्यों का प्रबन्ध सौंपा जाए, और ऐसी समिति इसमें सम्मिलित है, जिसका निर्वाचन पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) से पूर्व सभा बनाते समय हुआ हो ;

(7) 'उपभोक्ता-सभा (consumers' society)' का तात्पर्य उस सभा से है, जो अपने सदस्यों तथा साथ ही साथ अन्य उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं उपलब्ध तथा वितरित करने या उनके लिए सेवा प्रदान करने और वस्तुओं के प्रदाय तथा वितरण (supply and distribution) से प्राप्त लाभ को उक्त सभा के नियमों या उपविधियों द्वारा विहित अनुपात से अपने सदस्यों तथा उपभोक्ताओं में बांटने के उद्देश्य से बनाई गई हो;

(8) 'सहकारी सभा (co-operative society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो या पंजीकृत (रजिस्टड) समझी गई हो ;

(9) 'सीमित दायित्व वाली सहकारी-सभा (co-operative society with limited liability)' का तात्पर्य उस सहकारी-सभा से है, जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस राशि तक सीमित हो, जो उनके द्वारा क्रमशः अपने हिस्सों (शेयरों) पर चुकानी शेष रही हो अथवा ऐसी राशि तक सीमित हो, जो वे उसकी उपविधियों द्वारा सभा का समापन होने की दशा में (in the event of its being wound up) उसकी सकलसम्पत्ति (assets) में देना स्वीकार करें (undertake to contribute) ;

(10) 'असीमित दायित्व वाली सहकारी-सभा (co-operative society with unlimited liability)' का तात्पर्य उस सहकारी-सभा से है, जिसका विगणन (liquidation) होने पर उसकी सकलसम्पत्ति में हुई किसी प्रकार की कमी के लिए संयुक्त या पृथक् रूप से अंशदान देने का उसके सदस्यों का दायित्व सभा की उपविधियों के अधीन रहते हुए असीमित हो ;

(11) 'सहकारी-वर्ष (co-operative year)' का तात्पर्य प्रथम जुलाई से प्रारम्भ हो कर तीस जून को समाप्त होने वाले वर्ष से है या ऐसे वर्ष से है, जो शासन द्वारा सहकारी सभाओं के लेखे (accounts) रखने के लिए विहित किया जाय ;

(12) 'कृषि-संचालक (Director of Agriculture)' का तात्पर्य तत्समय नियुक्त कृषि-संचालक से है और इसके अंतर्गत राज्यशासन द्वारा इस अधिनियम के अधीन कृषि-संचालक के कर्तव्य सम्पादन के लिए नियुक्त कोई भी पदाधिकारी है ;

(13) 'विवाद (dispute)' का तात्पर्य ऐसे विषय से है, जो दीवानी विवाद (civil litigation) का विषय हो सकता हो और सहकारी-सभा को देय या सहकारी-सभा द्वारा देय किसी भी राशि से सम्बन्धित मांग (claim) इसके अन्तर्गत है चाहे वह मांग (claim) स्वीकार की जाए या न की जाए ;

(14) 'कृषि-सभा (farming society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जो भूमि-विकास तथा कृषि करने के उत्तम उपायों का प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से बनाई गई हो ;

(15) 'संघीय-सभा (federal society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जिस की सदस्यता में कम से कम तीन चौथाई सदस्य सभाएं हों ;

(16) 'वित्त-प्रबन्धक अधिकोष (financing bank)' का तात्पर्य ऐसी सहकारी-सभा से है, जिस के उद्देश्यों में अन्य सहकारी-सभाओं को ऋण देने के लिए धन जुटाने का उद्देश्य सम्मिलित हो ;

(17) 'विगणिक (liquidator)' का तात्पर्य सहकारी-सभा के कार्यों का समापन करने के लिए (to wind up the affairs of) धारा 104 के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है ;

(18) 'सदस्य (member)' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है, जो किसी सभा का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करने के प्रार्थनापत्र में सम्मिलित हो तथा जिसे पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के पश्चात् नियम तथा उपविधि के अनुसार सदस्य बना लिया गया हो ;

(19) 'शुद्ध लाभों (net profits)' का तात्पर्य ऐसे लाभों से हैं, जो स्थापन-व्यय (establishment charges), आकस्मिक व्यय (contingent charges), उधार तथा निक्षेप (loans and deposits) पर देय ब्याज, लेखा-परीक्षण की फीस (audit fees) तथा अन्य विहित राशियां निकाल कर शेष रहे ;

(20) 'पदाधिकारी (officer)' के अन्तर्गत हैं,—प्रधान (president), उपप्रधान (vice president), सभापति (chairman), उपसभापति (vice chairman), सचिव (secretary), सहसचिव (assistant secretary), प्रबन्धक (manager), कोषाध्यक्ष (treasurer), प्रबन्धक-समिति का सदस्य, सदस्यों में से निर्वाचित लेखा-परीक्षक (auditor) तथा नियम या उपविधि के अधीन सहकारी-सभा के काम के सम्बन्ध में निदेश देने के लिए अन्य कोई प्राधिकृत व्यक्ति ;

(21) 'राजपत्र (official gazette)' का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के राजपत्र से है ;

(22) धारा 84 के प्रयोजनार्थ 'स्वामी' के अन्तर्गत है-पृथक् पृथक् रूप में स्वामी, सांझेदार स्वामी या संयुक्त स्वामी (owner in severalty, in common or joint) और कब्जा रखने वाला बन्धक ग्रहीता (mortgagee in possession) ;

(23) 'विहित (prescribed)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है ;

(24) 'उत्पादक-सभा (producer's society)' का तात्पर्य ऐसी सभा से है, जो वस्तुओं का उत्पादन तथा व्यवस्थापन अपने सदस्यों की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और ऐसी सभा इसमें सम्मिलित है, जो उस सभा के सदस्यों का श्रम सामूहिक रूप से व्यवस्थापन करने के उद्देश्य से बनाई गई हो ;

(25) 'रजिस्ट्रार (Registrar)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन सहकारी सभाओं के रजिस्ट्रार के कर्तव्य सम्पादन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत है संयुक्त रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार, सहरजिस्ट्रार तथा रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त ऐसा व्यक्ति, जिस को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त या कोई सी शक्तियां दी गई हों या समस्त अथवा कोई से कर्तव्य सौंपे गए हों ;

(26) 'नियमों (rules)' का तात्पर्य ऐसे नियमों से है, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हों या बनाए गए हुए समझे गए हों ;

(27) 'सभा या पंजीकृत सभा (society or registered society)' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा से है या ऐसी सहकारी-सभा से है, जिसके सम्बन्ध में यह समझा गया हो कि वह इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) है ;

(28) 'राज्यशासन (State Government)' का तात्पर्य हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल से है ;

(29) 'न्यासधारी (trustee)' का तात्पर्य न्यासधारी के रूप में धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति से है ।

अध्याय 2

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन)

3. रजिस्ट्रार.—राज्यशासन राज्य या उस के किसी भाग के लिए किसी व्यक्ति को सहकारी-सभाओं का रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा, और उस रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकेगा तथा सामान्य या विशेष आदेश से ऐसे व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त शक्तियां या उन में से कोई सी शक्ति दे सकेगा ।

4. वे सभाएं, जिनका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) हो सकेगा.—(1) इस अधिनियम तथा इस के अन्तर्गत बनाए गए किन्हीं भी नियमों के प्रतिबन्धाधीन ऐसी सभा, जिस का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के समान हित (common interest) की वृद्धि करना हो, या ऐसी सभा, जो उक्त सभा के काम को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बनाई गई हो, तथा किसी विद्यमान सहकारी-सभा के विभाजन (division) या विद्यमान सहकारी-सभाओं के एकीकरण (amalgamation) से बनी हुई सभाएं सीमित दायित्व (limited liability) के साथ या इस के बिना इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो सकेंगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन, जो सभा सीमित दायित्व (limited liability) के साथ पंजीकृत (रजिस्टर्ड) हो उस के नाम का अन्तिम शब्द "सीमित (limited)" होगा ।

(3) इस अधिनियम और नियमों के प्रतिबन्धाधीन कोई सहकारी-सभा रजिस्ट्रार के पूर्वानुमोदन से और एक सामान्य-बैठक में प्रस्ताव पारित करके अपने दायित्व (liability) का रूप बदल सकेगी ।

(4) जब उक्त प्रस्ताव पारित हो जाए तब सभा विहित रीति से उसकी लिखित सूचना (नोटिस) अपने समस्त सदस्यों और ऋण-दाताओं (creditors) को देगी और किसी भी उपविधि (by-law) या संविदा (contract) में किसी विषय के प्रतिकूल होते हुए भी कोई भी सदस्य या ऋणदाता (creditor) उस पर सूचना की तामील हो जाने से छः मास के भीतर, अपने हिस्से (शेयर), अपना निक्षेप (deposit) या अपना ऋण वापस लेने के लिए विकल्प (option) प्रयोग कर सकेगा । ऐसा सदस्य या ऋणदाता (creditor), जो उपरोक्त अवधि में अपना विकल्प का प्रयोग न करे, उस के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह परिवर्तन से सहमत है ।

(5) उक्त परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक या तो—

(क) समस्त सदस्य और ऋणदाता (creditors) उस से सहमत न हो गए हों या

(ख) ऐसे सदस्यों और ऋणदाताओं (creditors) की समस्त मांगें (claims) सम्पूर्ण रूप से पूरी न कर दी गई हों,. जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट विकल्प (option) का प्रयोग करते हैं ।

5. सीमित दायित्व वाली संस्थाओं के सदस्यों के स्वत्व (interest) और हिस्सों की पूंजी (share capital) पर आयंत्रण.—जहां किसी सभा के सदस्यों का दायित्व हिस्सों (शेयरों) द्वारा सीमित (limited) हो उस दशा में सभा से अन्य कोई भी सदस्यः—

(क) सभा के हिस्सों की पूंजी (share capital) के ऐसे भाग से अधिक अपने पास नहीं रख सकेगा, जो नियमों द्वारा विहित हो और यह सभा के हिस्सों की पूंजी (share capital) के पांचवें भाग से अधिक नहीं होगा, या

(ख) सभा के ऐसे हिस्सों (शेयरों) में, जो दस हजार रूपये से या विहित राशि से अधिक हों, कोई स्वत्व, (interest) नहीं रखेगा या उस की मांग (claim) नहीं करेगा ।

6. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) की शर्तें.—जिस सभा की सदस्यता में कोई अन्य सभा सदस्य हो, उस में अन्य कोई भी ऐसी सभा इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत (रजिस्टर्ड) नहीं की जायगी, जिस में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले कम से कम दस सदस्य न हों, तथा जहां सभा का उद्देश्य अपने सदस्यों को उधार देने के लिए धन जुटाना हो, उस दशा में यदि वे व्यक्ति एक ही शहर या गांव या एक ही ग्रामसमूह में न रहते हों ।

7. कुछ प्रश्नों का निश्चय करने में रजिस्ट्रार की शक्ति.—जब इस अधिनियम के अधीन या तो किसी सभा की संरचना, या उस के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) या उसे जारी रखने या उसके व्यवसाय के प्रयोजनार्थ या किसी व्यक्ति को सभा का सदस्य बनाने के प्रयोजनार्थ कोई प्रश्न उठे या ऐसा कोई प्रश्न उठे आयाकि कोई व्यक्ति शहर या ग्राम या ग्रामसमूह का निवासी है या नहीं या दो अथवा अधिक

ग्रामों को ग्रामसमूह माना जाय या नहीं या कोई व्यक्ति सभा का सदस्य है या नहीं तो उसका निश्चय रजिस्ट्रार करेगा और यह निश्चय अन्तिम होगा।

(2) प्रत्येक वयस्क व्यक्ति सहकारी-सभा का सदस्य बनने के योग्य होगा, यदि वह अधिनियम, नियमों और उपविधियों की शर्तों (conditions) को पूरा करता हो।

8. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिए प्रार्थनापत्र.— पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार के नाम से उसे एक प्रार्थनापत्र दिया जायगा।

(2) प्रार्थनापत्र पर —

(क) ऐसी सभा की दशा में, जिस की सदस्यता में कोई सभा सदस्य न हो, धारा 6 के उपबन्धों के अनुसार योग्यता प्राप्त कम से कम दस व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे, और

(ख) ऐसी सभा की दशा में, जिस की सदस्यता में कोई सभा सदस्य हो उक्त प्रत्येक सभा की ओर से उचित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति और जहां सभा के समस्त सदस्य सभाएं न हों, दस अन्य सदस्य, या जहां अन्य सदस्य दस से कम हों, उस दशा में वे समस्त सदस्य हस्ताक्षर करेंगे।

(3) प्रार्थनापत्र के साथ सभा की प्रस्तावित उपविधियों की दो प्रतिलिपियां साथ होंगी और जिन व्यक्तियों द्वारा या जिन की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र दिया जाय वे सभा के सम्बन्ध में ऐसी सूचना (information) प्रदान करेंगे, जो रजिस्ट्रार मांगे।

9. इस अधिनियम के उपबन्धों से सहकारी-सभाओं को विमुक्त (exempt) करने की शक्ति.— (1) राज्यशासन नियमों द्वारा —

(क) किसी भी सभा या सभा श्रेणी को इस अधिनियम या इस के अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों की प्रयुक्ति से विमुक्त कर सकेगा, या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सभा या सभा-श्रेणी पर ऐसे कोई भी उपबन्ध उस सीमा तक प्रयुक्त होंगे, जो नियमों में विशिष्ट की जाए।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्यशासन प्रत्येक दशा में और ऐसी शर्तों (conditions) यदि कोई हों, के प्रतिबन्धाधीन, जो वह लगाना चाहे, विशेष आदेश द्वारा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के सम्बन्ध में किसी भी सभा या सभा-श्रेणी को इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों से विमुक्त कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियां इन शर्तों (conditions) के प्रतिबन्धाधीन होंगी कि कोई भी नियम किसी भी सभा के प्रतिकूल उस सभा को अपनी स्थिति निवेदन करने का अवसर दिए बिना नहीं बनाया जाए।

10. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन).— यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि किसी सभा ने इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों का पालन किया है और इस की प्रस्तावित उपविधियां इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं है तो वह सभा तथा उसकी उपविधियों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कर सकेगा।

11. पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) का साक्ष्य.—रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित पंजीयन प्रमाणपत्र (रजिस्ट्रेशन सार्टीफिकट) इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि उस में वर्णित सभा उचित रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) है, यदि यह प्रमाणित न हो जाए कि सभा का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) रद्द कर दिया गया है।

12. सभा की उपविधियों का संशोधन.—(1) किसी सभा की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक सामान्य बैठक के प्रस्ताव द्वारा उसका अनुमोदन न हुआ हो और इस अधिनियम के अधीन उसका पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) न हो गया हो। इस हेतु संशोधन की दो प्रतिलिपियां विहित रूप से रजिस्ट्रार को भेजी जायेंगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाता है कि उपविधियों का कोई संशोधन इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं है तो वह संशोधन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कर लेगा।

(3) जब रजिस्ट्रार किसी सभा को उपविधियों के किसी संशोधन का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करता है तो वह सभा को संशोधन की एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि दे देगा, जो उसके उचित रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होने का निर्णायक साक्ष्य होगी।

13. नाम में परिवर्तन और इसका प्रभाव.—कोई सभा सामान्य बैठक के प्रस्ताव द्वारा और रजिस्ट्रार का अनुमोदन लेकर अपना नाम बदल सकेगी; किन्तु नाम परिवर्तन से सभा या उसके किसी भी सदस्य या उसके भूतपूर्व अथवा मृत सदस्य के किसी अधिकार या आभार (obligation) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी विचाराधीन वैधानिक कार्यवाहियां (legal proceedings) सभा द्वारा या उसके विरुद्ध उसके नये नाम से जारी रखी जा सकेंगी।

14. सभा का एकीकरण और हस्तांतरण (amalgamation and transfer of societies).—कोई सी दो या अधिक सभाएं रजिस्ट्रार के अनुमोदन से उक्त प्रत्येक सभा की तत्प्रयोजनार्थ विशेष सामान्य-बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा एक ही सभा में एकीकृत (amalgamate) हो सकेंगी : परन्तु प्रत्येक सदस्य को प्रस्ताव तथा बैठक के दिनांक की लिखित सूचना (नोटिस) ठीक 15 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। उक्त एकीकरण (amalgamation) एकीकृत सभाओं (amalgamating societies) की निधि (funds) के विघटन या विभाजन (dissolution or division) के बिना किया जा सकेगा।

(2) उक्त एकीकरण (amalgamation) हो जाने पर सम्बद्ध सभाओं का प्रस्ताव एकीकृत-सभाओं (amalgamating societies) की सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) को एकीकृत-सभा (amalgamated societies) में निहित करने के लिये पर्याप्त हस्तांतरपत्र (conveyance) होगा।

(3) कोई भी सभा उपधारा (1) और (2) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्ताव द्वारा अपनी सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) को किसी भी ऐसी सभा को हस्तांतरित कर सकेगी, जो उन्हें लेने के लिए तैयार हो :

परन्तु जब उक्त किसी एकीकरण (amalgamation) या सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) के हस्तांतरण में किसी सभा द्वारा अपने दायित्वों का किसी अन्य सभा को हस्तांतरण करना भी सम्मिलित हो तो इन दोनों या इन समस्त सभाओं के ऋणदाताओं (creditors) को तीन महीने की सूचना दिए बिना यह नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह भी कि यदि किसी भी सम्बद्ध सभा का या के कोई ऋणदाता (creditor or creditors) उक्त एकीकरण (amalgamation) या सकल-सम्पत्ति और दातव्यों (assets and liabilities) के हस्तांतरण पर आपत्ति करे या करें और सम्बन्धितसभा या सभाओं को उक्त एकीकरण (amalgamation) या हस्तांतरण के लिए नियत दिनांक से एक मास पूर्व इस निमित्त लिखित सूचना (नोटिस) दें तो एकीकरण (amalgamation) या हस्तांतरण तब तक नहीं किया जायगा जब तक उक्त ऋणदाता या ऋणदाताओं (creditor or creditors) को देय राशियां (dues) न चुका दी गई हों।

15. सभाओं का विभाजन (division).—(1) कोई भी सभा रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, तत्प्रयोजनार्थ सभा की विशेष सामान्य-बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा अपनी सभा को दो या अधिक सभाओं में विभक्त करने का निश्चय कर सकेगी, परन्तु प्रस्ताव और बैठक के दिनांक की लिखित सूचना (नोटिस) प्रत्येक सदस्य को ठीक 15 दिन पूर्व मिल जानी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव में (जिसे यहां से आगे इस धारा में प्रारम्भिक प्रस्ताव कहा गया है) सभा की सकल-सम्पत्ति और दातव्य (assets and liabilities) उन नई सभाओं में, जिनमें उसे बांटने का विचार हो, विभाजित करने का सुझाव होगा और नई सभाओं का कार्यक्षेत्र तथा नई सभा के सदस्यों की संख्या विशिष्ट हो सकेगी।

(2) प्रारम्भिक प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सभा के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं (creditors) को भेजी जाएगी। प्रस्ताव की सूचना (नोटिस) विहित रीति से अन्य समस्त ऐसे व्यक्तियों को भी दी जाएगी, जिनके स्वत्वों (interests) पर सभा के विभाजन से प्रभाव पड़ेगा।

(3) सभा का कोई भी सदस्य किसी उपविधि के प्रतिकूल होते हुए भी प्रस्ताव मिलने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर सभा को सूचना (नोटिस) दे कर नई सभाओं में से किसी का भी सदस्य न होने के लिए अपनी इच्छा प्रदर्शित कर सकेगा।

(4) सभा का कोई भी ऋणदाता (creditor) किसी भी निबन्ध (agreement) के प्रतिकूल होते हुए भी, उपरोक्त अवधि में सभा को सूचना (नोटिस) दे कर वह राशि, जो सभा ने उसे देनी हो, वापस लेने के लिए अपनी इच्छा प्रदर्शित कर सकेगा।

(5) अन्य कोई भी व्यक्ति, जिसके स्वत्वों पर विभाजन (division) से प्रभाव पड़े, सभा को सूचना (नोटिस) देकर तबतक विभाजन (division) पर आपत्ति कर सकेगा जबतक उसकी माँग (claim) पूरी न हो जाए।

(6) उपधारा (2) के अधीन प्रारम्भिक प्रस्ताव की प्रतिलिपि सभा के समस्त सदस्यों और ऋणदाताओं (creditors) को भेज दिए जाने या प्रदान कर दिए जाने तथा सूचना (नोटिस) की प्रतिलिपि अन्य व्यक्तियों को दे दिए जाने के पश्चात् तीन मास समाप्त हो जाने पर, प्रारम्भिक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक दूसरी विशेष सामान्य-बैठक की जाएगी, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम ठीक 15 दिन की सूचना (नोटिस) दी जाएगी यदि ऐसी बैठक

में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से या तो परिवर्तनों सहित या परिवर्तनों के बिना, जो रजिस्ट्रार की राय में सारभूत (material) न हों, प्रारम्भिक प्रस्ताव की पुष्टि कर दी जाए तो वह उपधारा (9) और उपधारा (10) के उपबन्धों के प्रतिबन्धाधीन नई सभाओं और उनकी उपविधियों का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कर सकेगा। ऐसा पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) हो जाने पर पुरानी सभा के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के बारे में यह समझा जायगा कि वह रद्द कर दिया गया है और सभा इस प्रकार रद्द होने के दिनांक से विघटित (dissolved) समझी जाएगी।

(7) इस विषय का निर्णय करने के लिए रजिस्ट्रार की राय अन्तिम होगी आयाकि प्रारम्भिक प्रस्ताव में किए गए परिवर्तन सारभूत (material) हैं या नहीं और उस पर कोई अपील नहीं हो सकेगी।

(8) उपधारा (6) में निर्दिष्ट विशेष सामान्य-बैठक में अन्य प्रस्ताव द्वारा निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जाएगी :—

(अ) उन समस्त सदस्यों के हिस्सों की पूंजी (share capital) की वापसी, जिन्हों ने उपधारा (3) के अधीन सूचना (नोटिस) दी हो,

(आ) उन समस्त ऋणदाताओं (creditors) की मांगों (claims) की पूर्ति, जिन्होंने उपधारा (4) के अधीन सूचना (नोटिस) दी हो,

(इ) जिन अन्य व्यक्तियों ने उपधारा (5) के अधीन सूचना (नोटिस) दी हो उनकी मांगों (claims) की रजिस्ट्रार के निश्चय के अनुसार पूर्ति या जैसा रजिस्ट्रार निर्देश दे उसके अनुसार, उनकी मांगों (claims) की सुरक्षा :

परन्तु कोई भी सदस्य या ऋणदाता (creditor) या अन्य व्यक्ति उक्त वापसी या मांग पूर्ति का तब तक अधिकारी नहीं होगा, जबतक प्रारम्भिक प्रस्ताव की उपधारा (6) के उपबन्धानुसार पुष्टि नहीं हो जाती।

(9) यदि उस अवधि में, जो रजिस्ट्रार उचित समझे, उपधारा (8) में निर्दिष्ट सदस्यों के हिस्सों की पूंजी (share capital) वापस नहीं दी जाती या उसी उपधारा में निर्दिष्ट ऋणदाताओं (creditors) की मांगें पूरी नहीं की जातीं या उपधारा (8) के खन्ड (इ) में दी गई व्यवस्था के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मांगें पूरी या सुरक्षित नहीं की जातीं तो रजिस्ट्रार नई सभा को पंजीकृत (रजिस्टर) करना अस्वीकार कर सकेगा।

(10) ट्रांस्फर आफ प्रापरटी ऐक्ट, 1882 या इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 में किसी बात के होते हुए भी नई सभाओं का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) मूल सभा की सकलसम्पत्ति और दायित्वों (assests and liabilities) को नई सभाओं में उपधारा (6) के अधीन पुष्ट प्रारम्भिक प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार निहित करने के लिए पर्याप्त हस्तांतरपत्र (conveyance) होगा।

अध्याय 3

अधिकार और दायित्व

16. जब तक देय राशियां न चुका दी जाएं तब तक सदस्य अधिकार-प्रयोग नहीं करेंगे.—कोई भी व्यक्ति सभा के सदस्य के नाते तब तक अधिकार प्रयोग नहीं करेगा, जब तक सदस्यता के सम्बन्ध में उसने सभा को ऐसी चुकती न कर दी हो या सभा में ऐसा स्वत्व(interest) प्राप्त न कर लिया हो, जो उक्त सभा के नियमों या उपविधियों द्वारा विहित हो।

17. सदस्यों का मत.—(1) किसी भी सभा के किसी सदस्य को उस के मामलों में एक से अधिक मताधिकार प्राप्त नहीं होगा, परन्तु समान मत होने पर सभापति एक निर्णायक मत दे सकेगा।

(2) जहां सभा का कोई हिस्सा (शेयर) संयुक्त रूप में एक से अधिक व्यक्तियों के पास हो उस दशा में केवल वही व्यक्ति मताधिकारी होगा जिसका नाम हिस्से के प्रमाणपत्र (शेयर सर्टीफिकेट) में पहले लिखा हो।

(3) कोई सभा, जिसने अपनी निधि का कोई अंश किसी अन्य सभा के हिस्सों (शेयरों) में विनियोजित (invest) किया हो, उस अन्य सभा के मामलों में मत देने के लिए विहित संख्या में अपने सदस्य नियुक्त कर सकेगी।

18. हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) के हस्तांतरण पर आयरण.—(1) सभा की पूंजी में किसी सदस्य के हिस्से या स्वत्व (share or interest) का हस्तांतरण या प्रभार अधिकतम धारण (maximum holding) के सम्बन्ध में ऐसी शर्तों के प्रतिबन्धाधीन होगा, जो इस अधिनियम या नियमों द्वारा विहित हों।

(2) कोई सदस्य किसी सभा की पूंजी या सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का अपना हिस्सा (शेयर) या अपना स्वत्व (interest) तब तक हस्तांतरित नहीं करेगा, जब तक—

(क) उक्त हिस्सा (शेयरों) या स्वत्व (interest) उसके पास कम से कम एक वर्ष तक न रहा हो;

(ख) सभा या सभा के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति को, जिसका प्रार्थनपत्र सभा द्वारा स्वीकार हो गया है, हस्तांतरित न कर दिया हो या उसका प्रभार न दे दिया हो; और

(ग) समिति ने उक्त हस्तांतरण अनुमोदित न कर दिया हो।

19. सदस्यों का दायित्व.— सभा का समापन (winding-up) होने पर सभा के सदस्य संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से ऐसी किसी भी कमी को, जो सभा की सकलसम्पत्ति (assets) में हुई हो, पूरा करने के लिए—

(क) ऐसी सभा की दशा में, जिसका दायित्व असीमित हो, बिना किसी सीमा के उत्तरदायी होंगे, और

(ख) सीमित दायित्व वाली सभा की दशा में उस सीमित राशि तक उत्तरदाई होंगे, जो उपविधियों में व्यवस्थित हो।

20. भूतपूर्व सदस्यों का दायित्व.—भूतपूर्व सदस्य की सदस्यता समाप्त होने के समय सभा के उधार (debt) की जो स्थिति हो उसके लिए भूतपूर्व सदस्य उत्तरदायी रहेगा, यदि धारा 103 के अधीन समापन का आदेश (order of winding up) उस दिनांक से दो वर्ष के मध्य प्रभावी हो जाए, जिस दिनांक से उसकी सदस्यता समाप्त हुई हो।

21. मृत सदस्य की सम्पदा पर दायित्व.—मृत सदस्य की मृत्यु के समय सभा के उधार (debt) की जो स्थिति हो उसके लिए मृत सदस्य की सम्पदा (estates) पर दायित्व रहेगा, यदि धारा 103 के अधीन समापन का आदेश उसकी मृत्यु के दिनांक से दो वर्ष के मध्य प्रभावी हो जाए।

22. सदस्यों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी सकलसम्पत्ति के अन्यापंण (alienation) की सूचना (information) प्रदान किया जाना.—(1) अपनी सकलसम्पत्ति और दायित्वों (assets and liabilites) का एक पूरा, सत्य और ठीक ब्योरा—

(क) असीमित दायित्व वाली सभा की सदस्यता के प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा,

(ख) असीमित दायित्व वाली सभा के सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जायगा जब रजिस्ट्रार या उसके सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या वित्त प्रबन्धक अधिकोष (financing bank) ऐसी अपेक्षा करे, और

(ग) किसी भी अन्य सभा के सदस्य द्वारा उधार (loan) लेने के लिए या प्रतिभू (surety) के रूप में स्वीकार कर लिए जाने के लिए दिए गए प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) सभा का कोई सदस्य प्रत्येक व्यवहार (transaction) पूरा होने से पहले उस सभा को, जिसका वह सदस्य हो, अपनी अचल सम्पत्ति (immovable property) या उसके किसी भाग या हिस्से (portion or share) की बिक्री, बन्धक या हस्तांतरण, चाहे वह किसी भी रूप में हो, और ऐसे किसी उधार (debt) के सम्बन्ध में, जिसे उक्त सम्पत्ति की प्रतिभूति (security) पर लेने का विचार हो, पूरी, सत्य और ठीक सूचना (information) देगा

अध्याय

सहकारी सभाओं की संस्थिति (status) और प्रबन्ध

23. सभाएं निगम निकाय (bodies corporate) होंगी.—किसी सभा का पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) होने से वह उस नाम से एक निगम निकाय (body corporate) बन जाएगी, जिस नाम से वह पंजीकृत हुई हो। इस का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुहर होगी और इसे सम्पत्ति रखने, संविदा करने, वाद चलाने तथा वाद से प्रतिरक्षा करने और अन्य वैधानिक कार्यवाहियां चलाने और उन में प्रतिरक्षा करने तथा अपनी संरचना (constitution) के प्रयोजनार्थ समस्त आवश्यक कार्य करने का अधिकार प्राप्त होगा।

24. सहकारी सभा का अंतिम प्राधिकार.—(1) प्रत्येक सहकारी सभा का अंतिम प्राधिकार सामान्य-बैठक में उपस्थित सदस्यों की सामान्य सभा को प्राप्त होगा :

परन्तु विहित परिस्थितियों में अंतिम प्राधिकार उन सदस्यों के विहित रीति से चुने हुए और सामान्य बैठक में एकत्रित प्रतिनिधियों में निहित हो सकेगा।

(2) सामान्य बैठक बुलाई जाएगी और विहित रीति से वह अपना प्राधिकार प्रयोग करेगी।

25. वार्षिक सामान्य-बैठक.—(1) प्रत्येक सभा की सामान्य-बैठक प्रत्येक सहकारिता-वर्ष में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कम से कम एक बार होगी:—

(क) प्रबन्धक समिति के सदस्यों और अन्य ऐसे पदाधिकारियों का चुनाव, जिनकी व्यवस्था उप-विधियों में की जाए,

(ख) धारा 74 में निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (औडिट रिपोर्ट) पर विचार, और

(ग) अन्य ऐसे किसी भी विषय पर विचार, जो उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

(2) उक्त बैठकें अंतिम पूर्ववर्ती बैठक के दिनांक के पश्चात् कम से कम 15 मास के भीतर की जाएगी और यदि रजिस्ट्रार विशेष कारणों के आधार पर अवधि न बढ़ा दे तो धारा 74 में निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (औडिट रिपोर्ट) की सभा द्वारा प्राप्ति के लिए विहित दिनांक से तीन मास के भीतर की जाएगी :

परन्तु रजिस्ट्रार उन कारणों के आधार पर, जो वह लेखबद्ध करेगा, उपधारा (1) और उपधारा (2) में विहित अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी ऐसी बैठक करने की अनुमति दे सकेगा।

26. विशेष सामान्य-बैठक.—(1) प्रबन्धक-समिति के सदस्यों के बहुमत से किसी भी समय एक विशेष सामान्य-बैठक बुलाई जा सकेगी,

(क) किसी भी ऐसी सहकारी सभा, जिस में पांच सौ से अधिक सदस्य न हों, के एक चौथाई सदस्यों या किसी भी अन्य सभा के 1/5 सदस्यों की लिखित मांग पर विशेष सामान्य बैठक बुलाई जाएगी, या

(ख) रजिस्ट्रार के निदेश से विशेष सामान्य-बैठक बुलाई जाएगी :

परन्तु ऐसी सभा की दशा में, जिस में दो हजार पांच सौ से अधिक सदस्य हों, खंड (क) के अधीन मांग-पत्र विहित रीति से चुने हुए प्रतिनिधियों (delegates) द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार या लिखित रूप में उस के विशेष आदेश द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी समय सभा की सामान्य बैठक बुला सकेगा और उपधारा (1) के अधीन सदस्यों की मांग पर या रजिस्ट्रार के निदेशानुसार सभा के बैठक न बुला सकने पर उक्त बैठक बुला सकेगा।

(3) ऐसे किसी नियम या उपविधि के होते हुए भी, जिस में सामान्य-बैठक की सूचना की अवधि और बुलाने का ढंग विहित किया गया हो, उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार के निदेशानुसार

बुलाई गई बैठक की दशा में रजिस्ट्रार या उपधारा (2) के अधीन बुलाई गई बैठक की दशा उक्त व्यक्ति बैठक का समय और स्थान, बैठक बुलाने का ढंग और वे विषय, जिन पर उस में विचार किया जाएगा, विशिष्ट कर सकेगा।

27. प्रबन्धक समिति.—प्रत्येक सहकारी सभा का प्रबन्ध नियमों और उपविधियों के अनुसार निर्मित प्रबन्धक समिति में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियां प्रयोग करेगी, और ऐसे कर्तव्य सम्पादन करेगी, जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों द्वारा क्रमशः उसे प्रदत्त या उस पर आरोपित हों।

28. सहकारी सभा के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रनियुक्त (depute) करने की शक्ति.—राज्यशासन सहकारी सभा के प्रार्थनापत्र देने पर और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जाएं, सभा के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी को सभा की सेवा में प्रनियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार प्रनियुक्त सरकारी कर्मचारी विहित शक्तियां प्रयोग करेगा और विहित कर्तव्य सम्पादन करेगा।

29. प्रबन्धक समिति का विघटन (dissolution) तथा पुनः संरचना.—(1) यदि धारा 76 के अधीन निरीक्षण के पश्चात् या धारा 77 के अधीन परिपृच्छा पर रजिस्ट्रार का ऐसे कारणों से, जो वह लेखबद्ध करेगा, यह समाधान हो जाए कि सहकारी सभा की प्रबन्धक समिति सभा के कार्यों का ठीक प्रबन्ध नहीं कर रही है, तो वह धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे समय में, जो वह निश्चित करे, प्रबन्धक समिति के विघटन तथा, उसकी पुनः संरचना करने के लिए सभा की विशेष सामान्य-बैठक की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन दए गए निदेश में रजिस्ट्रार ऐसे कारणों के आधार पर, जो वह लेखबद्ध करेगा, यह आदेश दे सकेगा कि विघटित होने वाली प्रबन्धक समिति के समस्त या कोई भी सदस्य ऐसी तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जो वह निश्चित करेगा, सभा के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने या नियुक्ति के लिए आयोग्य होंगे।

(3) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा के अधीन प्रबन्धक समिति के परिवर्तन या निलंबन में किसी भी प्रकार का बिलम्ब करने से सभा को ऐसी हानि हो जाएगी, जिसकी पूर्ति न हो सके, तो वह प्रबन्धक समिति या संचालक-पर्षद् (Board of Directors) का अशंतया या पूर्णतया तुरन्त निलम्बन करने का आदेश दे सकेगा और उक्त सहकारी सभा के मामलों का आवश्यक अवधि तक प्रबन्ध करने के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति ऐसी शर्तों पर कर सकेगा, जो वह विहित करे, किन्तु यह अवधि धारा 30 की उपधारा (1) और उसके परादिक में व्यवस्थित अवधि से अधिक नहीं होगी।

30. प्रबन्धक समिति का विघटन तथा सहकारी सभा के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिये व्यक्ति की नियुक्ति.—(1) यदि ऐसी अवधि में तथा ऐसी रीति के अनुसार, जो धारा 29 के अधीन रजिस्ट्रार निदेशित करे, प्रबन्धक समिति का विघटन तथा उसकी पुनः संरचना नहीं की जाती तो वह आदेश द्वारा प्रबन्धक समिति का विघटन करेगा, जिसके सदस्य तुरन्त ही अपना पद खाली कर देंगे और

तदुपरान्त रजिस्ट्रार एक या अधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसी शर्तों पर जो विहित की जायें, सहकारी सभा के मामलों का एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये प्रबन्ध करने के हेतु और ऐसे दिनांक तक, जो रजिस्ट्रार नियत करे, नई प्रबन्धक समिति बनाने का प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त करेगा :

परन्तु राज्यशासन एक वर्ष की अवधि को पुनः दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगा, जो वह उचित समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश लिख कर दिया जायगा। उसमें वे कारण दिये जायेंगे जिनके आधार पर वह दिया गया हो और यह उसी समय दिया जायेगा जब प्रबन्धक समिति को तत्सम्बन्धी अपनी आपत्तियां निवेदन करने का अवसर दिया जा चुका हो।

31. धारा 30 के अधीन नियुक्त व्यक्ति की पदावधि.—धारा 29 या 30 के अधीन नियुक्त व्यक्ति तब तक पदासीन रहेगा, जब तक प्रबन्धक समिति का पुनः निर्माण नहीं हो जाता या उसकी नियुक्ति रजिस्ट्रार ने रद्द न कर दी हो।

32. समिति के विघटन पर सहकारी सभा का प्रबन्ध.—धारा 29 या 30 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति की पदावधि के मध्य—

(क) सहकारी सभा की समस्त सम्पत्ति रजिस्ट्रार में निहित होगी ;

(ख) इस बात के होते हुए भी कि धारा 113 के अन्तर्गत, अपील की गई है रजिस्ट्रार के नियंत्रणाधीन उक्त व्यक्ति उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और वे समस्त कर्तव्य सम्पादन करेगा, जो इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों के अधीन प्रबन्धक समिति द्वारा या सभा के किसी पदाधिकारी द्वारा प्रयोग की जायें या सम्पादित किये जायें।

अध्याय 5

सहकारी सभाओं के कर्तव्य तथा आभार

33. सभाओं का पता.—नियमों के अनुसार प्रत्येक सभा का एक पंजीकृत पता (registered address) होगा, जिस पते पर समस्त सूचनाएं (नोटिस) तथा पत्रादि भेजे जा सकें और वह उक्त पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने के 30 दिन के भीतर इस परिवर्तन की लिखित सूचना (नोटिस) रजिस्ट्रार को भेजेगी।

34. अधिनियम, नियमों तथा उपविधियों की प्रतिलिपि का निरीक्षण हो सकेगा.—प्रत्येक सभा अपने पंजीकृत (रजिस्टर्ड) पते पर हर उचित समय में निरीक्षण के लिये निम्नलिखित वस्तुएं तैयार रखेगी—

(क) इस अधिनियम की एक प्रतिलिपि,

(ख) उक्त सभा में प्रयुक्त होने वाले नियमों की प्रतिलिपि,

(ग) उक्त सभा की उपविधियों की एक प्रतिलिपि, और

(घ) इसके सदस्यों की एक पंजी (रजिस्टर)।

35. वार्षिक सन्तुलन पत्र (balance sheet) का प्रकाशन.—प्रत्येक सहकारी सभा लेखा परीक्षक (ऑडिटर) द्वारा प्रमाणित सन्तुलन पत्र (balance sheet) विहित रीति से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित करेगी।

36. सूचना (information) प्रस्तुत करने का दायित्व.—सहकारी सभा का प्रत्येक पदाधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य सभा के व्यवहारों (transactions) में या कार्य-संचालन के सम्बन्ध में ऐसी सूचना प्रदान करेगा, जो रजिस्ट्रार या लेखा-परीक्षक (ऑडिटर), विवाचक (arbitrator), विगणिक (liquidator) या निरीक्षण अथवा परिपृच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे मांगे।

अध्याय 6

सहकारी सभाओं की सम्पत्ति तथा निधि

37. निधि का विनियोजन (investment of funds).—(1) पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा अपनी निधि का विनियोजन (investment) निम्नलिखित में कर सकेगी या निम्नलिखित के पास जमा करा सकेगी

(क) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक में, या

(ख) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 (Indian Trust Act, 1882) की धारा 20 में विशिष्ट किन्हीं भी प्रतिभूतियों (securities) में, या

(ग) किसी अन्य पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) में या प्रतिभूति में, या

(घ) किसी बैंक के पास या रजिस्ट्रार द्वारा उस कार्य के लिये अनुमोदित बैंकिंग का कार्य करने वाले व्यक्ति के पास, या

(च) नियमों द्वारा अनुमत किसी अन्य रीति से।

(2) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने से पूर्व लगाई गई राशियां या जमा की गई राशियां, यदि वे इस अधिनियम का प्रचलन होने की दशा में वैध हों तो एतत् द्वारा वे मान्य होंगी और उन्हें पुष्ट किया जाता है।

38. लाभों का वितरण.—(1) विहित दशा को छोड़ कर असीमित दायित्व वाली सभा के सम्बन्ध में लाभ का वितरण नहीं किया जायेगा, और इस धारा में दी गई व्यवस्था को छोड़ कर सभा की निधि का कोई भी भाग उसके सदस्यों को लाभांश (dividend) या अतिरिक्त लाभांश (bonus) या किसी अन्य रूप में नहीं बांटा जायेगा।

(2) कोई भी लाभांश (dividend) या अतिरिक्त लाभांश (bonus)—

(क) केवल उन्हीं लाभों में से बांटा जायगा, जिन्हें लेखा-परीक्षक ने वास्तव में प्राप्त लाभ प्रमाणित किया हो, या

(ख) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बांटा जायेगा, यदि लेखा-परीक्षक यह प्रतिवेदन (रिपोर्ट) दे कि कोई सकल-सम्पत्ति (assets) ठीक नहीं है या संदिग्ध है

और यह सिफारिश भी करे कि उक्त स्वीकृति आवश्यक है :

परन्तु लेखा-परीक्षक ऐसी सिफारिश तब तक नहीं करेगा, जब तक उक्त सकलसम्पत्ति पूर्णतः पर्याप्त न हो।

(ग) किसी वर्ष के शुद्ध लाभों में से धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित अनुपात निकाल कर आरक्षित निधि में जमा कराने के पश्चात् उपधारा (2) के प्रतिबन्धाधीन, उक्त लाभों का बकाया गत वर्षों के अवितरित लाभों सहित, यदि कोई हों, विहित मात्रा में और विहित शर्तों के अधीन सदस्यों में लाभांश (dividend) के रूप में वितरित किया जा सकेगा या किसी सदस्य या कर्मचारी को ऐसी विशिष्ट सेवा के लिये, जो उसने सभा को प्रदान की हो, अतिरिक्त लाभ (bonus) या परिलाभ (remuneration) के रूप में दिया जा सकेगा।

(2) धारा 40 के अधीन कोई भी अंशदान (contribution) केवल वास्तव में प्राप्त लाभों में से ही दिया जा सकेगा, अन्यथा नहीं।

39. आरक्षित निधि (reserve fund).—(1) प्रत्येक सभा अपने व्यवहार से प्राप्त लाभों, यदि कोई हों, के सम्बन्ध में एक आरक्षित-निधि रखेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष में सभा के शुद्ध लाभों (net profits) का कम से कम पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक ऐसा अनुपात, जो उक्त सभा या सभा-श्रेणी के लिये विहित किया जाए, आरक्षित निधि में जमा कर दिया जाएगा।

(3) उस मात्रा और रीति को छोड़ कर, जो विहित की जाए, सभा के व्यवसाय में उसकी आरक्षित-निधि (reserve fund) का कोई भी भाग प्रयोग में नहीं लाया जाएगा।

(4) आरक्षित निधि का ऐसा भाग, जो सभा के व्यवसाय में प्रयोग न हुआ हो निम्नलिखित में विनियोजित (invest) कर दिया जाएगा या निम्नलिखित के पास जमा करा दिया जाएगा।

(क) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक में, या

(ख) इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 (Indian Trust Act, 1882) की धारा 20 में विशिष्ट प्रतिभूतियों में से, उस धारा के खंड (e) में विशिष्ट प्रतिभूतियों को छोड़ कर, किसी भी प्रतिभूति में, या

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य बैंक में।

40. परोपकार सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए अंशदान (contribution).—किसी वर्ष के शुद्ध लाभों का, धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित अनुपात आरक्षित निधि में डालने के पश्चात् कोई सभा नियमानुसार चैरिटेबल एंडोमैंट्स ऐक्ट, 1890 (Charitable Endowments Act, 1890) की धारा 2 में परिभाषित किसी भी परोपकार सम्बन्धी प्रयोजन के लिए उक्त बकाया के दस प्रतिशत तक अंशदान दे सकेगी।

41. भविष्य-निधि (प्रोविडेन्ट फंड).— (1) कोई भी सभा, स्थितिअनुसार, अपने सदस्यों, पदाधिकारियों या कर्मचारियों के लिए एक भविष्य निधि (प्रोविडेन्ट फंड) स्थापित कर सकेगी और जब धारा 39 की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किसी वर्ष के शुद्ध लाभों का अनुपात आरक्षित-निधि में जमा करा दिया गया हो और जब धारा 40 द्वारा अपेक्षित अंशदान दे दिया गया हो तो सभा भविष्य-निधि (प्रोविडेन्ट फंड) में ऐसा अंशदान दे सकेगी, जिसकी नियमों या उपविधियों में व्यवस्था की जाए।

(2) उक्त भविष्य-निधि (प्रोविडेन्ट फंड) का प्रयोग सभा के व्यवसाय में नहीं किया जाएगा, किन्तु वह धारा 39 की उपधारा (4) में विशिष्ट एक या अधिक रीतियों में विनियोजित (intvest) कर दी जाएगी या जमा कर दी जाएगी।

42. उधार (loans) पर आयंत्रण.— (1) कोई भी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं देगी :

परन्तु रजिस्ट्रार की सामान्य या विशेष स्वीकृति लेकर कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा अन्य पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा को या ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए उधार (loan) दे सकेगी, जो विहित की जाएं।

(2) उस दशा को छोड़ कर जब रजिस्ट्रार की स्वीकृति ले ली गई हो, असीमित दायित्व (unlimited liability) वाली कोई सभा चल-सम्पत्ति (moveable property) की प्रतिभूति (security) पर धन उधार नहीं देगी।

(3) राज्यशासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा को या पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा-श्रेणी को अचल-सम्पत्ति (immovable property) के बन्धक (mortgage) पर धन उधार देना मना कर सकेगी या उस पर आयन्त्रण लगा सकेगी।

43. उधार लेने (borrowing) पर आयन्त्रण.—कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा उन व्यक्तियों से, जो सदस्य न हों, केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों पर, जो नियमों या उपविधियों द्वारा विहित की जाएं, निक्षेप (deposits) या उधार प्राप्त करेगी।

44. ऐसे व्यक्तियों से, जो सदस्य न हो, अन्य व्यवहार करने पर आयंत्रण.—धारा 42 और 43 में व्यवस्थित दशा को छोड़ कर पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा का सदस्यों के सिवाए अन्य व्यक्तियों से व्यवहार ऐसे निषेधों (prohibitions) और आयंत्रणों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए होगा, जैसा राज्य शासन नियमों द्वारा विहित करे।

45. किसी सहकारी प्रयोजन के लिये अंशदान.—यदि रजिस्ट्रार ऐसा करने का निर्देश दे तो कोई भी सभा किसी वर्ष में शुद्ध लाभों (net profits) का एक चौथाई आरक्षित निधि में जमा कराने के पश्चात् शेष शुद्ध लाभों के पांच प्रतिशत से अनधिक राशि ऐसे सहकारी प्रयोजन के लिये अंशदान के रूप में दे सकेगी, जो विहित किया जाए।

46. सहकारी शिक्षा-निधि में अंशदान.—प्रत्येक सभा जो, अपने सदस्यों को 4 प्रतिशत पर

या अधिक मान (rate) पर लाभांश (dividend) देती हो, विहित सहकारी शिक्षा-निधि में और विहित मान (rate) से अंशदान देगी।

अध्याय 7

सहकारी सभाओं के विशेषाधिकार और शक्तियां

47. सहकारी सभाओं की लगान सम्बन्धी वाद (rent suit) की सूचना (नोटिस) मंगवाने की शक्ति.— ऐसी सभा जिस के उद्देश्यों के अन्तर्गत अपने सदस्यों, को उधार (loan) देना भी सम्मिलित हो और ऐसे वित्त प्रबन्धक अधिकोष, यदि कोई हो, जिनकी उक्त सभा सदस्य हो, उक्त सभा के किसी भी सदस्य के भूमिपति पर विहित रीति से सूचना (नोटिस) की तामील कराके भूमिपति से यह अपेक्षा कर सकेंगे कि वह उक्त सदस्य के विरुद्ध उसके द्वारा दायर किये गये किसी लगान सम्बन्धी वाद (rent suit) की सूचना (नोटिस) उक्त सभा या वित्त प्रबन्धक अधिकोष या इन दोनों को प्रदान करे।

48. सदस्यों के हिस्सों (शेयरों) के सम्बन्ध में प्रभार और प्रतिसादन (set off).—पूंजी के हिस्से या स्वत्व (share or interest) और किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के निक्षेप (deposit) और उक्त किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सभा को देय किसी उधार (debt) के सम्बन्ध में किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को देय किसी भी लाभांश, अतिरिक्त लाभ या लाभों पर, पंजीकृत सभा का प्रभार होगा, और वह किसी सदस्य, या भूतपूर्व या मृत सदस्य के नाम पर जमा या उस को देय राशि उक्त किसी उधार (debt) की चुकती करने में प्रतिसादित (set off) कर सकेगी।

49. हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की कुर्की नहीं हो सकेगी.— धारा 48 के उपबन्धाधीन किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा की पूंजी में किसी सदस्य के हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की, उक्त सदस्य द्वारा लिये गये किसी उधार या उठाये गये किसी दायित्व के सम्बन्ध में किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या बिक्री नहीं हो सकेगी, और न ही प्रोविंशियल इन्सौलवैंसी ऐक्ट, 1920 (Provincial Insolvency Act, 1920) के अधीन कोई भी आदाता (receiver) उक्त हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) की मांग करने या उस पर मांग रखने का अधिकारी होगा।

50. सदस्यों की पंजी (रजिस्टर).—किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा द्वारा सदस्यों या हिस्सों (शेयरों) की पंजी (रजिस्टर) या सूची उनमें लिखे हुए निम्नलिखित विषयों में से किसी के लिये भी प्रत्यक्ष साक्ष्य (*prima facie* evidence) मानी जायेगी :—

(क) वह दिनांक जिसको उक्त पंजी (रजिस्टर) या सूची में किसी व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में लिखा गया हो ;

(ख) वह दिनांक जिससे उक्त कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहता।

51. सभाओं की पुस्तकों की प्रविष्टियों का प्रमाण.— किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा की किसी पुस्तक में किसी भी प्रविष्ट विषय की, व्यवसाय-मध्य नियमित रूप से रखी गई कोई प्रतिलिपि, यदि नियमों द्वारा विहित रीति में प्रमाणित कर दी जाये तो वह किसी भी वाद या वैधानिक कार्यवाहियों में उक्त प्रविष्टि की विद्यमानता के प्रत्यक्ष साक्ष्य (*prima facie* evidence) के रूप में ग्रहण की जायेगी,

और प्रत्येक दशा में, उसमें अभिलिखित विषयों, व्यवहारों और लेखों के साक्ष्य के रूप में उसी मात्रा तक तथा उसी दशा में मान्य होगी जहां तक और जिस दशा में मूल प्रविष्टि स्वतः मान्य हो।

52. **सदस्य की मृत्यु हो जाने पर स्वत्व का हस्तांतरण.**—(1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर, कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा मृत व्यक्ति का हिस्सा (शेयर) या स्वत्व (interest) इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसार नामांकित व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर सकेगी या यदि, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति नामांकित न हो तो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर सकेगी जो समिति को मृत सदस्य का उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि जान पड़े या स्थितिअनुसार उक्त नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि को उतनी राशि दे देगी जो नियमों या उपविधियों के अनुसार उक्त सदस्य के हिस्से (शेयर) या स्वत्व के निश्चित मूल्य की प्रतिनिधाई हो:

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि —

(अ) असीमित दायित्व वाली सभा की दशा में स्थितिनुअसार कोई भी नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि मृत सदस्य के हिस्से (शेयर) या स्वत्व (interest) के पूर्वोक्तानुसार निश्चित मूल्य की सभा द्वारा चुकती किए जाने की मांग कर सकेगा ;

(आ) सीमित दायित्व वाली सभा की दशा में सभा मृत सदस्य का हिस्सा (शेयर) या स्वत्व, स्थिति-अनुसार, ऐसे नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि के नाम पर हस्तान्तरित कर देगी जो सभा की सदस्यता के लिये नियमों और उपविधियों के अनुसार योग्य हो, या मृत सदस्य की मृत्यु होने से एक मास के भीतर उसके प्रार्थनापत्र में निर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित कर देगी जो उक्त रूप से योग्य हो।

(2) कोई पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा ऐसा समस्त देय धन, जो उस सभा ने, स्थितिअनुसार, उक्त नामांकित व्यक्ति, उत्तराधिकारी (heir) या वैधानिक प्रतिनिधि को देना हो उसे चुका सकेगी।

(3) इस धारा के उपबन्धानुसार पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा द्वारा किए गए समस्त हस्तांतरण और की गई समस्त चुकतियां, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सभा पर की गई किसी मांग के विरुद्ध मान्य और प्रभावपूर्ण होंगी।

53. **पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) और ऋणपत्रों से सम्बद्ध विलेखों (instruments) को अनिवार्य रूप से पंजीकृत (रजिस्टर्ड) करवाने से विमुक्ति.**—इंडियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Registration Act, 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (b) और (c) का कोई भी उपबन्ध :—

(1) पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा के हिस्सों (शेयरों) से सम्बद्ध किसी विलेख (instrument) पर प्रयुक्त नहीं होगा, चाहे उक्त सभा की सकलसम्पत्ति (assets) पूर्णरूपेण या अंशरूपेण अचल सम्पत्ति हो, या

(2) जहां तक कि कोई ऋणपत्र किसी ऋणपत्रधारी को ऐसे पंजीकृत विलेख (registered instrument) द्वारा प्रदत्त प्रतिभूमि का अधिकारी बनाता है, जिस के द्वारा सभा

ने अपनी सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति या उसका भाग या स्वत्व ऋणपत्रधारियों के लाभार्थ न्यास के न्यासधारियों के पास बन्धक या गिरवी रखा हो या अन्यथा हस्तांतरित किया हो, उसे छोड़ कर, ऐसे किसी भी ऋणपत्र पर प्रयुक्त नहीं होगा जो किसी भी उक्त सभा ने जारी किया हो और अचल सम्पत्ति पर या उस में कोई अधिकार, आगम या स्वत्व, उत्पन्न, घोषित, अभिहस्तांकित, सीमित या समाप्त न करता हो, या

(3) उक्त सभा द्वारा दिए गए किसी ऋणपत्र के किसी पृष्ठलेख या ऋणपत्र के किसी हस्तांतरण पर प्रयुक्त नहीं होगा।

54. **सहकारी सभाओं को देय धन सदस्यों के वेतन में से काटना।**—यदि सभा के ऐसे सदस्य ने, जो भारत संघ या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में हो सभा से कोई उधार (loan) लिये हुआ हो और किस्तों में उक्त उधार वापस करने के लिये लिखित संविदा किया हुआ हो तथा उक्त किस्तें, उसके वेतन में से काट कर वसूल करने का सभा को लिखित रूप में प्राधिकार दिया हो, तो वह व्यक्ति जो उक्त सेवा के सम्बन्ध में उक्त सदस्य को वेतन के रूप में देय कोई राशि बांटता है, सभा की मांग पर उक्त सदस्य को वेतन के रूप में दी जाने वाली राशि में से उक्त किस्त की राशि काट लेगा और इस प्रकार काटी गई राशि सभा के पास अविलम्ब जमा करा देगा।

55. **राज्य शासन की आर्थिक सहायता देने की शक्ति।**—तत्काल प्रचलित किसी भी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य शासन नियमों के अधीन रहते हुए किसी भी सभा को उधार दे सकेगा, उसके हिस्से ले सकेगा या किसी अन्य रूप में उसे आर्थिक सहायता दे सकेगा।

56. **कुछ सभाओं से उधार लेने वाले सदस्यों की अचल सम्पत्ति पर प्रभार।**—इस अधिनियम या तत्काल प्रचलित अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी—

(अ) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के पास कोई भूमि हो जिसने उस सभा से उधार लेने के लिए प्रार्थनापत्र दिया हो जिसका वह सदस्य हो, वह व्यक्ति नियमों द्वारा विहित प्रपत्र में एक घोषणा करेगा। उक्त घोषणा में यह विवरण दिया जाएगा कि इस के द्वारा प्रार्थी पार्थनापत्र के अनुपालन में सभा द्वारा निश्चित अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए सदस्य को दिए जाने वाले ऋण और उसके द्वारा अपेक्षित सभा द्वारा उसको भविष्य में दिए जाने वाले समस्त अग्रिम धन, यदि कोई हो, की उक्त ऋण और अग्रिम धन की राशि के ब्याज सहित चुकती करने के लिए घोषणा में विशिष्ट अपनी भूमि और फसलों पर एक भार उत्पन्न करता है;

(आ) हिमाचल प्रदेश सहकारी सभा अधिनियम, 1955 के प्रचलन के दिनांक से पूर्व जिस किसी व्यक्ति ने ऐसी सभा से उधार लिया हो, जिसका वह सदस्य हो और उसके पास कोई भूमि या फसलें हों; खण्ड (अ) में निर्दिष्ट अभिप्राय की तथा निर्दिष्ट प्रपत्र में यथासम्भवशीघ्र एक घोषणा करेगा। जब तक वह उक्त घोषणा नहीं करता तब तक उसे सभा के सदस्य के रूप में किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हक नहीं होगा;

(इ) खण्ड (अ) और (आ) के अधीन की गई घोषणा, सदस्य द्वारा उस सभा की

सहमति से जिसके पक्ष में उक्त प्रभार उत्पन्न किया गया हो, किसी भी समय संपरिवर्तित की जा सकेगी ;

(ई) कोई भी सदस्य खण्ड (अ) या (आ) के अधीन की गई घोषणा में विशिष्ट भूमि या फसलों या उनके किसी भाग को तब तक अन्यार्पण (alienate) नहीं करेगा जब तक सदस्य द्वारा लिए गए उधार की समस्त राशि ब्याज सहित पूर्ण रूपेण नहीं चुकाई जाती:

परन्तु उक्त किसी भूमि पर खड़ी फसलें सभा की पूर्वानुमति लेकर अन्यार्पित की जा सकेंगी ;

(उ) खण्ड (ई) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया कोई भी अन्यार्पण (alienation) शून्य होगा ;

(ऊ) किसी उधार के कारण देयधन के लिए तथा उतनी राशि तक जो उसने देनी हो, खण्ड (अ) या (आ) के अधीन की गई घोषणा में ऋण के सम्बन्ध में विशिष्ट भूमि पर भूराजस्व या भूराजस्व के रूप में वसूल किए जा सकने वाले किसी धन के सम्बन्ध में शासन को पूर्वता (prior claims) देने के पश्चात् सभा को प्रथम प्रभार प्राप्त होगा ;

(ए) अधिकार अभिलेख में, खण्ड (अ) या (आ) के अधीन किसी घोषणा के अन्तर्गत किसी भूमि पर उत्पन्न प्रत्येक प्रभार का ब्योरा अन्तरविष्ट होगा।

(ऐ) सभा का ऐसा प्रत्येक सदस्य जो सभा से उधार लेता है, विहित प्रपत्र में इस अभिप्राय की एक घोषणा निष्पादित करेगा कि जब तक ऋण वापस नहीं किया जाता तब तक घोषणा में विशिष्ट भूमि पर उसके द्वारा उगाई गई फसलों के सम्बन्ध में सभा का प्रथम प्रभार होगा।

57. ऋणपत्रों के मूल और ब्याज का प्रतिरक्षण (guarantee) करने की राज्य शासन की शक्ति.—(1) इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी ऋणपत्र या ऋणपत्रों की किसी श्रेणी या ऋणपत्र के क्रम या ऋणपत्रों के किसी विवाद के सम्बन्ध में राज्यशासन—

(क) मूलधन की ऐसी अधिकतम राशि या ब्याज के ऐसे मान (rate) और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित हों ऋणपत्र के मूलधन तथा उसके ब्याज का प्रतिरक्षण (guarantee) करेगा, और

(ख) इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट, 1882 (Indian Trust Act, 1882) में किसी बात के होते हुए भी यह घोषणा कर सकेगा कि उक्त ऋणपत्र कथित ऐक्ट की धारा 20 में परिगणित (enumerated) प्रतिभूतियों में सम्मिलित समझे जाएंगे।

(2) राज्यशासन के स्पष्ट प्राधिकार के बिना उक्त ऋणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

58. प्रतिरक्षित (guaranteed) ऋणपत्र जारी करना —(1) जब ऋणपत्र जारी करके किसी सभा को ऋण (loan) प्राप्त करने का धारा 57 की उपधारा (2) के उपबन्धाधीन अधिकार दिया गया हो और उन ऋणपत्रों का मूलधन और ब्याज उक्त रूप से प्रतिरक्षित (guaranteed) हो तो

ऋणपत्रधारियों के प्रति सभा के आभार पूरे करने के सुनिश्चयन हेतु राज्यशासन न्यासधारी (trustee) का कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार या किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करेगा।

(2) न्यासधारी (trustee) की पूर्वानुमति लेकर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह आरोपित करे कोई सभा एक या अधिक नामों (denominations) के ऋणपत्र ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, सभा की सकलसम्पत्ति (assets) की प्रतिभूति पर जारी कर सकेगी जिसमें ऐसे बन्धक (mortgages) भी सम्मिलित होंगे जो स्वीकृति, अभिहस्तांकन या हस्तांतरण द्वारा उसके पास हों।

(3) उक्त ऋणपत्र निम्नलिखित एक या दोनों शर्तों के अधीन रहते हुए जारी किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) जारी करने के दिनांक से तीस वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि नियत की जाएगी जिसके मध्य वे अमोचनीय होंगे ;

(ख) सभा के लिए यह अधिकार रक्षित किया जाएगा कि वह जारी किए जा चुके कोई भी ऋणपत्र मोचन (redemption) के लिए नियत दिनांक से पूर्व किसी भी समय सम्बन्धित ऋणपत्रधारी को लिखित रूप में कम से कम तीन मास की सूचना देने के पश्चात् और अन्य किसी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए भी जो न्यासधारी (trustee) आरोपित करे, वापस मांग सकेगी।

(4) ऐसी समस्त राशि, जो किसी सभा द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों (जिन में इस अधिनियम का प्रारम्भ होने से पूर्व जारी किए गए ऋणपत्र भी सम्मिलित हैं) के सम्बन्ध में देय हो तथा जो किसी भी समय चुकाने से शेष रह गई हो, बन्धकों पर देय समस्त राशि, ऐसी राशि जो उसके अन्तर्गत चुका दी गई हो और सभा या न्यासधारी के पास उक्त समय हो तथा सभा की तत्समय विद्यमान अन्य सकलसम्पत्ति (assets) जो हस्तांतरण या अभिहस्तांकन द्वारा सभा के कब्जे में हो, के मूल्य के योग से अधिक नहीं बढ़ेगी।

(5) जब मोचन (redemption) के लिए नियत दिनांक से पूर्व सभा ने कोई ऋणपत्र मांगा हो तो सभा को न्यासधारी (trustee) की पूर्वानुमति ले कर ऋणपत्र को रद्द करने और चुकाए गए या अन्य प्रकार से पूर्ण या समाप्त किए गए ऋणपत्र के स्थान पर कोई नया ऋणपत्र जारी करने, या तो उसी ऋणपत्र को फिर से जारी करने या उसके स्थान पर एक अन्य ऋणपत्र जारी करके, ऋणपत्र पुनः जारी करने की शक्ति होगी और इस प्रकार पुनः जारी किए गए ऋणपत्र के आधार पर उक्त ऋणपत्र के अधिकारी को वही अधिकार और पूर्वाधिकार यदि कोई हों, प्राप्त होंगे तथा सर्वथा प्राप्त समझे जायेंगे मानो कि ऋणपत्र पहले जारी नहीं किया गया था।

59. न्यासधारी (trustee) एकाकी निगम (corporation sole) होगा. - धारा 58 के अधीन नियुक्त न्यासधारी (trustee) उन ऋणपत्रों के लिए जिन के सम्बन्ध में उसकी नियुक्ति हुई हो, न्यासधारी (trustee) के नाम से एक एकाकी निगम (corporation sole) होगा और

इस रुप में उसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और उस की एक सामान्य मुहर होगी तथा वह इस नाम से वाद चलाएगी और इस नाम से उस पर वाद चलाया जायगा।

60. न्यासधारी (trustee) की शक्तियाँ तथा कर्तव्य.—(1) न्यासधारी (trustee) की शक्तियां और कर्तव्य इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा तथा सभा और न्यासधारी (trustee) के मध्य निष्पादित न्यास के विलेख (instrument) द्वारा प्रशासित होंगे।

(2) उक्त विलेख (instrument) का प्रारूप और ऐसा कोई संपरिवर्तन, जो उसके निष्पादन के पश्चात् पारस्परिक सहमति से उसके पक्ष, उसके किसी निबन्ध (terms) में रखना चाहें, राज्यशासन की पूर्वानुमति के प्रतिबन्धाधीन होगा।

61. सकलसम्पत्ति (assets) पर ऋणपत्रधारियों का प्रभार—धारा 58 की उपधारा (2) के उपबन्धाधीन ऋणपत्र जारी कर दिए जाने पर, सभा की सकलसंपत्ति (assets) जिसमें ऐसे कोई बन्धक भी सम्मिलित हैं, जो स्वीकृति, अभिहस्तांकन या हस्तांतरण द्वारा सभा के पास हों, न्यासधारी (trustee) में निहित होगी और ऋणपत्रधारियों को उक्त समस्त सकलसम्पति (assets) जिस में वह राशि भी सम्मिलित है, जो उक्त बन्धकों के अन्तर्गत चुकाई गई हो और न्यासधारी (trustee) या सभा के पास शेष हो तथा सभा की सम्पत्ति पर चल प्रभार (floating charge) प्राप्त होगा।

62. सहकारी सभा की मांगों (claims) का विवरणपत्र मंगवाने की शक्ति. (1) जब ऐसी सभा का सदस्य, जिसके उद्देश्यों में अपने सदस्यों को उधार देना सम्मिलित हो, उधार लेने के लिए प्रार्थनापत्र दे या जब कोई व्यक्ति उक्त सभा का सदस्य बनने के लिए प्रार्थनापत्र दे तो सभा प्रार्थनापत्र में नामांकित ऋणदाता या अनुवर्ती पारपृच्छा के पश्चात् निश्चित किसी ऋणदाता को, विहित रीति से सूचना (notice) दे सकेगी तथा समस्त ऋणदाताओं के लिए एक सामान्य सूचना (general notice) भी प्रकाशित कर सकेगी जिसमें उस से या उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह या वे विहित प्रपत्र में तथा सूचना में निर्दिष्ट अवधि में अपनी मांग का लिखित विवरण प्रदान करें।

(2) जब ऐसी सभा का सदस्य, जिसके उद्देश्यों में अपने सदस्यों को उधार देना सम्मिलित हो, सभा से अन्य किसी व्यक्ति से उधार लेने का विचार करे तो उक्त सदस्य निम्नलिखित विवरण देते हुए सभा को एक लिखित सूचना (notice) भेजेगा:—

(क) उक्त उधार लेने की अपनी इच्छा,

(ख) उधार की वह राशि, जो वह लेना चाहता हो, और

(ग) उधार लेने का उद्देश्य।

63. परिसीमा.—(1) इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Limitation Act, 1908) के उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी राशि, जो किसी सभा के सदस्य ने

उसे देनी हो तथा उसके ब्याज की वसूली के लिए वाद चलाने की परिसीमावधि उस दिनांक से गिनी जायगी जिसको उक्त सदस्य की मृत्यु हुई हो या जब से वह सभा का सदस्य न रहा हो।

(2) इण्डियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 (Indian Limitation Act, 1908) के उपबन्ध इस अधिनियम की धारा 87 के अधीन की गई कार्यवाहियों पर प्रयुक्त नहीं होंगे।

64. ऐसे व्यक्तियों पर जलकर (water-rate) लगाना, जो सदस्य न हों.—(1) जिस सभा का उद्देश्य अपने सदस्यों की कृष्य भूमि को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान करना हो वह सभा किसी भी सिंचनस्रोत (source of irrigation) से सिंचनयोग्य क्षेत्र को सीमांकित करने के लिए कलेक्टर से विहित प्रपत्र में प्रार्थना कर सकेगी।

(2) उक्त क्षेत्र "सिंचनयोग्य क्षेत्र" कहलायगा।

(3) कलेक्टर उक्त प्रार्थनापत्र मिलने पर, विहित रीति से सूचना देने के पश्चात् अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा सींचनयोग्य क्षेत्र का एक मानचित्र और उस में सम्मिलित कृष्य भूमि का एक विवरण, विहित रीति से तैयार करवाएगा, और उक्त मानचित्र, तथा विवरणपत्र विहित रीति से प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) यदि उक्त सभा के सदस्यों की ऐसी भूमि, जिस पर सदस्यों का कब्जा हो, सिंचनयोग्य क्षेत्र में सम्मिलित कृष्य भूमि के साठ प्रतिशत से अधिक हो तो उक्त सभा इस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति पर जल कर लगा सकेगी, जो सभा का सदस्य न हो तथा जिस के पास उक्त क्षेत्र में ऐसी कृष्य भूमि हो जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट सिंचन सुविधाओं से लाभ पहुँचता हो।

(5) उक्त जल कर, ऐसी रीति से वसूलीयोग्य होगा जो किसी सभा को उसके सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों द्वारा देय किसी राशि की वसूली के लिए इस अधिनियम में व्यवस्थित है।

65. ऐसे व्यक्तियों पर तटबन्द रक्षा कर (embankment protection rate) लगाना जो सदस्य न हों.—(1) जिस सभा का उद्देश्य अपने सदस्यों की भूमि को, तटबन्दी-रक्षा की सुविधाएं प्रदान करना हो वह सभा किसी भी तटबन्द द्वारा रक्षित क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए कलेक्टर से विहित प्रपत्र में प्रार्थना कर सकेगी।

(2) उक्त क्षेत्र "रक्षित क्षेत्र" कहलाएगा।

(3) कलेक्टर उक्त प्रार्थनापत्र मिलने पर, विहित रीति से सूचना देने के पश्चात् अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा रक्षित क्षेत्र का एक मानचित्र और उस में सम्मिलित भूमि का एक विवरण, विहित रीति से तैयार करवाएगा और उक्त मानचित्र तथा विवरण विहित रीति से प्रकाशित किए जाएंगे।

(4) यदि उक्त सभा के सदस्यों की ऐसी भूमि जिस पर सदस्यों का कब्जा हो रक्षित क्षेत्र में

सम्मिलित भूमि के साठ प्रतिशत से अधिक हो तो उक्त सभा उस सम्बन्ध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति पर तटबन्द रक्षा कर (embankment protection rate) लगा सकेगी, जो सभा का सदस्य न हो तथा जिस के पास उक्त क्षेत्र में भूमि हो।

(5) उक्त तटबन्द रक्षा कर (embankment protection rate), ऐसी रीति से वसूलीयोग्य होगा जो सभा को उसके सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों द्वारा देय किसी राशि की वसूली के लिए इस अधिनियम में व्यवस्थित है।

66. आय कर से विमुक्त करने की शक्ति.— केन्द्रीय शासन भारतीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभा या पंजीकृत (रजिस्टर्ड) सभाओं की किसी श्रेणी की दशा में सभा के लाभ पर देय या ऐसे लाभांशों (dividends) या ऐसी अन्य राशियों पर देय आय कर विमुक्त कर सकेगा, जो सभा के सदस्यों ने लाभ होने की दशा में प्राप्त की हों।

67. कुछ शुल्कों (duties), फीसों इत्यादि से विमुक्ति.— (1) राज्य शासन किसी सभा या सभाओं की श्रेणी की दशा में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तत्काल प्रचलित किसी विधि या उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों के अधीन देय किसी भी ऐसे कर (tax), उपकर (cess) या फीस (fees) को विमुक्त कर सकेगा जिस के सम्बन्ध में राज्य शासन उक्त कर (tax), उपकर (cess), या फीस (fees) विमुक्त करने के लिये सक्षम हो।

(2) किसी भी सभा या सभाओं की श्रेणी के सम्बन्ध में राज्यशासन राजपत्र में अधिसूचना दे कर :—

(क) किसी सभा द्वारा या उस की ओर से, या उसके पक्ष में अथवा उसके पदाधिकारी द्वारा या उसके सदस्य की ओर से निष्पादित तथा उक्त सभा के व्यवसाय से सम्बन्धित किसी विलेख (instrument) का मुद्रांक शुल्क (stamp duty) उन अवस्थाओं में विमुक्त कर सकेगा जहां उक्त विमुक्ति के अभाव में, स्थितिअनुसार, सभा, उस का पदाधिकारी या सदस्य उक्त विलेख (instrument) के सम्बन्ध में किसी भी तत्काल प्रचलित विधि के अधीन प्राप्य मुद्रांक शुल्क (stamp duty) चुकाने का उत्तरदायी हो ;

(ख) तत्काल प्रचलित किसी विधि के अधीन सभा द्वारा प्रलेखों के पंजीयन के लिए देय फीस विमुक्त कर सकेगा।

68. सदस्यता से निकाले हुए, सदस्यता त्यागने वाले या विकृत मस्तिष्क वाले सदस्य के हिस्सों (shares) या स्वत्व की व्यवस्थापना.—जब सभा का कोई सदस्य नियमों या उपविधियों के अनुसार निकाल दिया जाए, सदस्यता त्याग दे या जब किसी सदस्य का मस्तिष्क विकृत हो जाए तो :—

(क) उस का हिस्सा या स्वत्व धारा 18 के उपबन्धों के अनुसार हस्तांतरगृहीता होने के योग्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित किया जाएगा और नियमानुसार निश्चित उस का मूल्य उक्त सदस्य को चुका दिया जाएगा या यदि उसका मस्तिष्क विकृत हो गया हो तो इंडियन लूनेसी ऐक्ट, 1912 (Indian Lunacy Act, 1912) के अधीन उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को चुका दिया जाएगा, या

(ख) असीमित दायित्व वाली सभा की दशा में, यदि उपविधियों में ऐसी कोई व्यवस्था हो, तो नियमानुसार निश्चित उसके हिस्से या स्वत्व का मूल्य उसे चुका दिया जाएगा, यदि

उसका मस्तिष्क विकृत हो तो इंडियन लूनेसी ऐक्ट, 1912 (Indian Lunacy Act, 1912) के अधीन उस की सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति को चुका दिया जाएगा।

69. मृत, सदस्यता से निकाले हुए, सदस्यता त्यागने वाले या विकृत मस्तिष्क वाले सदस्य को देय धन की व्यवस्थापना.—ऐसी समस्त राशियां जो नियमों के अनुसार किसी सभा द्वारा किसी सदस्य को देय अगणित हों, उक्त सदस्य के हिस्सों या स्वत्व (shares or interest) के सम्बन्ध में सभा को देय अन्य चुकतियों को छोड़ कर, धारा 48 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए :—

(क) मृत सदस्य की दशा में उस व्यक्ति को दे दी जाएंगी जिसे धारा 52 के उपबन्धानुसार हिस्से (shares) और स्वत्व हस्तांतरित हुए हों या उनका मूल्य चुकाया गया हो ;

(ख) ऐसे सदस्य की दशा में, जिसे सभा से निकाल दिया गया हो या जिसने सभा से त्यागपत्र दे दिया हो, उसे दे दी जाएंगी ; और

(ग) ऐसे सदस्य की दशा में, जिस का मस्तिष्क विकृत हो गया हो, इंडियन लुनेसी ऐक्ट, 1912 (Indian Lunacy Act, 1912) के अधीन उसकी सम्पत्ति का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को दे दी जाएगी।

70. सहकारी सभा को देय उधार प्रथम प्रभार होंगे.—कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) की धारा 60 और 61 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु भूराजस्व या भूराजस्व के रूप में वसूलीयोग्य राशि या सार्वजनिक मांग (public demand) के रूप में वसूलीयोग्य राशि के सम्बन्ध में राज्यशासन की किसी मांग के अधीन रहते हुए अथवा लगान (rent) या लगान के रूप में वसूलीयोग्य किसी राशि के सम्बन्ध में भूमिपति की मांग (claim) के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सहकारी सभा को देय उधार (loan) या बकाया राशि (debt or outstanding demand)—

(क) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि बीज, खाद, श्रम सहायता (labour subsistence), पशु के लिए चारे अथवा कृषि-कर्म करने से आनुषंगिक (incidental) अन्य वस्तुओं के प्रदाय या उनकी चुकती करने के हेतु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो, तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा की फसलों या कृषि-उपज पर उस दिनांक से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय प्रथम प्रभार होगी, जब उक्त प्रदाय या उधार (loan) की पहली किस्त वापस चुकाई जानी चाहिए थी ;

(ख) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि सिंचन-सुविधाओं (irrigation facilities) के प्रदाय या उनकी चुकती करने के हेतु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो, तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा की फसलों या कृषि-उपज पर या उस भूमि की कृषि-उपज पर, जिसे उक्त रूप से सिंचन सुविधाएं दी गई हों, उस दिनांक से दो वर्ष के भीतर किसी भी समय प्रथम प्रभार होगी, जब उक्त प्रदाय या उधार (loan) की पहली किस्त वापस चुकाई जानी चाहिए थी ;

(ग) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि, उपरोक्त रीति में और मात्रा तक, पशु, कृषि-उपज के संग्रहण के लिए गोदाम के प्रदाय या उनकी खरीद करने के हेतु लिए

हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा की फसलों या कृषि-उपज पर तथा उक्त उधार (loan) से पूर्णरूपेण या अंशरूपेण खरीदे हुए या प्रदत्त पशु, कृषि-उपकरणों या गोदाम पर भी प्रथम प्रभार होगी ;

(घ) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि कच्चे माल (raw material), औद्योगिक उपकरणों, मशीनरी, वर्कशाप, गोदाम या व्यवसाय-स्थान (business premises) के प्रदाय या उनकी खरीद करने के हेतु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त उधार (loan) से पूर्णरूपेण या अंशरूपेण प्रदत्त या खरीदे हुए कच्चे माल या अन्य वस्तुओं पर तथा उक्त उधार (loan) से पूर्णरूपेण या अंशरूपेण प्रदत्त या खरीदे हुये कच्चे माल या उपकरणों या मशीनरी द्वारा बनाई गई वस्तुओं पर भी प्रथम प्रभार होगी ;

(च) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि भूमि की खरीद या मोचन (redemption) के हेतु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त उधार (loan) से खरीदी हुई या मोचित (redeemed) भूमि पर प्रथम प्रभार होगी ; और

(छ) यदि उक्त उधार (debt) या बकाया राशि किसी मकान या भवन या उन के किसी भाग की मरम्मत करने या उनकी खरीद करने या उक्त निर्माण के लिए सामग्री प्रदान करने के हेतु लिए हुए किसी उधार (loan) के सम्बन्ध में देय हो तो उक्त सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा उक्त उधार (loan) या सामग्री से निर्मित या खरीदे हुए मकान या भवन पर प्रथम प्रभार होगी ।

अध्याय 8
निरीक्षण तथा लेखा परीक्षण

71. रजिस्ट्रार का लेखा-परीक्षण के लिए उत्तरदायी होना.—(1) प्रत्येक सहकारी सभा के लेखे की प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और उस दिनांक तक जो विहित किया जाए रजिस्ट्रार द्वारा या उसके सामान्य या विशेष लिखित आदेश से इस हेतु प्राधिकृत किसी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षण किया जाएगा ।

(2) लेखा-परीक्षण के सम्बन्ध में सहकारी सभा लेखा-परीक्षण के लिए विहित फीस देगी, यदि कोई हो ।

72. रजिस्ट्रार की लेखों को पूरा करवाने की शक्ति.—यदि लेखा-परीक्षण के समय सहकारी सभा के लेखे पूरे न हो-तो रजिस्ट्रार या लेखा-परीक्षक सभा के व्यय पर लेखों को पूरा करवा सकेगा ।

73. लेखा परीक्षण का प्रकार.—(1) धारा 71 के अधीन लेखा-परीक्षण के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय होंगे —

(क) नकद बकाया और प्रतिभूतियों का सत्यापन (verification) ;

(ख) जमा कराने वाले व्यक्तियों (creditors) तथा ऋणदाताओं के खाते में बकाया राशि का तथा सभा से उधार लेने वाले व्यक्तियों से प्राप्य राशि का सत्यापन ;

(ग) समयोत्तर ऋणों (overdue debts), यदि कोई हों, की जांच ;

(घ) सभा की सकलसम्पत्ति और दायित्वों (assets and liabilities) का मूल्यांकन ;

(च) सभा के व्यवहारों, जिसमें धन सम्बन्धी व्यवहार सम्मिलित हैं, की जांच ;

(छ) ऐसे प्रपत्र में जो विहित किया जाए, प्रबन्धक समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले लेखा विवरण की जांच ;

(ज) प्राप्त लाभों का प्रमाणिकरण ; और

(झ) अन्य ऐसा विषय जो विहित किया जाए ।

(2) इस प्रकार से परीक्षित लेखा-विवरण ऐसे संपरिवर्तन सहित, यदि कोई हो, जो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने उसमें किया हो, अंतिम होगा और सहकारी सभा पर बाध्य होगा ।

74. लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन.— लेखा-परीक्षक परीक्षित लेखा-विवरण सहित लेखा-परीक्षण का प्रतिवेदन (audit report), जिसमें निम्नलिखित विषयों के विवरण सम्मिलित होंगे, उस दिनांक तक सहकारी सभा तथा रजिस्ट्रार को भेजेगा जो विहित किया जाए: —

(क) प्रत्येक ऐसा व्यवहार (transaction), जो उसे विधि या नियमों या उपविधियों के प्रतिकूल प्रतीत हो ;

(ख) प्रत्येक ऐसी राशि, जो लेखे में दिखाई जानी चाहिए थी परन्तु दिखाई न गई हो ;

(ग) किसी प्रकार की ऐसी कमी या हानि का परिमाण जिसके सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि वह असावधानी या दुराचार के परिणामस्वरूप हुई है या जिसके सम्बन्ध में पुनः जांच करने की आवश्यकता प्रतीत हो ;

(घ) सभा की ऐसी धनराशि या सम्पत्ति, जिसके सम्बन्ध में यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने उसका दुरुपयोग किया है या उसे छलपूर्वक अपने पास रखा है ;

(च) कोई भी सकलसम्पत्ति जो उसे ठीक प्रतीत न हो या संदिग्ध प्रतीत हो; और

(छ) ऐसा अन्य कोई विषय, जो विहित किया जाए ।

75. त्रुटियों का सुधार.— सहकारी सभा को रजिस्ट्रार, लेखा-परीक्षक द्वारा निकाली गई किन्हीं त्रुटियों या अनियमताओं को स्पष्ट करने का अवसर देगा और उसके पश्चात् सभा रजिस्ट्रार द्वारा निदेशित अवधि में तथा रीति से उक्त त्रुटियों और अनियमताओं को ठीक करेगी और इस सम्बन्ध में वह जो कार्यवाही करे उसका प्रतिवेदन रजिस्ट्रार को देगी ।

76. रजिस्ट्रार द्वारा निरीक्षण.— रजिस्ट्रार समय समय पर किसी पंजीकृत (रजिस्टड) सभा का स्वयं निरीक्षण कर सकेगा, या इस हेतु अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उक्त सभा का निरीक्षण करवा सकेगा ।

77. रजिस्ट्रार द्वारा परिपृच्छा.—(1) रजिस्ट्रार स्वयं या इस हेतु लिखित रूप से उसके द्वारा विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति सभा के संविधानिक कार्यों (constitution working) और वित्तीय स्थिति की परिपृच्छा कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार.—

(क) ऐसी सभा की मांग करने पर, जिसे इस हेतु बनाए गए नियमों द्वारा उक्त मांग करने का विधिपूर्वक प्राधिकार प्राप्त हो, उसके किसी एक सदस्य के सम्बन्ध में, यदि वह सदस्य कोई सभा हो,

(ख) सभा की समिति के बहुमत के प्रार्थनापत्र पर ;

(ग) सभा के एक तिहाई सदस्यों के प्रार्थनापत्र पर,

ऐसी परिपृच्छा करेगा जो इस धारा की उपधारा (1) में अनुकल्पित है ।

(3) सभा के समस्त पदाधिकारी तथा सदस्य जिनके मामलों की जांच की गई हो, रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की ऐसी सूचना देंगे, जो सभा के मामलों के सम्बन्ध में उनके कब्जे में हो और जो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति ने मांगी हो ।

(4) इस धारा के अधीन की गई परिपृच्छा का परिणाम उस सभा को भेजा जाएगा जिसके मामलों की जांच की जा चुकी हो ।

78. निरीक्षण या परिपृच्छा का व्यय —रजिस्ट्रार पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और लिखित आदेश द्वारा जिसमें वह आदेश देने के कारणों का उल्लेख करेगा धारा 79 के अधीन किए गए निरीक्षण या धारा 77 के अधीन की गई परिपृच्छा के व्यय का, या व्यय के ऐसे भाग का, जो वह उचित समझे, अभिभाजन सहकारी सभा, उसके सदस्यों या वित्त प्रबन्धक अधिकोष या ऋणदाताओं या, स्थितिअनुसार, उक्त निरीक्षण या परिपृच्छा की प्रार्थना करने वाले ऋणदाता या ऋणदाताओं और सभा के पदाधिकारियों, भूतपूर्व पदाधिकारियों, सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के मध्य कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध सभा से अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपील का व्यय किसी भी सहकारी सभा की निधि में से वहन नहीं किया जाएगा ।

79. ऋणग्रस्त सहकारी सभा की पुस्तकों का निरीक्षण.— (1) उपधारा (2) के उपबन्धाधीन सहकारी सभा के ऋणदाता के प्रार्थनापत्र पर सभा की पुस्तकों का निरीक्षण रजिस्ट्रार द्वारा या इस हेतु उसके सामान्य या विशेष लिखित आदेश से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

(2) उक्त कोई भी निरीक्षण नहीं किया जाएगा जब तक कि—

(क) सभा को सुनवाई का अवसर देने के बाद रजिस्ट्रार का समाधान न हो जाए कि कथित ऋण (debt) उस समय देय राशि है और ऋणदाता ने उसकी चुक्ती की मांग की है और उचित समय के अन्दर वह पूरी नहीं की गई है; और

(ख) ऋणदाता रजिस्ट्रार के पास निरीक्षण के व्यय के लिए प्रतिभूति के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा निदेशित राशि जमा न कर दे ।

(3) रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन किसी भी निरीक्षण का परिणाम ऋणदाता, सभा और ऐसे वित्त प्रबन्धक अधिकोष, यदि कोई हो, को भेजेगा जिसकी सदस्यता में वह सभा सदस्य हो।

80. ऐसी त्रुटियां जो परिपृच्छा या निरीक्षण से प्रकट हुई हों, रजिस्ट्रार द्वारा सभा के ध्यान में लाई जाएंगी.—(1) यदि धारा 77 के अधीन की गई परिपृच्छा या धारा 76 के अधीन किए गए निरीक्षण से सभा के कारोबार में किसी प्रकार की त्रुटियां प्रकट होती हैं तो रजिस्ट्रार उक्त त्रुटियों को सभा के ध्यान में लाएगा और यदि सभा संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रबन्धक संस्था (financing institution) की सदस्य हो तो संघीय सभा (federal society) या वित्त-प्रबन्धक संस्था (financing institution) के ध्यान में भी लायगा। सभा या उसके पदाधिकारी या संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रबन्धक संस्था (financing institution) को भी निदेश देते हुए रजिस्ट्रार आदेश में विनिष्ट अवधि में त्रुटियों को सुधारने के लिए ऐसी कार्यवाही करने का आदेश देगा, जो उसमें विनिष्ट की जाए।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध संघीय सभा (federal society) या वित्त प्रबन्धक संस्था (financing institution) या सम्बद्ध सभा ऐसी अवधि में, जो आदेश में त्रुटियों को सुधारने के लिए विनिष्ट हो, उसमें विनिष्ट अवधि के भीतर अपील कर सकेगी।

(3) राज्यशासन अपील का निर्णय करते हुए रजिस्ट्रार का आदेश शून्य कर सकेगा, उसे उलट सकेगा, उसमें संपरिवर्तन कर सकेगा या उसकी पुष्टि कर सकेगा।

81. रजिस्ट्रार का कर्तव्य भ्रष्ट प्रवर्तकों (deliquent promotors) के विरुद्ध क्षति निर्धारण करना.—(1) जहां धारा 71 के अधीन लेखा-परीक्षण करते समय या धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करते समय या धारा 76 के अधीन निरीक्षण करते समय या सभा का समापन करते समय यह प्रतीत हो कि ऐसे व्यक्ति ने, जिसने किसी सभा के संगठन या प्रबन्ध में भाग लिया हो या सभा के किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान सभापति, सचिव या उसकी प्रबन्धक समिति के सदस्य या पदाधिकारी ने सभा की किसी धनराशि या सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है या उसे अपने पास रखा है या उसके लिए वह उत्तरदायी हो गया है या उसने उस का हिसाब देना है या अपकृति (misfeasance) का दोषी रहा है या सभा के साथ विश्वासघात करने का दोषी रहा है, लेखापरीक्षण या परिपृच्छा या निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी, या विगणिक (liquidator) या किसी ऋणदाता, या अंशदाता (contributor) के प्रार्थनापत्र पर उक्त व्यक्तियों के आचरण की जांच कर सकेगा और सम्बद्ध व्यक्ति को अपनी सफाई प्रस्तुत करने का उचित अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह क्रमशः धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग को ऐसे मान (rate) पर आगणित ब्याज सहित, जो रजिस्ट्रार उचित समझे वापस चुकाए या उसकी पूर्ति करे या सभा की सकलसम्पत्ति (assets) में ऐसी राशि अंशदान के रूप में दे जो दुरुपयोग (mis-application), धन या सम्पत्ति अपने पास रखने, अपकृति (misfeasance) या विश्वासघात की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार उचित समझे।

(2) यह धारा उस अवस्था में भी प्रयुक्त होगी जब कि अपराधी व्यक्ति कर्म के लिए दंड्य रूप से उत्तरदायी हो।

अध्याय

कृषि-सभाएं

82. प्रारम्भिक प्रक्रिया.—(1) कृषि की किसी योजना में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति एक कृषि-सभा का पंजीयन (रिजिस्ट्रेशन) करने के लिये रजिस्ट्रार को प्रार्थनापत्र दे सकेंगे, यह प्रार्थनापत्र धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार दिया जाएगा और इस में योजना से प्रभावित क्षेत्र विशिष्ट होगा। इसके साथ निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे :—

(क) उक्त योजना का विस्तृत वर्णन और उसके व्यय का अनुमान,

(ख) योजना में सम्मिलित की जाने वाली भूमियों के उन भूस्वामियों के नाम जिन्हों ने योजना बनाने में अपनी सहमति (consent) दे दी हो, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे, जो नियमों द्वारा विहित हों।

(2) प्रार्थनापत्र संलग्न पत्रों सहित उस ग्राम या उन ग्रामों में और उस तहसील के मुख्यावास (headquarters) में प्रकाशित किया जाएगा, जिनकी सीमाओं में वे भूमियां स्थित हों जिन्हें योजना में समाविष्ट करने का विचार हो।

(3) उक्त सभाओं के प्रयोजनार्थ राज्यशासन, रजिस्ट्रार और कृषि संचालक (डायरेक्टर ऑफ ऐग्रीकल्चर) को मिला कर एक पर्षद् (बोर्ड) बनाएगा। यह उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रार्थनापत्र पर विचार करेगी और उसका निश्चय करेगी। पर्षद् (बोर्ड) इस सम्बन्ध में निश्चयार्थ उत्पन्न विषयों के लिये एक परिपृच्छा अधिकारी (enquiry officer) नियुक्त कर सकेगी और उस से प्रतिवेदन (report) ले सकेगी। यदि इस अध्याय के उपबन्धों या तदर्थ बनाए गए नियमों के अधीन किसी विषय के सम्बन्ध में पर्षद् (बोर्ड) के सदस्यों में मतभेद हो तो ऐसा विषय राज्यशासन को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका निर्णय राज्यशासन के निश्चयानुसार किया जाएगा।

83. पर्षद् योजना में संपरिवर्तन करके या संपरिवर्तन के बिना उसे स्वीकार कर सकेगी या स्वीकृति देने से इन्कार कर सकेगी—उक्त परिपृच्छा के उपरान्त और विहित रूप में पर्षद् (बोर्ड) कलेक्टर के परामर्श से, ऐसी परिपृच्छा करने के उपरान्त जो वह उचित समझे, या तो योजना को संपरिवर्तन सहित या संपरिवर्तन के बिना स्वीकार कर सकेगी या स्वीकृति देने से इन्कार कर सकेगी।

(2) यदि कोई अपील की गई हो तो उस पर दिये गए निर्णय के प्रतिबन्धाधीन, पर्षद् द्वारा स्वीकृत रूप में योजना राजपत्र में और अन्य ऐसी रीति से प्रकाशित की जाएगी जो विहित की जाए और उक्त प्रकाशन हो जाने पर वह अन्तिम हो जाएगी।

84. योजना का प्रभाव.—जिस दिन स्वीकृत रूप में धारा 83 के अधीन योजना प्रकाशित होती है उस दिन से वह प्रचलित हो जाएगी और उसमें समाविष्ट भूमियों के समस्त स्वामियों को चाहे वे कृषि-सभा के सदस्य हों या न हों, ऐसे अधिकार प्राप्त हो जायेंगे और वे ऐसे दायित्वों के अधीन हो जायँगे जो योजना के अधीन उन्हें प्रदत्त या उन पर आरोपित हों।

85. **योजना प्रचलित करने की शक्ति.**—उस दिन या उसके पश्चात् जब योजना प्रचलित होती है सम्बद्ध कृषि सभा विहित सूचना (notice) देने के पश्चात् और योजना के उपबन्धों के अनुसार ऐसे किसी भी कर्म को निष्पादित कर सकेगी जिसे योजना के अधीन निष्पादित करना किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य हो। इस धारा के अधीन यदि सभा ने कोई व्यय वहन किया हो तो वह उस व्यक्ति से धारा 101 में विहित रीति से वसूल किया जाएगा, जिस ने व्यय न चुकाया हो।

86. **योजना के व्यय में अंशदान.**—(1) योजना का व्यय पूर्णरूपेण या अंशरूपेण योजना से प्रभावित भूमि के प्रत्येक स्वामी के अंशदान से पूरा किया जाएगा जिसका निश्चय सभा करेगी। इस में वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसने पर्षद् (बोर्ड) के निश्चय के अनुसार कृषि-सभा का सदस्य बनने से इन्कार कर दिया हो।

(2) योजना से प्रभावित भूमि का स्वामी उक्त भूमि के सम्बन्ध में आरोप्य अंशदान की चुकती के लिये प्रथमरूपेण उत्तरदायी होगा।

अध्याय 10

विवादों का निश्चय

87. **विवाद (dispute) रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किए जाएंगे.**—सभा के व्यवसाय (business) पर प्रभाव डालने या सभा के विगणिक का कोई भी विवाद (dispute) सभा द्वारा या इस की प्रबन्धक समिति द्वारा सभा के वेतन पर काम करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध की गई अनुशासक कार्यवाही से सम्बन्धित विवाद से अन्य रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाएगा यदि उसके पक्ष में निम्नलिखित में से हों, अर्थात्—

(क) सभा, उसकी प्रबन्धक-समिति (managing committee) सभा का भूतपूर्व या विद्यमान पदाधिकारी, अभिकर्ता (agent) या कर्मचारी या विगणिक (liquidator), या

(ख) सभा के सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा मांग करने वाला सदस्य, भूतपर्व सदस्य या वर्तमान सदस्य, या

(ग) सभा के सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का प्रतिभू चाहे वह प्रतिभू (surety) सभा का सदस्य हो या न हो; या

(घ) अन्य कोई सभा या उक्त सभा का विगणिक (liquidator)।

88. **विवादों का निश्चय.**—(1) धारा 87 के अधीन कोई निर्दिष्ट विषय प्राप्त होने पर नियमों के प्रतिबन्धाधीन रजिस्ट्रार—

(क) स्वयं विवाद का निर्णय करेगा, या

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त एक या अधिक विवाचकों को निर्णयार्थ निर्दिष्ट करेगा।

(2) नियमों के प्रतिबन्धाधीन रजिस्ट्रार उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी भी निर्देशन (reference) को वापस ले सकेगा और इसका निश्चय उक्त नियमों में व्यवस्थित रीति से स्वयं कर सकेगा।

89. कुछ परिनिर्णयों (awards) की शक्ति और प्रभाव.—जहां विवाद में सांपार्श्विक प्रतिभूति (collateral security) के रूप में गिरवी रखी हुई (pledged) सम्पत्ति सन्निहित हो, उस दशा में विवाद का निश्चय करने वाला व्यक्ति एक परिनिर्णय दे सकेगा (may issue an award), जिस की शक्ति और प्रभाव ऐसे दीवानी न्यायालय की बन्धक सम्बन्धी अन्तिम डिक्री (final mortgage decree) के समान होगा, जो ऐसी डिक्री देने में क्षेत्राधिकार सम्पन्न हो।

90. परिनिर्णय (award) से पूर्व कुर्की (attachment).—जहां कोई विवाद धारा 87 के अधीन रजिस्ट्रार को या धारा 88 के खण्ड (ख) के अधीन विवाचनार्थ (for arbitration) निर्दिष्ट हुआ हो उस दशा में, स्थितिअनुसार, रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति (nominees) या विवाचकगण, यदि परिपृच्छा करने पर या अन्यथा उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसे विवाचन (arbitration) का कोई पक्ष किसी सम्भाव्य परिनिर्णय (award) के निष्पादन में देरी करने या बाधा डालने के अभिप्राय से—

(क) यदि अपनी समस्त सम्पत्ति या उस का कोई भाग बेचने वाला हो, या

(ख) अपनी समस्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग रजिस्ट्रार के अधिकार-क्षेत्र से हटाने वाला हो,

तो वह, जब तक पर्याप्त प्रतिभूति (security) न दे दी जाए, उक्त सम्पत्ति की सप्रतिबन्ध कुर्की (conditional attachment) का निदेश दे सकेगा और ऐसी कुर्की (attachment) उसी प्रकार प्रभावी होगी मानो वह सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा की गई हो।

91. आदेश का अन्तिम होना.—धारा 87 या 88 के अधीन विवाचकों के परिनिर्णय या रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति के निश्चय पर किसी भी दीवानी या माल न्यायालय में आपत्ति नहीं उठाई जा सकेगी।

92. सम्पत्ति के ऐसे वैयक्तिक हस्तांतरण, जो प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् किए गए हों सभा के विरुद्ध शून्य होंगे.—धारा 100 के अधीन, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या विगणिक (liquidator) का प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् सम्पत्ति का हस्तांतरण या सम्पत्ति-अर्पण (delivery of property) या उस पर किया गया या व्युतपन्न भारारोध या प्रभार उस सभा के विरुद्ध अभिशून्य (null and void) होगा, जिसके प्रार्थनापत्र पर उक्त प्रमाणपत्र जारी हुआ हो।

93. ऐसी सम्पति का हस्तांतरण, जो बेची न जा सके.—(1) जब धारा 100 के अधीन निष्पादित किए जाने वाले किसी आदेश के निष्पादन में खरीदारों के अभाव में सम्पत्ति बेची न जा सकती हो तो यदि उक्त सम्पत्ति बाकीदार के कब्जे में हो या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में हो या धारा 100 या 101 के अधीन रजिस्ट्रार या विगणिक (liquidator)

का प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् बाकीदार द्वारा नियत किसी आगम (title) के अधीन मांग करने वाले व्यक्ति के कब्जे में हो तो न्यायालय या, स्थितिअनुसार, कलेक्टर रजिस्ट्रार की पुर्वानुमति से यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग उस सभा को हस्तांतरित कर दिया जाए जिस ने उपरोक्त आदेश के निष्पादन की प्रार्थना की हो और यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या भाग विहित रीति से सभा को अर्पित कर दिया जाए।

(2) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं तथा ऐसे किन्हीं अधिकारों, भारारोधों, प्रभारों या समन्याओं के अधीन रहते हुए जो किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में वैध रूप से विद्यमान हों, उक्त सम्पत्ति या उसका भाग ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उक्त सभा द्वारा अपने पास रखा जाएगा जो न्यायालय या, स्थितिअनुसार, कलेक्टर तथा उक्त सभा के मध्य स्वीकार हुए हों।

94. सभा और उसके ऋणदाताओं (creditors) को आपस में समझौता करने की स्वीकृति देने के लिए रजिस्ट्रार की शक्ति.—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी सभा और उसके ऋणदाता (creditor) या ऋणदाताओं (creditors) या ऋणदाताओं की श्रेणी (class of creditors) के मध्य कोई समझौता या व्यवस्था (arrangement) प्रस्तावित हो, उस दशा में सभा या किसी ऋणदाता (creditor) या उस सभा की दशा में, जिसके सम्बन्ध में उसके समापन (winding up) का आदेश दिया गया हो, विगणिक (liquidator) द्वारा विहित रीति से प्रार्थनापत्र दिए जाने पर रजिस्ट्रार, स्थितिअनुसार, ऋणदाताओं (creditors) या ऋणदाताओं की श्रेणी (class of creditors) की बैठक विहित रीति से बुलाने, करने और विहित रीति से बैठक के संचालन का आदेश दे सकेगा।

(2) यदि सभा द्वारा ऋणदाताओं अथवा ऋणदाताओं की श्रेणी को देय उधार (debts) के तीन चौथाई की मांग का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाताओं अथवा, स्थितिअनुसार, ऋणदाताओं की श्रेणी की, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिपुरुष (proxy) द्वारा बैठक में उपस्थित बहुसंख्या किसी समझौते या व्यवस्था को स्वीकार कर ले तो वह समझौता या व्यवस्था यदि रजिस्ट्रार उसे स्वीकार (sanction) करे, विहित रीति से प्रकाशित होने के पश्चात् समस्त ऋणदाताओं या, स्थिति-अनुसार, ऋणदाताओं की श्रेणी पर तथा सभा पर भी बाध्य होगा, या उस सभा की दशा में, जिसके सम्बन्ध में समापन का आदेश (order of winding up) दिया जा चुका हो, विगणिक और उन समस्त व्यक्तियों पर बाध्य होगा जिनसे विगणिक द्वारा धारा 105 के अधीन सभा की सकलसम्पत्ति में अपना अंश देने की अपेक्षा की गई हो या की जाए।

अध्याय 11

दायित्वों को पूरा करवाना तथा वसूलियां प्रवृत्त करना

95. प्रलेखों इत्यादि की सहज लभ्यता.—रजिस्ट्रार तथा किन्हीं भी विहित प्रायंत्रणों के प्रति-बन्धाधीन लेखा-परीक्षक (औडिटर), विवाचक (arbitrator) या निरीक्षण अथवा परिपृच्छा करने वाले अन्य व्यक्ति को हर उचित समय में सभा की या सभा के संरक्षणाधीन पुस्तकें, लेखे, प्रलेख, प्रतिभूतियां,

नकदी तथा अन्य सम्पत्ति अबाध रूप से सहजलभ्य होंगी।

96. उपस्थिति बाध्य करने की शक्ति.- इस अधिनियम में जहां कहीं भी यह व्यवस्था हो कि रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के सामान्य अथवा विशेष लिखित आदेश द्वारा इस हेतु विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करेगा या धारा 76 के अधीन निरीक्षण करेगा या सभा का समापन करेगा या विवाचन करेगा उस अवस्था में रजिस्ट्रार या, स्थितिअनुसार, प्राधिकृत व्यक्ति उन्हीं उपायों द्वारा और जहां तक हो सके उसी रीति से, जो दीवानी न्यायालयों के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 में व्यवस्थित हैं, गवाहों को तथा साथ ही साथ स्वत्व रखने वाले पक्षों या उन में से किसी को बुलाने और उनकी उपस्थिति बाध्य करने या उन्हें साक्ष्य देने के लिए बाध्य करने और प्रलेखों, का प्रस्तुतिकरण बाध्य करने के लिए शक्तिसम्पन्न होगा।

97. देय राशियां चुकाने का निदेश देने की शक्ति.—अध्याय 10 में किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार या कोई अन्य विहित व्यक्ति स्वयं या सभा अथवा वित्त प्रबन्धक अधिकोष की लिखित मांग पर उचित परिपृच्छा करने के पश्चात् बाकीदार सदस्य (defaulting member) द्वारा देय उधार (loan) की वसूली के लिए एक परिनिर्णय दे सकेगा, जिस में वह उक्त सदस्य को ऐसी राशि चुकाने का निदेश दे सकेगा, जो उस से प्राप्य पाई गई हो।

98. प्रभार तथा अतिरिक्त प्रभार (charge and surcharge). – (1) जहां धारा 71 के अधीन लेखा-परीक्षण करने पर या धारा 76 या धारा 79 के अधीन निरीक्षण करने पर या धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करने पर ऐसे प्रतिवेदन पर जो सभा का समापन करते समय दिया जाय, रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि किसी भूतपूर्व पदाधिकारी ने इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात् और, स्थितिअनुसार, उक्त लेखा-परीक्षण, निरीक्षण, परिपृच्छा या प्रतिवेदन के दिनांक से पूर्व चार वर्ष की अवधि में—

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के या नियमों के या उपविधियों के विरुद्ध जानबूझकर कोई चुकती की है या प्राधिकृत की है,

(ख) किसी विहित विषय के सम्बन्ध में उसके दंडनीय प्रमाद से सभा को हानि हुई है या उसे घाटा हुआ है, या

(ग) ऐसी राशि जिसका लेखा रखा जाना चाहिए था, लेखे में नहीं लिखी है, या

(घ) सभा की किसी सम्पत्ति का दुरुपयोग किया है या छलपूर्वक वह अपने पास रखी है, तो रजिस्ट्रार उक्त पदाधिकारी के आचरण की परिपृच्छा कर सकेगा।

(2) उक्त परिपृच्छा करने के उपरान्त, उस पदाधिकारी को सुनवाई का अवसर देकर और इस अधिनियम या नियम या उपविधियों के उपबन्धों के विरुद्ध की गई चुकती की दशा में, इस प्रकार चुकाई गई राशि प्राप्तिकर्ता से वसूल करने और उसे सभा की निधि में जमा कराने का एक अवसर उक्त पदाधिकारी को देकर रजिस्ट्रार नियमों के प्रतिबन्धाधीन एक लिखित आदेश द्वारा उक्त पदाधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सभा की सकलसम्पत्ति में उक्त चुकती या हानि या घाटे की क्षतिपूर्ति के रूप में, ऐसी राशि या ऐसी सम्पत्ति जो रजिस्ट्रार उचित समझे जमा करा दे या पूर्ववत् वापस कर दे और ऐसी राशि चुकाए, जो रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन कार्यवाहियों का व्यय पूरा करने के लिए नियत करे।

(3) इस बात के होते हुए भी यह धारा प्रवर्तनीय होगी कि उक्त पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्म या अपनी भूल से इस अधिनियम या तत्काल प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन अपराधात्मक दायित्व वहन किया गया है।

99. रजिस्ट्रार को दायित्व पूरा करवाने की शक्ति.—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी सभा से इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन कोई कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई हो और वह न की गई हो तो—

(क) इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों में व्यवस्थित अवधि में, या

(ग) जहां कोई अवधि व्यवस्थित न हो उस दशा में जैसी कार्यवाही हो और जितनी कार्यवाही करनी हो उस का ध्यान रखते हुए, जो अवधि रजिस्ट्रार लिखित सूचना (नोटिस) द्वारा नियत करे उस अवधि में, रजिस्ट्रार सभा के उस अधिकारी को बुलवा सकेगा, जिसे वह विहित सिद्धांतों के अनुसार अपने निदेशों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी समझे, और सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् उक्त पदाधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब तक कि रजिस्ट्रार के आदेशों का पालन नहीं हो जाता पचीस रुपये से अनधिक ऐसी राशि, जो रजिस्ट्रार उचित समझे, सभा की सकलसम्पत्ति में दे।

100. धन कैसे वसूल किया जायगा.—धारा 105 के अधीन विगणिक (liquidator) या धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार या धारा 88 के खण्ड (ख) या धारा 87 के अधीन रजिस्ट्रार या उस के द्वारा नामांकित व्यक्तियों, और विवाचकों को निर्दिष्ट विवाद के सम्बन्ध में उस का या उन का आदेश या धारा 113 के अधीन की गई अपील पर दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 114 के अधीन पुनरावृत्ति में दिया गया प्रत्येक आदेश और धारा 113 के अधीन दिए गए आदेश के विरुद्ध की गई अपील पर या राज्यशासन का प्रत्येक आदेश, यदि रजिस्ट्रार या विगणिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पर कार्यान्वित न किया जाए तो वह दीवानी न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और धारा 101 में व्यवस्थित रीति से निष्पादित किया जायगा।

102. प्राप्य राशियों की वसूली.—इस अधिनियम के अधीन किसी निश्चय या परिनिर्णय के अनुसार राज्य शासन या किसी सभा को देय राशि प्रथम अनुसूची में व्यवस्थित रीति से प्राप्य होगी :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 (Code of Civil Procedure 1908) में या तत्काल प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 54 के अधीन लिया हुआ उधार या उस की किस्त न चुकाने के सम्बन्ध में धारा 88 और धारा 97 के अधीन दिए गए किसी परिनिर्णय के अनुसार देय कोई भी राशि—

(क) यदि सदस्य का वेतन तीस रुपये प्रतिमास से अधिक हो तो उतनी किस्तों तक, जो न चुकाई गई हों, उस का वेतन या उस वेतन में से तीस रुपये निकाल कर, जो शेष रहें, उसका आधा भाग, इन में से जो भी कम हों, उसे कुर्क करके, तथा

(ख) यदि सदस्य का वेतन तीस रुपये प्रतिमास से अधिक न हो तो उतनी किस्तों तक, जो न

चुकाई गई हों, उस वेतन को या वेतन में से प्रति रुपया एक आना, इन में से जो भी कम हो, कुर्क करके।

102. कुछ त्रुटियों के आधार पर सभाओं के कार्य अमान्य नहीं होंगे.—(1) सभा या प्रबन्धक-समिति या किसी पदाधिकारी या विगणिक द्वारा सभा के व्यवसाय के अनुसार सद्भाव से किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि सभा के संगठन या प्रबन्धक समिति की रचना या पदाधिकारी या विगणिक की नियुक्ति या चुनाव में कालांतर में कोई त्रुटि पाई गई है या इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उक्त पदाधिकारी या विगणिक नियुक्ति के अयोग्य था।

(2) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव से किया गया कोई भी कार्य केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि उस की नियुक्ति इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन कालांतर में दिए गए किसी आदेश से रद्द कर दी गई है।

(3) इस विषय का निश्चय रजिस्ट्रार करेगा आयाकि कोई कार्य सभा के व्यवसाय के अनुपालन में सद्भावना से किया गया था या नहीं।

अध्याय 12

सभा का समापन (winding up) और विघटन (dissolution)

103. सहकारी सभा के समापन के लिए आदेश. (1) रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा और यदि इस सम्बन्ध में नियमों द्वारा ऐसा विहित हो तो यह निदेश देगा कि सहकारी सभा का समापन किया जाएगा यदि निम्नलिखित अवस्थाओं में उसकी यह राय हो कि सभा का समापन कर दिया जाना चाहिए—

(क) धारा 76 या 79 के अधीन निरीक्षण करने या धारा 77 के अधीन परिपृच्छा करने के पश्चात्, या

(ख) इस हेतु बुलाई गई विशेष सामान्य बैठक में उपस्थित सभा के तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार प्रार्थनापत्र देने पर, या

(ग) निम्नलिखित सभाओं की दशा में स्वेच्छापूर्वक—

(अ) जिस सभा ने कार्य करना आरम्भ न किया हो, या

(आ) जिस सभा ने कार्य करना बन्द कर दिया हो, या

(इ) जिस सभा के हिस्सों की पूंजी या सदस्यों की जमा पूंजी पांच सौ रुपए से अधिक न हो, या

(ई) जिस सभा ने इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में पंजीयन के लिए व्यवस्थित किसी प्रतिबन्ध का पालन करना बन्द कर दिया हो।

(2) उक्त आदेश की एक प्रतिलिपि विहित रीति से सभा और ऐसे वित्त प्रबन्धक अधिकोष, यदि कोई हो, को भेजी जाएगी जिस की सदस्यता में वह सभा सदस्य हो।

(3) आदेश—

(क) जहां धारा 113 के अधीन कोई अपील न की गई तो अपील करने के लिए अनुमत अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् प्रभावी होगा, या

(ख) जहां अपील की गई हो उस अवस्था में अपील प्राधिकारी (appellate authority) द्वारा अपील अस्वीकार कर दिए जाने पर प्रभावी होगा।

104. विगणिक (liquidator) की नियुक्ति.—जब धारा 103 के अधीन किसी सभा के समापन (winding up) का आदेश दिया जा चुका हो, तो रजिस्ट्रार नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को सभा का विगणिक नियुक्त कर सकेगा और उक्त व्यक्ति को पदच्युत कर सकेगा और उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

105. विगणिक (liquidator) की शक्तियां.—(1) जिस दिनांक से सहकारी सभा के समापन का आदेश प्रभावी होता है उसके सम्बन्ध में धारा 103 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 104 के अधीन नियुक्त विगणिक (liquidator) अपनी नियुक्ति के दिनांक से सभा की समस्त सकलसम्पत्ति, सम्पत्ति, सामान (effects) और कार्यवाहीयोग्य मांगें (actionable claims) या ऐसी समस्त सकलसम्पत्ति, सम्पत्ति, सामान और कार्यवाहीयोग्य मांगें (actionable claims), जिन की सभा हकदार हो, और सभा के व्यवसाय से सम्बन्धित समस्त पुस्तकें, अभिलेख और अन्य प्रलेख तुरन्त अपने कब्जे में लेने के लिए शक्तिसम्पन्न होगा।

(2) जिस दिनांक को सभा का समापन करने का आदेश प्रभावी होता है, उस दिनांक से विगणिक, नियमों तथा रजिस्ट्रार के सामान्य (general) निदेश और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जहां तक ऐसा करना सभा के समापन के लिए आवश्यक हो, सभा की ओर से उसका व्यवसाय जारी रखने और उक्त समापन के लिए समस्त आवश्यक कार्य करने और समस्त प्रलेखों का निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ शक्तिसम्पन्न होगा, और विशेषतया निम्नलिखित शक्तियों में से ऐसी शक्तियां प्रयोग करेगा, जो रजिस्ट्रार समय समय पर निदेशित करे, अर्थात्—

(क) वाद और अन्य वैधानिक कार्यवाहियां चलाना और उन से प्रतिरक्षा करना;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता या व्यवस्था करना, जिसके और सभा के मध्य कोई विवाद हो, और उक्त किसी भी विवाद को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट करना;

(ग) सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की सम्पदा द्वारा, उसके द्वारा नामांकित व्यक्तियों, उसके उत्तराधिकारियों या वैधानिक प्रतिनिधियों द्वारा सभा को देय ऋण का निश्चय करना;

(घ) विगणन के व्यय की गणना करना और यह निश्चय करना कि वे किस व्यक्ति द्वारा और किस अनुपात से पूरे किये जाएंगे;

(च) सभा के सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों या मृत सदस्यों की सम्पदाओं द्वारा, उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों, उनके उत्तराधिकारियों, वैधानिक प्रतिनिधियों या भूतपूर्व या वर्तमान पदाधिकारियों

द्वारा सभा की सकलसम्पत्ति में समय समय पर दिए जाने वाले अंशदानों का निश्चय करना, जिस में खण्ड (ग) और (घ) में वर्णित विषय भी सम्मिलित होंगे ;

(छ) सभा के विरुद्ध की गई समस्त मांगों (claims) की जांच करना (investigate) और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मांगकर्ताओं की पूर्वता के प्रश्न का निर्णय करना;

(ज) सभा के विरुद्ध की गई मांगों (जिस में उसके समापन के आदेश के दिनांक तक का ब्याज सम्मिलित होगा) की पूर्वता के अनुसार सभा की सकलसम्पत्ति की क्षमता के भीतर उन की सम्पूर्ण या आनुपातिक (rateably) चुकती करना;

(झ) ऐसे निदेश देना, जो उसे सभा की सकलसम्पत्ति (assets) की प्राप्ति, संग्रह और वितरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो; और

(त) सभा के सदस्यों का परामर्श लेने के पश्चात् ऐसे अतिरेक, यदि कोई हो, की व्यवस्थापना करना, जो सभा के विरुद्ध की गई मांगों की चुकती करने के पश्चात् शेष हो।

106. विगणिक (liquidator) द्वारा निर्धारित अंशदानों की पूर्वता.—प्रोविंशियल इन्सौलवेन्सी ऐक्ट, 1920 (Provincial Insolvency Act, 1920) में किसी बात के होते हुए भी, शोधाक्षमता की कार्यवाहियों में पूर्वता के क्रम में विगणिक (liquidator) द्वारा निर्धारित अंशदान शासन या किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को देय उधार से दूसरे स्थान पर होगा।

107. विगणिक पुस्तकों को जमा करेगा और अन्तिम प्रतिवेदन (final report) देगा.—जब सभा के कार्यों का समापन कर दिया गया हो तो विगणिक विहित रीति से सभा के अभिलेख जमा करेगा और रजिस्ट्रार को एक प्रतिवेदन देगा।

108. सहकारी सभा के समापन के या पंजीयन के आदेश को रद्द करने का रजिस्ट्रार का शक्ति.—(1) जहां रजिस्ट्रार की यह राय हो कि कोई सभा जारी रहनी चाहिए तो वह उसके समापन का आदेश रद्द कर सकेगा।

(2) अन्य किसी भी दशा में रजिस्ट्रार विगणिक (liquidator) के प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सभा के पंजीयन को रद्द करने का आदेश देगा।

109. समापन और विघटन से सम्बद्ध विषयों में वाद चलाने पर रुकावट.—जहां तक इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई हो, उस को छोड़ कर, कोई भी दीवानी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी सभा के समापन या विघटन से सम्बन्धित किसी भी विषय का संज्ञान (cognizance) नहीं करेगा और जब समापन का आदेश दिया जा चुका हो तो सभा के विरुद्ध कोई भी वाद या वैधानिक कार्यवाही केवल रजिस्ट्रार की अनुमति से ही और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह आरोपित करे, की जा सकेगी, अन्यथा नहीं।

110. अतिरिक्त सकलसम्पत्ति (assets) की व्यवस्थापना.—जब किसी रद्द की गई सभा के समस्त दायित्व, जिन में प्रदत्त हिस्सों की पूंजी सम्मिलित होगी, पूरे किए जा चुके हों तो अतिरिक्त सकलसम्पत्ति (assets) इसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जाएगी, किन्तु वह सभा की उपविधियों में

वर्णित उद्देश्य या उद्देश्यों में विनियोजित कर दी जाएगी और जब किसी भी उद्देश्य का इस प्रकार से वर्णन न हो तो वह सार्वजनिक उपादेयता के किसी भी उद्देश्य में लगा दी जाएगी, जो सभा की सामान्य बैठक द्वारा निश्चित हुआ हो, और सामान्य बैठक द्वारा विहित अवधि में उक्त उद्देश्य का निश्चय न हो सकने पर रजिस्ट्रार द्वारा वह पूर्णतया या अंशतया निम्नलिखित समस्त प्रयोजनों अथवा इन में से किसी भी प्रयोजन के लिए अभिहस्तांकित कर दी जाएगी :—

(क) स्थानीय हित की सार्वजनिक उपादेयता के उद्देश्य में अभिहस्तांकन,

(ख) चेरीटेबल ऐन्डोमैन्ट्स ऐक्ट, 1890 (Charitable Endowmeuts Act, 1890) की धारा 2 में परिभाषित किसी परोपकारी कार्य में अभिहस्तांकन,

(ग) वित्त प्रबन्धक अधिकोष में उस समय तक अभिहस्तांकन, जब तक उसी या प्रतिवासी क्षेत्र में उसी प्रकार के उद्देश्य वाली नई सभा का पंजीयन नहीं होता और तदुपरान्त रजिस्ट्रार को सहमति से उक्त अतिरेक ऐसी नई सभा की आरक्षित निधि में जमा किया जा सकेगा।

अध्याय 13

क्षेत्राधिकार, अपील तथा पुनरीक्षण

111. उन्मुक्ति.—रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकार से काम करने वाले किसी व्यक्ति या न्यासधारी (trustee) के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन अभिप्रेत या सद्भावना से किए गए किसी भी कार्य के लिए कोई भी वाद, अभियोजन (prosecution) या वैधानिक कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

112. न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रुकावट.—(1) इस अधिनियम में की गई व्यवस्था को छोड़ कर, कोई भी दीवानी या माल न्यायालय निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारसम्पन्न नहीं होगा—

(क) सभा या उसकी उपविधियों या सभा के उपविधियों के संशोधन का पंजीयन, या

(ख) प्रबन्ध समिति का विघटन (dissolution) और उसके विघटन पर सभा का प्रबन्ध, या

(ग) ऐसा कोई विवाद, जो धारा 87 के अधीन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, या

(घ) सभा के समापन और विघटन (winding up and dissolution) से सम्बन्धित कोई विषय।

(2) जब किसी सभा का समापन किया जा रहा हो तो उक्त सभा के व्यवसाय से सम्बन्धित कोई भी वाद या अन्य वैधानिक कार्यवाही विगणिक के विरुद्ध विगणिक के रूप में या सभा अथवा उसके किसी सदस्य के विरुद्ध केवल रजिस्ट्रार की अनुमति ले कर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ही चलाई जाएगी या दायर की जा सकेगी, जो वह आरोपित करे, अन्यथा नहीं।

(3) इस अधिनियम में जो व्यवस्था की गई है उसे छोड़ कर इस अधिनियम के अधीन किसी भी आदेश, निश्चय या परिनिर्णय (award) पर किसी भी न्यायालय में क्षेत्राधिकार न होने के

आधार से अन्यथा किसी भी प्रकार के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकेगा, न ही वह रद्द किया जा सकेगा, न ही उसमें संपरिवर्तन किया जा सकेगा, न ही उसकी पुनरावृत्ति की जा सकेगी या उसे शून्य घोषित किया जा सकेगा।

113. अपील.—दूसरी अनुसूची के दूसरे स्तम्भ में प्रदर्शित आदेश पर अपील उसके तीसरे स्तम्भ में प्रदर्शित प्राधिकारी के पास और उसके चौथे स्तम्भ में प्रदर्शित अवधि में की जाएगी।

(2) इस अधिनियम में की गई व्यवस्था को छोड़ कर इस अधिनियम के अनुपालन में दिए गए आदेश, किए गए निश्चय या परिनिर्णय (awards) के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी और प्रत्येक उक्त आदेश, निश्चय या परिनिर्णय (awards) अन्तिम होगा।

114. पुनरीक्षण और पुनरावृत्तिः—राज्यशासन इस अधिनियम के अधीन की गई किसी परिपृच्छा या किए गए किसी निरीक्षण के अभिलेख या रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकार से काम करने वाले किसी व्यक्ति की कार्यवाहियां मंगवा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा और उन पर ऐसे आदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे।

(2) रजिट्रार किसी भी समय—

(क) ऐसे किसी भी आदेश की पुनरावृत्ति कर सकेगा, जो उसने स्वयं दिया हो, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी परिपृच्छा या किए गए किसी निरीक्षण के अभिलेख वा उसके अधीनस्थ व्यक्ति या उसके प्राधिकार से काम करने वाले व्यक्ति की कार्यवाहियां मंगवा सकेगा और उनकी जांच कर सकेगा और यदि उसे यह प्रतीत हो कि कोई निश्चय, आदेश या परिनिर्णय (award) या इस प्रकार मंगवाई गई कोई कार्यवाहियां किसी कारण से संपरिवर्तित या अभिशून्य कर दी जानी चाहिए या उलट दी जानी चाहिए तो उस पर ऐसे आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे :

परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन कोई भी आदेश देने से पूर्व रजिस्ट्रार ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिस पर उक्त आदेश से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, सुनवाई का एक अवसर देगा।

अध्याय 14

अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया

115. कुछ उपपातकों के लिए शास्ति.—जब रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों या उपविधियों का :—

(क) प्रबन्धक समिति के सदस्य के रूप में बैठ कर या मत दे कर या सभा के मामलों में किसी अन्य ऐसी सभा जो उक्त सभा की सदस्य हो, के प्रतिनिधि के रूप में

मत दे कर या किसी सभा के सदस्य के नाते अधिकार प्रयोग करके उल्लंघन किया है, जबकि उक्त व्यक्ति, स्थितिअनुसार, इस प्रकार से बैठने या मत देने या उक्त अधिकार प्रयोग करने के लिए अधिकृत न हो, या

(ख) किसी ऋण को ऐसे प्रयोजन में लगा कर उल्लंघन किया है, जो उससे भिन्न हो जिसके लिए ऋण स्वीकार किया गया हो, तो रजिस्ट्रार नियमों के प्रतिबन्धाधीन और उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् एक लिखित आदेश से उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह शास्ति के रूप में ऐसी राशि जो रजिस्ट्रार प्रत्येक उक्त उल्लंघन के सम्बन्ध में उचित समझे, सभा की सकलसम्पत्ति में दे।

116. अपराध और शास्तियां—तीसरी अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में वर्णित कोई भी व्यक्ति, जो उसके दूसरे स्तम्भ में प्रदर्शित किसी अपराध का दोषी हो, इस अधिनियम में या तत्काल प्रचलित अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी अपराधी ठहराए जाने पर उस के चौथे स्तम्भ में प्रदर्शित शास्ति का भागी होगा।

117. अपराधों का संज्ञान.—(1) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायलय से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों की अन्वीक्षा नहीं करेगा।

(2) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 (Criminal Procedure Code 1898) में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध उक्त कोड के प्रयोजनार्थ असंज्ञेय (non-cognizable) समझे जाएंगे।

(3) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति के बिना उस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोग दायर नहीं किया जायेगा।

अध्याय 15

118. नियम बनाने की शक्ति.—(1) राज्यशासन समस्त हिमाचल प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए और किसी सभा या सभाओं की श्रेणी के लिए पूर्वप्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए उक्त नियमों में निम्नलिखित विषयों में से समस्त या किन्हीं की व्यवस्था की जा सकेगी; अर्थात्:—

(1) धारा 2 के खन्ड (19) में निर्दिष्ट राशियों के साथ ही साथ लाभों में से घटाई जाने वाली राशियां;

(2) सहकारी वर्ष की अवधि;

(3) इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों से किसी सभा या सभा-श्रेणी की विमुक्ति तथा वह सीमा, जहां तक इस अधिनियम के कोई भी उपबन्ध किसी भी सभा या सभा-श्रेणी पर प्रयुक्त होंगे;

(4) वह सीमा, जिस तक और वह रीति, जिसके अनुसार रजिस्ट्रार को सौंपी गई शक्तियां और कर्तव्य अन्य व्यक्तियों को दिए जा सकेंगे;

(5) किसी सभा या सभा श्रेणी के पंजीयन की शर्तें ;

(6) सभा के हिस्सों की पूंजी का अधिकतम ऐसा भाग (portion), जो सदस्य द्वारा धारा 5 के अधीन रखा जा सकेगा, या ;

(7) सभा के पंजीयन के लिए दिए जाने वाले पत्र का प्रपत्र और पालन की जाने वाली शर्तें तथा उक्त प्रार्थना पत्र के विषय में प्रक्रिया ;

(8) सभा के विभाजन तथा सभाओं के एकीकरण (amalgamation) की प्रक्रिया और शर्तें ;

(9) सभा की सदस्यता के पंजीयन के लिए प्रक्रिया और वह सीमा, जिस तक सभा अपने सदस्यों की संख्या सीमित कर सकेगी ,

(10) वह विषय, जिसके सम्बन्ध में सहकारी सभा उपविधियां बनाएगी या बना सकेगी और उपविधियों के संशोधन की प्रक्रिया और शर्तें :

(11) वित्त प्रबन्धक अधिकोष बैंक द्वारा शक्तियों के प्रयोग करने की प्रक्रिया और शर्तें ;

(12) सामान्य बठकों को बुलाने और करने की प्रक्रिया तथा उक्त बैठकों द्वारा की जाने की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग ;

(13) वे प्रतिबंध, जिन के अन्तर्गत सभा का सदस्य धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन मतदान हेतु अयोग्य हो जाएगा ;

(14) धारा 18 के अधीन किसी सदस्य द्वारा अपने पास अधिकतम धारण (maximum holding) के लिए शर्तें ;

(15) सभा के वार्षिक लेखे बन्द करने का दिनांक ;

(16) सभा की प्रबन्धक समिति बनाने की पद्धति जिस में समुचित स्वत्वों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति भी सम्मिलित होगी ;

(17) विभिन्न श्रेणियों की सभाओं की प्रबंधक समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों की योग्यताएं, अयोग्यताएं, पदावधि, मुअत्तली तथा उन्हें पद से हटाना ;

(18) प्रबन्धक समिति की बैठकों में प्रक्रिया और प्रबन्धक समिति तथा सभा के पदाधिकरियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां तथा सम्पादित किए जाने वाले कर्तव्य ;

(19) वे परिस्थितियां, जिन में धारा 24 के प्रयोजनार्थ प्रातनिधि (delegates) चुने जा सकेंगे। वह रीति जिस के अनुसार इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनओं के लिए प्रतिनिधि चुने जा सकेंगे; और वह रीति, जिस के अनुसार उस प्रकार निर्वाचित किए गए प्रतिनिधि मत देंगे ;

(29) धारा 28 के अधीन राज्य के प्रनियुक्त कर्मचारी को प्रनियुक्त करने की शर्तें तथा उस के द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और सम्पादित किए जाने वाले कर्तव्य;

(21) सभा की प्रबन्धक समिति के निलम्बन या अतिष्ठान (supersession) की रीति और शर्तें और धारा 30 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति का ढंग और उनकी योग्यताएं ;

(22) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार सभा का पता और पते में किया गया परिवर्तन पंजीकृत किया जाएगा ;

(23) विभिन्न श्रेणियों की सभाओं द्वारा नियुक्त किए जाने वाले वेतन पर काम करने वाले कर्मचारीगण की संख्या और उनकी योग्यताएं ;

(24) वे लेखे, पुस्तकें और पंजियां जो सभाएं अपने पास रखेंगी तथा वे विवरणपत्र जो सभाएं प्रस्तुत करेंगी, वह प्रपत्र, जिसमें तथा वे व्यक्ति, जिन के द्वारा उक्त लेखे पुस्तकें और पंजियां रखी जा सकेंगी तथा उक्त विवरण पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे, उक्त लेखों, पुस्तकों और पंजियों को सुरक्षित रखने और समाप्त करने का ढंग तथा वे शुल्क जो ऐसे विवरणपत्रों को, जो नियमों के अनुपालन में प्रस्तुत न किए गए हों तैयार करने के लिए निर्धारित किए जा सकेंगे और लगाए जा सकेंगे ;

(25) वे प्रलेख, जो किसी सभा द्वारा धारा 34 के अधीन निरीक्षण के लिऐ खुले रखे जाऐंगे ;

(26) वह रीति जिस में धारा 25 के अधीन सन्तुलन.पत्र (balance sheet) प्रकाशित किया जायेगा ;

(27) वह रीति, जिस में सभा धारा 37 के अधीन अपनी निधियों को विनियोजित कर सकेगी या जमा कर सकेगी ;

(28) वे शर्तें, जिन में, और वह सीमा, जिस तक, धारा 38 के अधीन सभा के लाभ उस के सदस्यों में बांटे जा सकेंगे ;

(29) वह अनुपात (proportion), जो प्रत्येक वर्ष सभा के शुद्ध लाभों में से निकाल कर आरक्षित निधि में रख दिया जाएगा, वह सीमा जिस तक कोई सभा अपनी आरक्षित निधि अपने व्यवसाय में प्रयोग कर सकेगी और आरक्षित निधि के विनियोजन का ढंग ;

(30) अंशदान की वह राशि या अनुपात, जो सभा धारा 41 के अधीन भविष्य-निधि (provident fund) में दे सकेगी ;

(31) वह रीति, जिस में सभा को धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन सुनवाई का अवसर दिया जा सकेगा ;

(32) वे शर्तें जिन पर और वह सीमा जिस तक धारा 42 की उपधारा (1) के उपबन्धों में दी गई छूट (relaxation) के अनुसार ऋण दिए जा सकेंगे और सभा द्वारा अपने सदस्यों के अधिकतम तथा असामान्य ऋणों का निश्चय ;

(33) वे सहकारी प्रयोजन, जिन के लिए सभा धारा 46 के अधीन अपने शुद्ध लाभों की प्रतिशतता का अंशदान देगी, ऐसे अंशदान की सीमा, जो धारा 40 के अधीन दिया जा सकेगा और उक्त अंशदान देने की रीति ;

(34) ऐसे ऋण पत्रों को, जो सभा द्वारा जारी किए गए हों जारी करने, उनके मोचन (redemption), उन्हें पुनः जारी करने, उनके हस्तांतरण, उनके प्रतिस्थापन या परिवर्तन

(conversion) की प्रक्रिया और शर्तें ;

(35) वे प्रतिबन्ध और शर्तें, जिन के अधीन और वह रीति, जिस के अनुसार, और वह सीमा जिस तक, सभा हिस्सों, (शेयरों), निक्षेप, ऋणपत्रों द्वारा या अन्यथा निधियां जुटा सकेगी और वह रीति, जिस में द्रव साधनों (fluid resources) के संधारण की व्यवस्था की जाएगी ;

(36) न्यासधारी और सभा के मध्य न्यास के विलेख में परिवर्तन करने की प्रक्रिया और शर्तें ;

(37) सभा से ऋण मांगने वाले सदस्यों द्वारा की जाने वाली चुकतियां और अनुपालनीय शर्तें तथा वह अवधि, जिसके लिए उधार दिए जाएंगे और वह राशि, जो किसी एक सदस्य को दी जाएगी ;

(38) धारा 51 के अधीन किसी प्रलेख के प्रमाणिकरण का ढंग, प्रलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने की प्रक्रिया और शर्तें और वे शुल्क, जो प्रमाणित प्रतिलिपियां देने के लिए आरोपित किए जा सकेंगे ;

(39) किसी सदस्य या हस्तांतरग्रहीता द्वारा नामांकन के लिए प्रक्रिया और शर्तें तथा नामांकन की पद्धति तथा धारा 52 और धारा 69 के अधीन किसी सभा द्वारा मृत सदस्य के नामांकित व्यक्ति के प्रतिस्थापन (substitution) के लिए और सभा द्वारा धारा 52 के अधीन कार्यवाही करने का निश्चय निश्चित करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें और धारा 52, धारा 68 और धारा 69 के प्रयोजनार्थ उसे देय राशियों के आगणन के लिए प्रक्रिया ;

(40) वह प्रक्रिया, जिस के द्वारा और वे शर्तें, जिन के अधीन धारा 55 या धारा 57 के अन्तर्गत सुरक्षा (गारन्टी) या वित्तीय सहायता दी जा सकेगी ;

(41) धारा 57 के अधीन ऋण पत्रों की सुरक्षा (गारन्टी) के लिए मूलधन की अधिकतम राशि, ब्याज का मान (rate) और अन्य शर्तें ;

(42) वे निषेध और आयन्त्रण, जिन के अधीन रहते हुए सभाएं ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवसाय कर सकेगी, जो सभा के सदस्य न हों ;

(43) सभा के दायित्व के रूप में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें ;

(44) ऐसी प्रत्येक दशा में, जिस में इस अधिनियम या नियमों के अधीन कोई सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) जारी किया गया हो—

(क) सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) का प्रपत्र ;

(ख) दी जाने वाली सूचना (नोटिस) की अवधि ;

(ग) वे व्यक्ति, जिन पर या जिन के विरुद्ध सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) जारी किया जाएगा ; और

(घ) वे शर्तें, जो उक्त सूचना (नोटिस) या प्रसर (process) की तामील (service) का प्रमाण स्थापित करने के लिए पूरी की जाएंगी ;

(45) वे परिस्थियां, जिनमें किसी सभा के पक्ष में कोई प्रभार पूरा किया जाएगा और वह सभा, जिस तक और वह क्रम, जिस में सम्पत्ति प्रभार के अधीन रहते हुए उसे पूरा करने के प्रयोग में लाई जाएगी;

(46) धारा 62 द्वारा अपेक्षित मांग के लिखित विवरण का प्रारूप;

(47) धारा 64 और 65 के अधीन प्रार्थना-पत्र का प्रारूप, धारा 64 और 65 द्वारा अपेक्षित मानचित्र और विवरण का प्रारूप और उसके प्रकाशन की रीति, तथा धारा 64 और 65 में व्यवस्थित जल-कर और तटबंद्ध सुरक्षा-कर लगाने की रीति;

(48) वे परिस्थितियां और रीति, जिसमें कोई सदस्य त्याग पत्र दे सकेगा या सभा से निकाला जा सकेगा;

(49) वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई सभा अशोध्य-ऋण (irrecoverable loan) की गणना करेगी और उसका अपलेखन करेगी;

(50) वह दिनांक जिस तक वार्षिक लेखा-परीक्षण किया जाएगा और लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा, लेखा परीक्षण करने वाले लेखा परीक्षक की प्रक्रिया, वे विषय, जिन पर वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, वह प्रपत्र, जिसमें उसके लेखा परीक्षण के लिए लेखों का विवरण तैयार किया जाएगा, वे सीमाएं, जिन के भीतर वह सभा के आर्थिक व्यवहारों की जांच कर सकेगा, उसके लेखा-परीक्षण के प्रतिवेदन तथा परीक्षित लेखों के विवरण का प्रारूप और वे शुल्क, यदि कोई हों, जो सभा द्वारा लेखा-परीक्षा के लिए दिय जाएंगे;

(51) धारा 82 के उपबन्धाधीन योजना का विस्तृत ब्योरा और परिपृच्छा अधिकारी की नियुक्ति;

(52) वह रीति, जिस में परिपृच्छा की जाएगी और धारा 83 के अधीन प्रतिवेदन के विषय;

(53) धारा 85 के उपबन्धाधीन सूचना (नोटिस) के विषय और योजना का सम्पादन;

(54) मध्यस्थ की योग्यताएं और उसकी नियुक्ति का ढंग, अध्याय 10 के अधीन कार्यवाहियों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और उक्त कार्यवाहियों से आनुषंगिक शुल्कों की गणना करने और उक्त कार्यवाहियों में किए गए निश्चयों के प्रवृत करने का ढंग;

(55) वह रीति, जिसमें समापित सभा की सकल-सम्पत्ति के अतिरेक की व्यवस्थापना की जाएगी और उसके अभिलेख जमा कराए जाएंगे;

(56) कुर्की (distrant) को प्रभावी करने की रीति और कुर्क की गई सम्पत्ति (ऐसी सम्पत्ति सहित, जो नष्ट होने वाली हो) की संरक्षा करने, सुरक्षा करने और विक्रय करने की रीति, कुर्क की गई सम्पत्ति में अभियुक्त को छोड़ कर दूसरे व्यक्तियों के

अधिकार या स्वत्वों की मांगों की जांच और उक्त जांच होने पर क्रय का आगे के लिए स्थगन;

(57) वह रीति, जिसके अनुसार ऐसा ऋण वापस लिया जाएगा, जो उस प्रयोजन में न लगाया गया हो, जिस के लिए वह दिया गया था;

(58) वे शर्तें, जो उस व्यक्ति द्वारा पूरी की जाएंगी, जो सभा का सदस्य बनने के लिए प्रार्थनापत्र दे रहा हो या सभा का सदस्य बनाया गया हो, सदस्य के प्रवेश उन्हें निकालने और उनके पदत्याग के लिए प्रक्रिया और वे शर्तें; जिन के अनुसार सदस्य सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग करेंगे;

(59) वे दशाएं, जिन में और वे शर्तें, जिन के अधीन किसी सभा के समापन का आदेश देने में रजिस्ट्रार बाध्य होगा;

(60) राज्यशासन को की जाने वाली अपीलों की दशा में, वह प्राधिकारी, जिसे अपील सुनने की शक्ति सौंपी जा सकेगी;

(61) रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रलेखों का निरीक्षण करने की प्रक्रिया तथा शर्तें और शुल्क, यदि कोई हों, जो उक्त निरीक्षण के लिये आरोपित किए जाएं;

(62) ऐसे व्ययों, प्रभारों या खर्चों, के जिनका आरोपण इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित हो, आगणन की प्रक्रिया, और उन के आगणन का ढंग;

(63) इस अधिनियम या नियमों के अधीन देय राशियों की वसूली के लिए प्रक्रिया और उन्हें वसूल करने का ढंग;

(64) एसा कोई भी आदेश, नियम या परिनिर्णय पहुंचाने या उसके प्रकाशन का ढंग, जिसे पहुंचाना या जिसका प्रकाशन इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित हो;

(65) धारा 90 के अधीन सप्रतिबन्ध कुर्की की प्रकिया;

(66) धारा 94 के अधीन प्रार्थना पत्र के लिए प्रपत्र और प्रकिया तथा उस धारा के अधीन बैठक बुलाने, करने, लगाने और उस के संचालन की प्रक्रिया;

(67) धारा 95 और 96 द्वारा प्रदत, शक्तियों के प्रयोग की प्रक्रिया प्रतिबन्ध और ढंग;

(68) वे व्यक्ति, जो धारा 97 के अधीन परिनिर्णय दे सकेंगे;

(96) धारा 98 के अधीन परिपृच्छा करने और उस की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विषयों के सम्बन्ध में प्रक्रिया और सिद्धान्त;

(70) धारा 99 द्वारा प्रदत शक्तियों के प्रयोग के लिये प्रक्रिया और सिद्धांत;

(71) विगणिक की नियुक्ति और उसे हटाने तथा उसके परिलाभ चुकाने की प्रक्रिया, उक्त नियुक्ति की शर्तें, वे प्रतिबन्ध, जिन के अनुसार रजिस्ट्रार विगणिक पर नियन्त्रण रखेगा तथा उसे धारा 104 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का निदेश देगा तथा अध्याय 12 के अधीन कार्यवाहियों में अनुपालनार्थ प्रक्रिया;

(72) धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी नियम बनाते समय राज्य शासन यह निदेश दे सकेगा कि, जो व्यक्ति उसका उल्लघन करेगा न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने पर पचास रुपया तक के अर्थ दन्ड का भागी होगा और जहां उल्लंघन निरन्तर हो उस अवस्था में पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए 10 रुपया तक के अर्थ दन्ड का भागी होगा, जिसके मध्य अपराधी ठहराऐ जाने के पश्चात उल्लंघन जारी रहे।

अध्याय 16

प्रकीर्ण

119. निरसन (repeal).—कोप्रेटिव सोसायटीज ऐक्ट, II (सेंट्रल) 1912, (Co-operative Societies Act, II (central) 1912) का जहां तक कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रयुक्त है एतत्द्वारा निरसन किया जाता है।

120. वर्तमान सभाओं का बचाव.—(1) प्रत्येक विद्यमान सभा, जो कोप्रेटिव क्रेडिट सोसायाटीज ऐक्ट II, 1912 के अधीन पंजीकृत हो चुकी हो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत मानी जाएगी और इसकी उपविधियां जहां तक कि वो इस अधिनियम के स्पष्ट उपबन्धों से असंगत न हों तब तक प्रचलित रहेंगी, जब तक कि उन्हें आपरिवर्तित या अनुशून्य (resind) न किया जाए।

(2) कोप्रेटिव सुसायटीज ऐक्ट, 1912 के अधीन की गई समस्त निशुक्तियां, बनाए गए नियम और दिए गए आदेश जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं और सूचनाएं (नोटिस) कए गए समस्त व्यवहार और उनकी कार्यवाहियों में दायर किए गए समस्त वाद, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए, जारी किए गए, या दायर किए गए समझे जायेंगे।

121. इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 प्रयुक्त नहीं होगा.—इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट के उपबन्ध पंजीकृत सभाओं पर प्रयुक्त नहीं होंगे।

122. राज्य से बाहर की सभाओं की शाखाएं.—हिमाचल प्रदेश से बाहर पंजीकृत प्रत्येक ऐसी सभा, जिस की हिमाचल प्रदेश में कोई शाखा या व्यवसाय स्थान हो या जो हिमाचल प्रदेश में कोई शाखा स्थापित करे या व्यवसाय स्थान स्थापित करे, इस अधिनियम का प्रारम्भ होने से या उक्त शाखा या व्यवसाय स्थान की स्थापना से छः मास के भीतर रजिस्ट्रार को अपनी उपविधियों और संशोधनों की एक प्रतिलिपि देगी और उन विवरणपत्रों तथा

सूचनाओं के साथ ही साथ, जो उसराज्य के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाती हों जहां पर वह पंजीकृत हो ऐसे विवरणपत्र और ऐसी सूचनाएं, जो हिमाचल प्रदेश में उसी प्रकार की सभाओं द्वारा प्रस्तुत की जाती हों, रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी।

123. वादों में आवश्यक सूचना.—जब तक लिखित रूप में एक ऐसी सूचना, जिस में वाद मूल (cause of action), वादी का नाम, ब्योरा और निवास स्थान तथा सहायता जो उसने मांगी हो, प्रदर्शित हो, रजिस्ट्रार को प्रदान कर दिए जाने या उसके कार्यालय में पहुंचा दिए जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो गए हों तब तक किसी भी सभा या उस के किसी पदाधिकारी के विरुद्ध, सभा के व्यवसाय से सम्बन्ध किसी भी कार्य के सम्बन्ध में कोई भी वाद दायर नहीं किया जायगा और वादपत्र में यह विवरण होगा कि उक्त सूचना उक्त रूप से प्रदान कर दी गई थी या पहुंचा दी गई थी।

प्रथम अनुसूची

क्रम संख्या	देय राशि का नाम	वसूली का ढंग
1	धारा 72 के अधीन सभा के लेखे को पूरा करवाने में किया गया व्यय तथा धारा 99 के अधीन परिनिर्णीत राशियां।	रजिस्ट्रार के मांग पत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाए के रूप में या धारा 72 की दशा में रजिस्ट्रार की अनुमति से लेखा-परीक्षक द्वारा।
2	धारा 78 के अधीन परिपृच्छा या निरीक्षण का अभिभाजित व्यय, धारा 97 के अन्तर्गत परिनिर्णीत देय राशियों की वसूली, धारा 98 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में परिनिर्णीत अंशदान और धारा 115 के अधीन परिनिर्णीत राशियां।	रजिस्ट्रार के मांग पत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाए के रूप में।
3	धारा 78 के अधीन दिए गए किसी आदेश द्वारा या धारा 89 के अधीन अन्तिम बन्धक डिक्री के समान प्रभावशाली परिनिर्णय द्वारा किसी सहकारी सभा के पक्ष में परिनिर्णीत राशियां।	सभा के मांग-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाए के रूप में या सभा के प्रार्थना पत्र पर किसी स्थानीय क्षेत्राधिकार सम्पन्न दीवानी न्यायालय द्वारा उसी रीति, में जैसे कि उस की डिक्री।
4	विगणिक द्वारा धारा 105 के अधीन अंशदानों के रूप में निर्धारित राशियां।	रजिस्ट्रार या विगणिक के मांग-पत्र पर कलेक्टर द्वारा भूराजस्व के बकाए के रूप में।
5	इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के अन्तर्गत देय राशियां।	विहित रीति में।

दूसरी अनुसूची

क्रम सं०	अपील योग्य आदेश	वे व्यक्ति, जिनके द्वारा और वे प्राधिकारी, जिन के पास अपील की जा सकेगी	परिसीमा अवधि
1	2	3	4
1	धारा 10 के अधीन किसी सहकारी सभा या धारा 12 के अधीन किसी उपविधि के संशोधन के पंजीयन की अस्वीकृति का आदेश।	सभा के किसी भी सदस्य द्वारा— (क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार के पास।	उस दिनांक से दो मास जब आदेश सभा को दिया गया हो।
2	धारा 29 के अधीन अयोग्यता का आदेश या धारा 30 के अधीन प्रबन्धक समिति का विघटन करने तथा सभा के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिए व्यक्ति को नियुक्ति का आदेश।	प्रबन्धक समिति के किसी भी सदस्य द्वारा— (क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार के पास।	उस दिनांक से दो मास जब आदेश सभा को दिया गया हो।
3	धारा 64 के अधीन तैयार किए गए सिंचन क्षेत्र या धारा 65 के अधीन तैयार किए गए रक्षित क्षेत्र के मान चित्र के विवरण में की गई कोई प्रविष्टि या उस से रही हुई भूल।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा कलेक्टर के पास।	विवरण का प्रकाशन होने के दिनांक से एक मास।
4	धारा 64 के अधीन जल-कर या धारा 65 के अधीन तटबद्ध सुरक्षा कर का निर्धारण।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के पास।	विवरण का प्रकाशन होने के दिनांक से एक मास।
5	धारा 78 के अधीन व्यय (costs) अभिभाजन करने का आदेश।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के पास।	उस दिनांक से एक मास जब पीड़ित व्यक्ति को आदेश दिया गया हो।

दूसरी अनुसूची— क्रमागत

1	2	3	4
6	धारा 88 या 89 के अधीन रजिस्ट्रार या विवाचक का कोई आदेश निश्चय या परिनिर्णय ।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा— (क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार के पास ।	उस दिनांक से एक मास जब आदेश निश्चय या परिनिर्णय पीड़ित व्यक्ति को दिया गया हो ।
7	धारा 103 के अधीन सभा के समापन का आदेश ।	सभा के किसी भी सदस्य द्वारा— (क) यदि रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया हो तो राज्यशासन के पास, या (ख) यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया हो तो रजिस्ट्रार के पास ।	उस दिनांक से दो मास जब सभा को आदेश दिया गया हो ।
8	धारा 105 के अधीन विनिश्चिक का आदेश, निश्चय या परिनिर्णय ।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के पास ।	उस दिनांक से दो मास जब आदेश निश्चय या निर्णय पीड़ित व्यक्ति को दिया गया हो।
9	धारा 98 या 99 के अधीन दिया गया आदेश ।	किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के पास ।	उस दिनांक से तीन मास जब आदे पीड़ित व्यक्ति को दिया गया हो ।
10	ऐसा कोई भी आदेश या निश्चय, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा अपील योग्य घोषित हुआ हो ।	उस व्यक्ति द्वारा जो नियमों द्वारा विहित प्राधिकारी के पास अपील करने के लिए सक्षम घोषित हो ।	विहित अवधि ।

तीसरी अनुसूची

क्रम संख्या	अपराध	उत्तरदायी व्यक्ति	शास्ति
1	2	3	4
1	किसी ऐसे नाम या शीर्षक में शब्द "सहकारी" का अप्राधिकृत प्रयोग, जिसके अधीन धारा 7 का उल्लंघन करके व्यवसाय चलाया जा रहा हो।	जिस में यह शब्द इस प्रकार प्रयोग होता हो उस नाम या शीर्षक के अधीन व्यवसाय चलाने वाली कम्पनी, सभा या व्यक्ति।	ऐसा अर्थदन्ड, जो 50 रु० तक हो सकेगा, और यदि अपराध जारी रहे तो अपराधी ठहराए जाने के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें अपराध जारी रहे पचास रुपए तक का पुनः अर्थ दन्ड।
2	किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य करने, कोई विवरण बनाने या सूचना देने में प्रमाद करना या इन्कार करना जिसे करने, बनाने या प्रदान करने की इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षा की गई हो।	कार्य करने, विवरण बनाने या सूचना प्रदान करने में प्रमाद करने वाला या उस से इन्कार करने वाला व्यक्ति।	ऐसा अर्थदन्ड, जो 50 रु० तक हो सकेगा और यदि अपराध जारी रहे तो अपराधी ठहराए जाने के के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रहे पचास रुपए तक पुनः अर्थदन्ड।
3	जान बूझ कर झूठा विवरण बनाना या झूठी सूचना प्रदान करना, जिसे बनाना या प्रदान करना इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित हो।	जानबूझ कर झूठा विवरण बनाने वाला या झूठी सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति।	ऐसा अर्थदन्ड जो एक सौ रुपए तक हो सकेगा।
4	सभा को धोखा देने के विचार से या सभा के प्रथम प्रभार के प्रतिकूल कोई कार्य करने के विचार से ऐसी सम्पत्ति को हटाना या व्यवस्थापित कराना या ऐसी	वह व्यक्ति, जिस द्वारा व, जिस की ओर से सम्पत्ति हटाई गई हो या निराकृत की गई हो या कार्य किया गया हो।	ऐसा कारावास जो छः महीने तक का होगा या ऐसा जुर्माना जो पांच सौ रुपए तक होगा।

तीसरी अनुसूची—क्रमागत

1	2	3	4
	सम्पत्ति हटाने या व्यवस्थापित करने में सहायता करना जिस पर धारा 70 के अधीन सभा का प्रथम भार हो ।		
5	कोई ऐसा कार्य या ऐसी भूल जो नियमों द्वारा अपराध घोषित हो।	ऐसा व्यक्ति जिसे नियमों द्वारा उत्तरदायी ठहराया गया हो।	नियमों में व्यवस्थित शास्ति।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

को-आप्रेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1912, हिमाचल प्रदेश में प्रयुक्त किया गया था । यह ऐक्ट बहुत पुराना है और भारत में बहुत से राज्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विधान बना लिए हैं । गत 40 वर्षों में सहकारी आंदोलन ने प्रशंसनीय प्रगति की है और इस दिशा में अत्याधिक अनुभव प्राप्त हो गया है, अतः प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा सहकारी आंदोलन के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक है कि सहकारी सभाओं से सम्बन्धित विधि का संकलन किया जाए । इस विधेयक का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में सहकारी सभाओं से सम्बन्धित विधि का संकलन तथा संशोधन करना है । और साथ ही साथ इस में सभाओं के एकीकरण और विभाजन की प्रक्रिया और कृषि सभाओं के पंजीयन की भी व्यवस्था की गई है । और यह विधेयक कुछ परिस्थितियों में शिक्षा-निधि की भी व्यवस्था करता है ।

पद्म देव

बन्सी धर शर्मा
सचिव
हिमाचल प्रदेश, विधान सभा।

Printed and Published in India by the Manager, H. P. Govt. Press, Simla-3.